VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामाजिक मुद्दे

MAINS 365

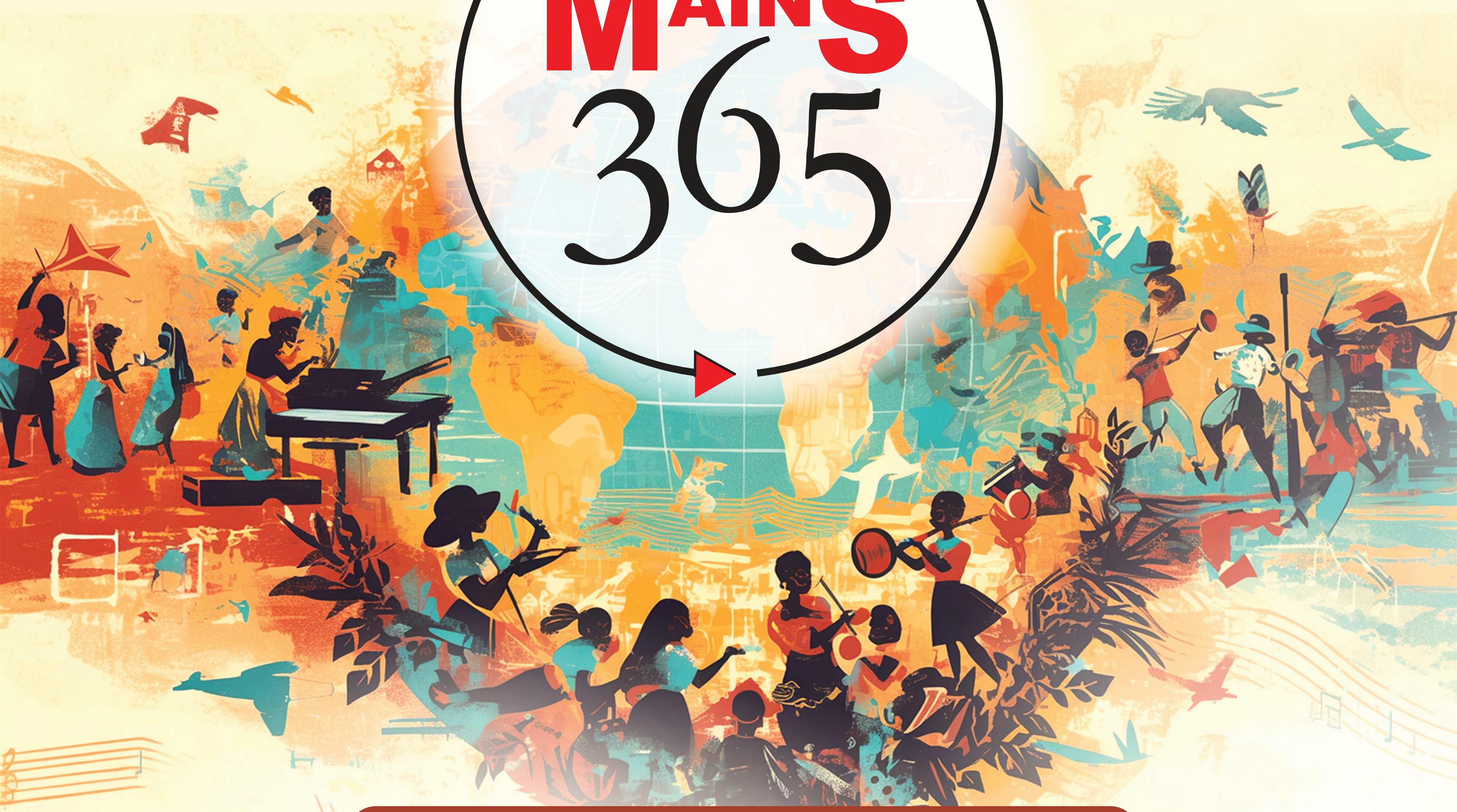

क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2024

अगस्त 2023 – मई 2024

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias_upsc vision_ias /VisionIAS_UPSC www.visionias.in

ऑफलाइन मोड
40+ शहरों में

अभ्यास
मेन्स 2024
ऑल इंडिया मेन्स
(GS + निबंध + वैकल्पिक विषय)
मॉक टेस्ट (ऑफ़लाइन)

पेपर	GS - I & II	GS - III & IV	निबंध	वैकल्पिक विषय I & II
तिथि	24 अगस्त	25 अगस्त	31 अगस्त	1 सितम्बर

Scan to Know More and Register

पंजीकरण करें: www.visionias.in/abhyaas

GS मेन्स एडवांस कोर्स 2024

यह कोर्स मूलभूत अवधारणाओं की समझ रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत अभ्यर्थियों को जटिल टॉपिक्स तथा उन्हें आपस में जोड़ कर पढ़ने और समझ विकसित करने में उनकी मदद की जाएगी। साथ ही, मुख्य परीक्षा में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार किया जाएगा।

- अवधारणात्मक रूप से कठिन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा
- मेन्स 2024 हेतु आवश्यक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया जाएगा
- कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा (सॉफ्ट कॉपी)
- सेक्शनल मिनी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा
- कोर्स की अवधि: 7 सप्ताह, प्रति सप्ताह 6–7 कक्षाएं (जरूरत पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

प्रारंभ: 28 जून | दोपहर 1 बजे

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

विषय-सूची

1. महिलाएं (Women) 4
1.1. कार्यबल में महिलाएं: एक नज़र में 4
1.1.1. लैंगिक वेतन अंतराल 4
1.1.2. मासिक धर्म अवकाश नीति 5
1.1.3. STEM क्षेत्रक में महिलाएं 7
1.1.4. भारत में महिला उद्यमी 8
1.1.5. रक्षा बलों में महिलाएं 10
1.2. केयर इकोनॉमी 11
1.3. महिलाओं के खिलाफ हिंसा: एक नज़र में 13
1.3.1. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निदान) अधिनियम, 2013 14
1.4. प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस 15
1.5. सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 16
2. बच्चे (Children) 19
2.1. बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का अधिक उपयोग 19
2.1.1. बाल यौन शोषण सामग्री 20
2.2. सहमति की आयु 22
2.3. बाल विवाह 23
2.3.1. बाल विवाह रोकथाम संशोधन (PCMA) विधेयक, 2021 24
2.4. बाल दत्तक ग्रहण 25
2.5. बाल श्रम: एक नज़र में 28
3. अन्य कमजोर/ सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections) 29
3.1. देशज लोग: एक नज़र में 29
3.2. विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह 30
3.2.1. जनजातीय स्वास्थ्य 31
3.3. ट्रांसजेंडर्स: एक नज़र में 33
3.4. LGBTQIA+ के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 34
3.5. भारत में वृद्धजन 36
3.6. दिव्यांगजन: एक नज़र में 38
3.6.1. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 39
4. शिक्षा (Education) 42
4.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020: एक नज़र में 42
4.2. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE): एक नज़र में 43
4.2.1. आधारशिला: ECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 44
4.2.2. नवचेतना - नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन 45
4.3. स्कूली शिक्षा: एक नज़र में 47
4.3.1. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 47
4.4. भारत में उच्चतर शिक्षा 49
4.5. उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता 50
4.6. भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) का विनियमन 51
4.7. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) अधिनियम, 2023 53
4.8. क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा 55
5. स्वास्थ्य (Health) 57
5.1. स्वास्थ्य देखभाल: एक नज़र में 57
5.2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 57
5.3. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना 59
5.4. डिजिटल हेल्थ 60
5.5. लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य: एक नज़र में 63
5.6. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल: एक नज़र में 64
5.7. प्रशामक देखभाल 65
6. पोषण (Nutrition) 67
6.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 67
6.2. आंगनवाड़ी प्रणाली 68
6.3. वैश्विक भुखमरी सूचकांक 70
7. गरीबी एवं विकास से संबंधित मुद्दे (Poverty and Development Issues) 72
7.1. जनसंख्या: एक नज़र में 72
7.1.1. घटती जनसांख्यिकीय 73
7.2. युवाओं के नेतृत्व में विकास 74
7.3. मैनुअल स्कैवेंजिंग 75
7.4. आंतरिक विस्थापन 77
7.5. शहरीकरण: एक नज़र में 79

© Vision IAS

7.6. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना ____ 80

7.7. सामाजिक अलगाव और अकेलापन ____ 81

7.8. आत्महत्या से जुड़े मुद्दे: एक नज़र में ____ 83

8. भारतीय समाज (Indian Society) ____ 85

8.1. सामाजिक पहचान: एक नज़र में ____ 85

8.2. जाति व्यवस्था: एक नज़र में ____ 86

8.2.1. जातिगत जनगणना ____ 87

8.2.2. नई प्रौद्योगिकियां और भारत में जातीय पहचान ____ 88

8.3. परिवार की संरचना: एक नज़र में ____ 90

8.4. विवाह: एक नज़र में ____ 92

8.4.1. लिव-इन रिलेशनशिप ____ 93

8.5. वैश्वीकरण: एक नज़र में ____ 95

8.6. क्षेत्रवाद: एक नज़र में ____ 96

8.7. पंथनिरपेक्षता: एक नज़र में ____ 97

9. विगत वर्षों के प्रश्न 2013-2023 (सिलेबस के अनुसार) {Previous Year Questions 2013-2023 (Syllabus-Wise)} ____ 99

10. परिशिष्ट (Appendix) ____ 110

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

- समसामयिक घटनाक्रमों को ठीक से समझने से जटिल मुद्दों के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। इससे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलती है।
- इसे ध्यान में रखते हुए, मेन्स 365 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपकी अध्ययन प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जिससे आपको उत्तर तैयार करने व संक्षेप में लिखने, कंटेंट को बेहतर रूप से समझने और उसे याद रखने में सहायता मिलेगी।

Mains 365 सामजिक मुद्दे: प्रमुख विशेषताएं

संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव:
प्रत्येक टॉपिक को संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव रूप से प्रस्तुत करने के लिए, प्रासंगिक उदाहरणों और तथ्यों को शामिल किया गया है।

करेंट और स्टेटिक टॉपिक्स का एकीकरण:
"टॉपिक: एक नज़र में" वाले सेक्शन में नवीनतम डेटा, उदाहरण और हालिया घटनाक्रमों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स:
इन्हें टॉपिक्स को तेजी से रिवाइज करने तथा उन्हें याद रखने में आपकी सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विगत वर्षों के प्रश्न:
बेहतर तरीके से रिविजन हेतु सिलेबस के अनुसार अलग कर विगत वर्षों के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

परिशिष्ट
मुख्य आंकड़ों एवं तथ्यों को संक्षेप में समझने हेतु परिशिष्ट को शामिल किया गया है।

वीकली फोकस:
प्रासंगिक वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है।

हम आशा करते हैं कि मेन्स 365 डॉक्युमेंट्स आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

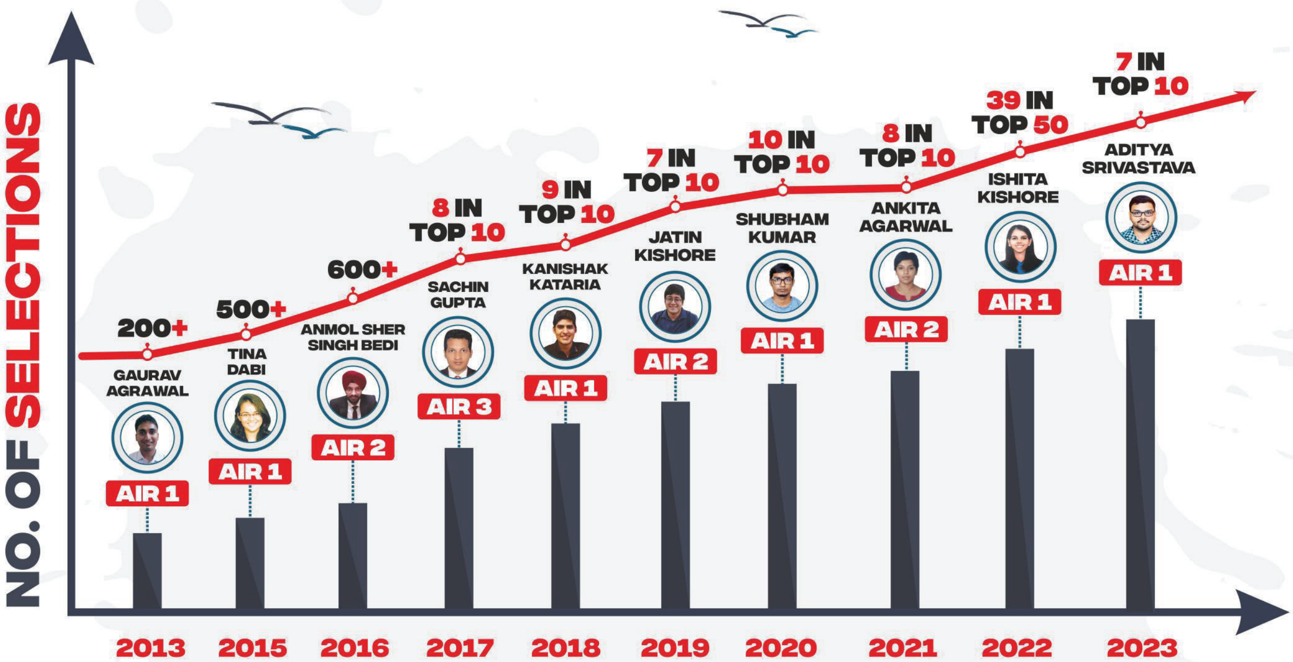

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
29 JULY, 1 PM | 30 JULY, 9 AM | 31 JULY, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 AUG | **BENGALURU:** 12 & 18 JULY | **BHOPAL:** 18 JULY | **CHANDIGARH:** 18 JULY

HYDERABAD: 12 AUG | **JAIPUR:** 6 AUG | **JODHPUR:** 11 JULY | **LUCKNOW:** 17 JULY | **PUNE:** 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | **BHOPAL:** 23 जुलाई | **LUCKNOW:** 18 जुलाई | **JAIPUR:** 16 अगस्त | **JODHPUR:** 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

1. महिलाएं (Women)

1.1. कार्यबल में महिलाएं: एक नज़र में (Women in Workforce at a Glance)

कार्यबल में महिलाएं

प्रमुख आंकड़े एवं तथ्य

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों के अनुसार, **महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 2017–18 में 23.3% थी, जो 2022–2023 में बढ़कर 37.0% हो गई।**	**वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, 2022** के अनुसार, भारत में पुरुष, श्रम आय का 82% अर्जित करते हैं और **महिलाएं केवल 18% अर्जित** करती हैं।

कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे कारण

महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक मानदंडों को पूरा करना होता है।	**परिवार की आय में वृद्धि होने के कारण** कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कमी आती है।	महिलाओं की तुलना में **पुरुष अधिक पेशेवर/ तकनीकी प्रशिक्षण** प्राप्त करते है, जिसके कारण महिलाओं के पास अवसरों की कमी होती है।	कम वेतन, यौन उत्पीड़न आदि के रूप में **कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव होना।**	**डिजिटल विभाजन की स्थिति क्योंकि** केवल 35% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं।

कार्यबल में महिलाओं का महत्त्व

मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने से भारत की **वार्षिक जी.डी.पी.** में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।	NFHS के अनुसार, जिन घरों में महिलाएं कामकाजी हैं, उन घरों में **महिलाओं के पास निर्णय लेने की शक्ति** अधिक होती है।	शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR) जैसे **सामाजिक संकेतकों** में सुधार होता है।	युवा महिला कार्यबल, भारत को **जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने में मदद** कर सकता है।	इससे भारत, **अन्य देशों के समकक्ष** आ सकेगा और **भारत को वैश्विक प्रतिबद्धताओं**, जैसे– सतत विकास लक्ष्य (SDG)–1 (गरीबी कम अंत), SDG–5 (लैंगिक समानता) आदि को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु पहलें

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता (COSHWC), 2020	**वेतन संहिता,** लैंगिक आधार पर भेद–भाव पर रोक लगाती है	कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) **(PoSH) अधिनियम, 2013**	महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तीकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन **(G20 EMPOWER / एम्पावर)**

1.1.1. लैंगिक वेतन अंतराल (Gender Pay Gap)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के नवीनतम संस्करण में साप्ताहिक कार्य घंटों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे पता चलता है कि कुल आय में असमानता पूरी तस्वीर को उजागर नहीं कर पाती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **आय में अंतराल:** 2023 के आँकड़ो के अनुसार, पुरुष सभी प्रकार के कामों में महिलाओं से ज़्यादा कमाते हैं। इसके अलावा, स्व-रोज़गार वाले पुरुष महिलाओं की तुलना में 2.8 गुना ज़्यादा कमाते हैं।
- **श्रम भागीदारी:** ग्रामीण महिलाओं की LFPR में वृद्धि हुई है, जिसमें स्व-रोज़गार वाली महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। हालाँकि, 2019-2023 के दौरान औसत साप्ताहिक कार्य घंटे 37.1 से घटकर 30.1 हो गए।
- **वित्तीय निर्णय:** 47% महिलाएं स्वतंत्र रूप से वित्तीय निर्णय लेती हैं। उनकी वित्तीय स्वायत्तता आय, आयु और संपन्नता के स्तर पर निर्भर करती है।
- **वेतन असमानता:** एक तरफ जहां पुरुष एक डॉलर कमाते हैं, तो महिलाएं 77 सेंट कमाती हैं। 20% से कम अर्थव्यवस्थाओं में वेतन अंतराल समाधान लागू करने के लिए तंत्र मौजूद हैं (विश्व बैंक)।

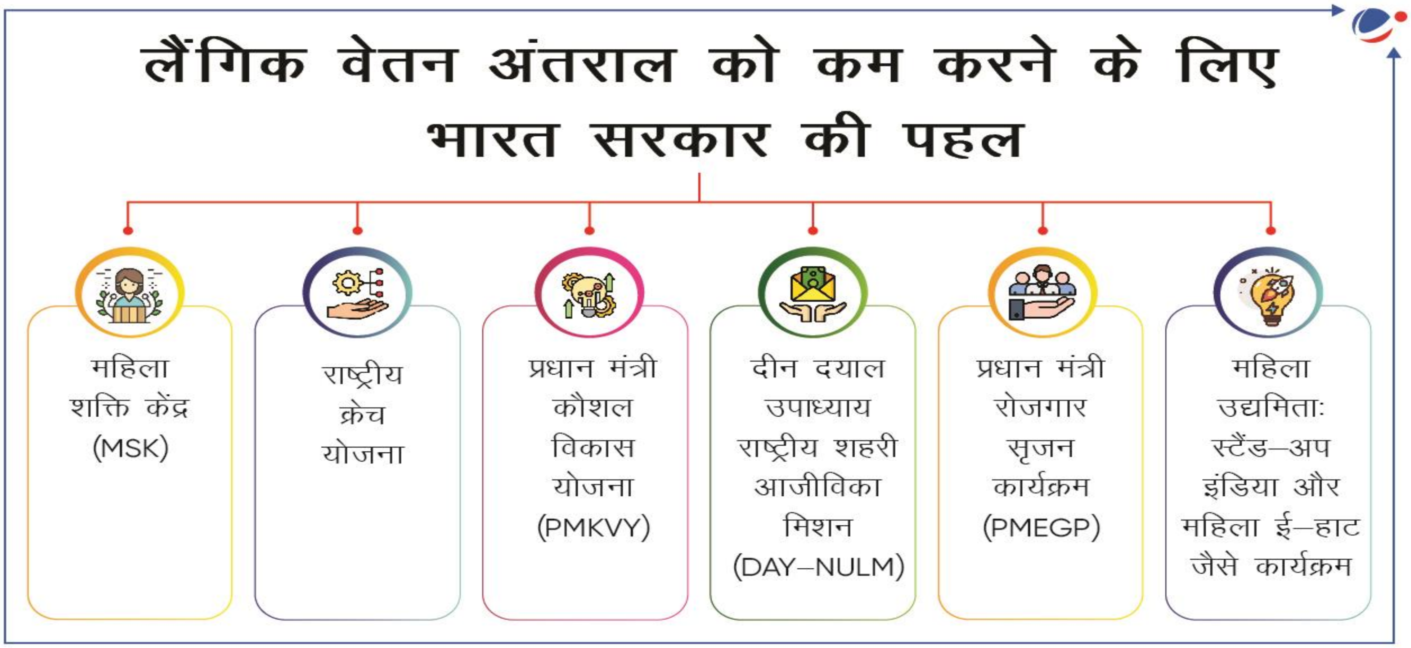

आगे की राह

- **वेतन पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** विभिन्न पदों के लिए वेतन सीमाएँ निर्धारित करना और प्रगति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से लैंगिक वेतन अंतराल संबंधी डेटा जारी करना।
  - **केंद्रीकृत वेतन-निर्धारण संस्थाओं** की स्थापना करना और वेतन-निर्धारण को ठीक से लागू करना, जैसे कि सामूहिक रूप से सहमत वेतन मानक या वैधानिक न्यूनतम वेतन।
- **नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPI):** ये नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रभावी और वस्तुनिष्ठ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे।
- **कार्यस्थल पर सुधार:** POSH अधिनियम को ठीक से लागू करना, मातृत्व अवकाश का समर्थन करना, दूरस्थ कार्य की पेशकश करना और बेहतर पैतृक अवकाश व चाइल्डकेअर के साथ समानता को बढ़ावा देना।
- **सामाजिक मानदंडों का समाधान करना:** परिवार और स्कूलों द्वारा लैंगिक समानता पर आधारित समाजीकरण लैंगिक संवेदीकरण में मदद करेगा।
  - साथ ही, **समुदाय के नेताओं, धार्मिक संस्थानों** और अन्य **प्रभावशाली व्यक्तियों** के साथ जुड़ना।
- **पर्याप्त शोध:** जेंडर, आयु और सामाजिक एवं आर्थिक विभेद के अन्य रूपों के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा का संग्रह और उपयोग नीति निर्माण में मदद करेगा।

1.1.2. मासिक धर्म अवकाश नीति (Menstrual Leave Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश यानी पेड मेंस्ट्रुअल लीव प्रदान करने की नीति के संबंध में कई चर्चाएं हुईं।

 © Vision IAS

मासिक धर्म अवकाश नीति क्या है?

यह नीति एक प्रकार का अवकाश प्रदान करती है, जहां महिलाओं और ट्रांस महिलाओं के पास **मासिक धर्म की अवधि के दौरान अपने कार्यस्थल से सवैतनिक छुट्टी** लेने का विकल्प प्राप्त होता है।

भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रदान करने का महत्त्व	मासिक धर्म अवकाश से संबंधित चुनौतियां
• **मूल अधिकारों के अनुरूप:** मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के अनुरूप हो सकता है। ○ इसके अतिरिक्त, संविधान के **अनुच्छेद 15(3)** के तहत राज्य को **महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान** करने का अधिकार प्रदान किया गया है। • **महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना:** मासिक धर्म के दौरान कई प्रकार के गंभीर लक्षण जैसे ऐंठन और थकान आदि देखे जाते हैं, जो महिलाओं के दैनिक जीवन को प्रभावित करते है। ○ इसके अलावा, **कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी समुचित सुविधाओं में कमी** होने से महिलाओं की स्वच्छता और प्रजनन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। • **हाज़िर रहने का कम दबाव:** छुट्टी का विकल्प **समग्र उत्पादकता और कल्याण में सुधार ला सकता है।** • **महिलाओं के स्वास्थ्य पर चर्चा न करने संबंधी "मानसिकता" को समाप्त करना:** सभी कर्मचारियों के बीच मासिक धर्म के बारे में चर्चा महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों के लिए समर्थन को बढ़ावा दे सकती है।	• **कार्यस्थल पर संभावित भेदभाव:** मासिक धर्म के लिए अवकाश प्रदान करना अनजाने में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता को जन्म दे सकता है। • **लैंगिक मान्यताओं और अभिवृत्तियों को कायम रखना:** मासिक धर्म अवकाश नीति **लैंगिक रूढ़िवादिता और जैविक नियतिवाद की धारणाओं** को कायम रख सकती है, जैसे यह धारणा होना कि महिलाएं कार्यस्थल के लिए अयोग्य हैं। • **कर्मचारियों के बीच नाराजगी:** मासिक धर्म की छुट्टियों को समायोजित करने से कार्य बाधित हो सकता है, टीम के अन्य सदस्यों पर काम का बोझ बढ़ सकता है। • **नियोक्ता पर वित्तीय बोझ:** अतिरिक्त अवकाश का लाभ प्रदान करने से कंपनी की संचालन लागत में वृद्धि हो सकती है, इसका सबसे अधिक प्रभाव विशेष रूप से लघु व्यवसायों और स्टार्टअप पर पड़ सकता है। • **अनौपचारिक क्षेत्र में लागू करना:** अनौपचारिक श्रमिकों, फ्रीलांसरों और गिग श्रमिकों को अक्सर स्थायी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ता है। • **सामाजिक कलंक:** मासिक धर्म अवकाश का लाभ प्रदान करने के बावजूद भी सार्वजनिक रूप से मासिक धर्म के मुद्दों पर चर्चा को सामाजिक कलंक समझने के कारण महिला कर्मचारी लाभ लेने में झिझक महसूस कर सकती हैं।

भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति की स्थिति

- **राष्ट्रीय स्तर पर:** भारत में मासिक धर्म अवकाश को विनियमित करने वाला कोई **कानून नहीं** है और **भारत में 'सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश' के लिए कोई केंद्रीकृत दिशा-निर्देश भी नहीं है।**
  - **महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच विधेयक, 2022:** यह एक निजी विधेयक है, जो सरकार के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में तीन दिनों का **मासिक धर्म अवकाश** प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।
- **राज्य स्तर पर: 2023 में केरल सरकार** ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली महिला छात्रों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया।
- निजी कंपनियों जैसे **ज़ोमैटो, स्विगी, बायजूज** और कई अन्य कंपनियों ने सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया है, इस प्रकार उन्होंने बेहतर औद्योगिक उदाहरणों के लिए मानक स्थापित किए हैं।

मासिक धर्म अवकाश नीति पर वैश्विक पहलें

- **जापान (1947): श्रम कानून** के तहत मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की गई, जहाँ **अनुरोध पर** मासिक धर्म अवकाश दिया जाता है।
- **दक्षिण कोरिया (2001):** श्रम कानून के तहत मासिक **"फिजियोलॉजिकल अवकाश"** का प्रावधान करता है, जिसके तहत सभी महिला कर्मियों को हर महीने एक दिन की छुट्टी मिल सकती है।
- **मासिक धर्म अवकाश के प्रावधान वाले अन्य देश:** इंडोनेशिया, जाम्बिया, वियतनाम, ताइवान आदि।

आगे की राह

- **निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देना:** निजी कंपनियों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करके और उन्हें महिला भागीदारी को बढ़ावा देने से प्राप्त लाभों से अवगत करवाकर **मासिक धर्म अवकाश नीतियों को लागू** करना चाहिए।
- **कार्यस्थल पर लचीलापन प्रदान करना: ऐसे विकल्पों की तलाश करना जो** महिलाओं को कार्यस्थल पर **लचीलापन प्रदान कर सके** जैसे घर से काम करना, लचीली कार्य अवधि आदि।

- **कार्यस्थल पर मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देना:** स्वच्छता संबंधी सुविधाओं, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए स्थान, और सैनिटरी पैड, टैम्पोन, हीटिंग पैड जैसी आवश्यक आपूर्तियों का भंडारण सुनिश्चित करके **कार्यस्थल पर समावेशी वातावरण स्थापित करना चाहिए।**
- **शिक्षा व जागरूकता:** मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर शिक्षा व जागरूकता अभियानों के माध्यम से **मासिक धर्म से जुड़ी गलत मानसिकता को समाप्त करने का प्रयास** करना चाहिए।
- **मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति, 2023 के मसौदे को अपनाना:** इस नीति का उद्देश्य कमजोर और असहाय लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ मासिक धर्म के दौरान व्यापक सहायता प्रदान करना है।

मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति, 2023 का मसौदा

आवश्यकता

- **15-24 वर्ष आयु वर्ग की 78 प्रतिशत महिलाएं** हाइजेनिक मासिक धर्म प्रोटेक्शन का उपयोग करती हैं।
- उचित सुविधाओं के अभाव में प्रतिवर्ष 23 मिलियन लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। (एक गैर-सरकारी संगठन की 2014 की रिपोर्ट)

नीति की रणनीति

- **किफायती और सुरक्षित** मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना।
- **गुणवत्ता मानकों और विनियामकीय फ्रेमवर्क को बढ़ावा देना।**
- घरों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर **स्वच्छ और सम्मानजनक मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।**
- **मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना।**
- **गैर-सरकारी क्षेत्रक के साथ सहयोग/ निजी क्षेत्र के साथ संलग्नता/ भागीदारी को बढ़ावा** देना, ताकि **अनुसंधान और विकास,** नवाचार, वितरण चैनल के विकास, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का लाभ उठाने आदि में मदद मिल सके।
- **मासिक धर्म स्वच्छता के सिद्धांतों को मौजूदा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, लैंगिक और पर्यावरण कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना।**
- **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।**

1.1.3. STEM क्षेत्रक में महिलाएं (Women in STEM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन में STEM शिक्षा में महिलाओं और उनकी कार्यबल भागीदारी के बीच एक बड़े अंतर को उजागर किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **वैश्विक STEM कार्यबल:** STEM में महिलाओं की हिस्सेदारी 29.2% है, जबकि गैर-STEM नौकरियों में यह 49.3% है (ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023)।
- **भारत के STEM स्नातक:** भारत 42.6% महिला STEM स्नातकों के साथ सबसे आगे है, लेकिन STEM नौकरियों के मामले में केवल 27% (विश्व बैंक) की हिस्सेदारी है।
- **कारण:** जब STEM कार्यबल में महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे कम होने लगती है, तो उसे **'लीकी पाइपलाइन'** कहा जाता है। **'लीकी पाइपलाइन'** के मुख्य कारणों में **विवाह, प्रसव, पारिवारिक समर्थन की कमी, जेंडर-ब्लाइंड संस्थाएं** आदि शामिल हैं।

STEM क्षेत्रक में महिलाओं की आवश्यकता क्यों है?

- महिलाओं की भागीदारी से इस क्षेत्रक में **कुशल कार्यबल की कमी को दूर** किया जा सकता है।
- **तेजी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रत्येक जेंडर का प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- **जेंडर के आधार पर पारिश्रमिक में असमानता** को कम करने और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- महिलाओं को STEM क्षेत्रक में प्रभावी और प्रबंधकीय भूमिकाएं निभाने का अवसर मिलने से समाज की जेंडर संबंधी रूढ़ियां समाप्त हो सकती हैं। इससे **छात्राओं को STEM क्षेत्रक में करियर बनाने** के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

चुनौतियां

- **दोहरी भूमिका सिंड्रोम:** महिलाओं के व्यावसायिक जीवन के निर्णय काफी हद तक उनकी घरेलू जिम्मेदारियों से प्रभावित होते हैं।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव:** संगठन में प्रबंधन/ नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व होने के चलते कार्यस्थल पर उन्हें प्रदर्शन मूल्यांकन में लैंगिक पूर्वाग्रह/ भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

© Vision IAS

- **लैंगिक रूढ़िवादिता:** STEM क्षेत्र को सामान्यतः पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इस तरह की सोच भी विद्यमान है कि महिलाएं गणित और विज्ञान में बौद्धिक रूप से कमजोर होती हैं।
- **लाभों की कमी होना:** उपयुक्त कार्यस्थल का अभाव अथवा यात्रा भत्ता, आवास और मातृत्व लाभ जैसे अन्य लाभों का न होना भी महिलाओं को STEM में करियर बनाने से रोकता है।
- STEM क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए लड़कियों के पास इस क्षेत्र से जुड़े **रोल मॉडल्स की कमी** हैं।

आगे की राह

- **मेंटरशिप और सहायता:** प्रत्येक संगठन में स्थिर मेंटरशिप और सहायता नेटवर्क स्थापित करना।
- **समानता और समावेशन:** प्रत्येक संस्थान में **'समानता और समावेशन के लिए कार्यालय'** के निर्माण को अनिवार्य करना।
- **प्रतिनिधित्व:** यह सुनिश्चित करना कि महिला वैज्ञानिक करियर ड्राइव, भर्ती, बजट प्रस्तावों आदि से संबंधित पैनलों में मौजूद हों।
- **चाइल्डकेयर:** कैंपस में डे-केयर सेंटर स्थापित करना।
- **कार्यस्थल संस्कृति:** STEM में महिलाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक सहायक व समावेशी संस्कृति बनाना।
- **दूरस्थ अवसर:** STEM में महिलाओं के लिए अवसरों को अनलॉक करने के लिए ऑनलाइन सीखने, प्रमाणन और दूरस्थ कार्य को बढ़ावा देना।

1.1.4. भारत में महिला उद्यमी (Women Entrepreneurs in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) ने **'एट द हेल्म: विमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया[1]'** शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।

[1] At the Helm: Women Entrepreneurs Transforming Middle India

अन्य संबंधित तथ्य

- शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति और कार्यस्थल की स्थितियों में सुधार के लिए किए गए विधायी उपायों के बावजूद, विशेष रूप से टियर II और टियर III शहरों में **उद्यमिता के मामले में महिलाओं की भागीदारी सीमित बनी हुई** है।
- **भारत में 13.76% उद्यमी महिलाएं हैं (नीति आयोग)।**
- **भारत में GDP में महिलाओं का योगदान 17% है,** जो वैश्विक औसत 37% से काफी कम है।

मिडिल इंडिया में महिला उद्यमियों का महत्त्व

- **संधारणीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन:** नीति आयोग के अनुसार, भारत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर 30 मिलियन से अधिक महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का सृजन कर सकता है। इससे संभावित रूप से 150 से 170 मिलियन नौकरियों का सृजन होगा।
- **गरीबी उन्मूलन:** विश्व बैंक के अनुसार, भारत कार्यबल में 50% महिलाओं को शामिल करके अपनी GDP में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। इससे पारिवारिक आय में भी स्थायी वृद्धि सुनिश्चित होगी।
- **लैंगिक समानता:** महिला उद्यमी व्यवसाय जगत में जेंडर गैप को कम करने तथा जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने में सहयोग करती हैं।
- **रोल मॉडल और सामाजिक परिवर्तन की वाहक:** उदाहरण के लिए- माँ बम्लेश्वरी जनहितकारी समिति: यह फूलबासन यादव द्वारा प्रारंभ एक स्वयं-सहायता समूह है। यह समूह लगभग 2 लाख निर्धन महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- **महिला सशक्तीकरण:** उदाहरण के लिए- उषा झा, जिन्हें पटना में लोग प्यार से 'उषा आंटी' के नाम से बुलाते हैं। वह उद्यमी बनने की चाह रखने वाली महिलाओं को सहयोग प्रदान करती हैं।

मिडिल इंडिया में महिला उद्यमियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **पूंजी की कमी:** सर्वेक्षण में शामिल महिला उद्यमियों में से केवल 3% ने ही अपना व्यवसाय प्रारंभ करने या व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक ऋण या इक्विटी निवेश जैसे बाह्य वित्त-पोषण का लाभ उठाया था।
- **डेटा गैप:** जेंडर-आधारित पृथक आंकड़ों के अभाव में निवेशक या ऋणदाता अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग नहीं कर पाते है।
- **विजिबिलिटी अंतराल:** सामाजिक स्तर पर महिलाओं के काम को कम आंकना।
- **नेटवर्क गैप:** विवाह के कारण ससुराल में बस जाने या कहीं और शिफ्ट होने के बाद महिलाओं को अपने पुराने सामाजिक संबंधों को पुन: स्थापित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बाधा से प्रायः करियर की प्रगति धीमी हो जाती है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को नए सिरे से बनाने में अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है।
- **देखभाल संबंधी जिम्मेदारियां:** महिला उद्यमियों को परिवार की देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों, मातृत्व अवकाश और अन्य पारिवारिक देखभाल की जरूरतों के कारण अपने करियर में रुकावटों का सामना करने की अधिक संभावना होती है।

आगे की राह और श्वेत पत्र में की गई नीतिगत सिफारिशें

- **जेंडर आधारित अलग-अलग डेटा का उपयोग:** रूढ़िवादी दृष्टिकोण से निपटने, महिला उद्यमिता में रुचि उत्पन्न करने और डेटा के आधार पर प्रभावी नीतिगत उपायों के लिए सूक्ष्म स्तर पर जेंडर आधारित डेटा की आवश्यकता है।
- इन उपलब्धियों को हासिल कर चुकी **स्थानीय रोल मॉडल महिला उद्यमियों का उपयोग** एक समर्थकारी माहौल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **पूंजी की उपलब्धता:** अधिक इनोवेटिव क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए महिलाओं के पास विशेषज्ञता या महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है। इसलिए पूंजी की उपलब्धता प्रदान करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए- **WTO द्वारा वीमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी (WEIDE) फंड।**
- **घरेलू कार्य के साथ-साथ उद्यम और व्यावसायिक भवन उपलब्ध कराना:** कई महिलाएं घर से ही कार्य करने के कारण अपने उद्यमों का विस्तार करने में असमर्थ होती है। प्रायः वह अपनी सुविधा एवं सामर्थ्य के अनुरूप ही उद्यमों का परिचालन करती हैं।
- **अधिक उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली:** महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए PSL[2] लक्ष्यों से आगे बढ़ना होगा। इसके लिए अधिक समावेशी निवेश और ऋण के लिए मुख्य निष्पादन संकेतकों (KPIs) को निर्धारित करना एक प्रभावी नीतिगत दृष्टिकोण हो सकता है।

[2] Priority Sector Lending/ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण

1.1.5. रक्षा बलों में महिलाएं (Women in Defence Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन आर्मी से कहा है कि वह कर्नल से लेकर ब्रिगेडियर के पद तक महिला अधिकारियों की पदोन्नति पर विचाराधीन नीति को अंतिम रूप दे।

रक्षा बल में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

- **स्थायी कमीशन (Permanent Commission: PC):** थल सेना में 12 शाखाओं और सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है।
    - **सचिव (रक्षा मंत्रालय) बनाम बबीता पुनिया और अन्य वाद (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पुरुष समकक्षों के समान महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमांड नियुक्तियां (सीनियर ग्रेड) देने का निर्देश दिया।
- **कमांड नियुक्तियां:** थल सेना में कर्नल (सिलेक्ट ग्रेड) रैंक के लिए भी महिला अधिकारियों पर विचार किया जा रहा है।
- **नए अवसर:** आर्मी सेना ने महिला अधिकारियों के लिए सेना विमानन कोर में पायलट के रूप में सेवा करने के रास्ते खोल दिए हैं।
- **जहाजों पर:** भारतीय नौसेना में युद्धपोतों पर भी महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है।
- **IAF में लड़ाकू भूमिकाएं:** 2015 में IAF द्वारा शुरू की गई योजना को वर्ष 2022 में एक स्थायी योजना के रूप में नियमित किया गया।
- **महिला अग्निवीर:** अग्निपथ योजना के एक भाग के रूप में, भारतीय नौसेना में पहले बैच से ही महिलाओं को अग्निवीर के रूप में शामिल किया गया है।

रक्षा बलों में महिला कार्मिकों का महत्त्व

- **लैंगिक समानता और समावेशन:** इससे सैन्य बलों में समानता के मूल्यों को बनाए रखा जा सकता है। साथ ही, इससे **संविधान के अनुच्छेद 14,15 व 16 के अनुरूप नियोजन में समान तथा बिना भेदभाव के अवसर सृजित** होते हैं।
- **प्रतिभाओं का समावेश और भर्ती:** साइबर युद्ध और डिजिटल क्षमताओं से लैस हथियारों के युग में **महिलाएं हथियारों को दक्षतापूर्वक संभाल** सकती हैं।
- **रोल मॉडल और मेंटरशिप:** स्थायी कमीशन वाली महिला कार्मिक युवा लड़कियों को **पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान रहे क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित** कर सकती हैं।
- **मानवीय और शांति स्थापना मिशन:** महिलाएं शांति मिशनों के दौरान स्थानीय आबादी की पीड़ाओं को आसानी से समझकर शांति पुनर्बहाली में मदद कर सकती हैं। विशेष रूप से वे उन समाजों में ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती हैं, जहां **सांस्कृतिक मानदंड महिलाओं को पुरुष सैनिकों के साथ बातचीत करने से रोकते** हैं।
    - 2007 में, भारत लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पूर्णतः महिला दल तैनात करने वाला पहला देश बना।

आगे की राह

- **प्रशिक्षण और शिक्षा:** पूर्वाग्रहों को दूर करने और विविधता को बढ़ावा देने के लिए सैन्य कर्मियों हेतु जेंडर-संवेदनशील प्रशिक्षण लागू करना।
- **भेदभाव का समाधान:** रिपोर्टिंग के लिए संसाधन प्रदान करना, शिकायतों की तुरंत जाँच करना और उत्पीड़न या भेदभाव के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **पर्याप्त आवास:** महिला सैन्य कर्मियों की भलाई और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

- **युद्ध भूमिकाओं में वृद्धि:** महिलाओं को फ्रंट-लाइन कॉम्बैट पदों पर नियुक्त करना जैसा कि अमेरिका, इज़राइल और अन्य देशों में होता है।
- **परिवार सहायता कार्यक्रम:** उदाहरण के लिए, भारतीय नौसेना में पति-पत्नी की एक जगह नियुक्ति, मातृत्व अवकाश के प्रावधानों के साथ अन्य प्रकार की छुट्टियों (जैसे- वार्षिक, फ़र्लो, चाइल्ड केयर लीव) के प्रावधान।

1.2. केयर इकोनॉमी (Care Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने **"फॉर्म्यूलेटिंग ए स्ट्रेटेजी फॉर इंडियाज केयर इकोनॉमी: अनलॉकिंग अपॉर्च्यूनिटीज"** शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की।

केयर इकोनॉमी के बारे में

- केयर इकोनॉमी को **पर्पल इकोनॉमी** के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऐसे **सभी पारिश्रमिक और बिना-पारिश्रमिक वाले श्रम व सेवाएं** शामिल हैं, जो सभी प्रकार के देखभाल कार्यों में सहयोग करते हैं। इनमें **घरेलू कार्य; बच्चों और बुजुर्गों जैसे परिवार के सदस्यों की देखभाल करना अथवा बीमार या दिव्यांग जनों की देखभाल** करना शामिल है।
- **वैश्विक स्तर पर, 249 मिलियन महिलाएं और 132 मिलियन पुरुष** देखभाल वाले कार्यबल में शामिल हैं।
- कुल **अवैतनिक देखभाल कार्य का लगभग 76.2% महिलाओं द्वारा किया जाता है।**

औपचारिक केयर इकोनॉमी की आवश्यकता क्यों?

- **बढ़ती मांग:** बढ़ती आबादी, समाज में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या, बदलती पारिवारिक संरचना और सामाजिक नीतियों में कमियां।
    - 2050 तक वृद्धजनों का अनुपात **बढ़कर 20.8% होने की उम्मीद है** (इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023)।
- **महिला सशक्तीकरण:** अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों में **व्यापक लैंगिक अंतर** सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 15%-17% के बराबर आर्थिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- **सुरक्षित कार्यस्थल:** सुरक्षित परिवेश का निर्माण, न्यूनतम मजदूरी सहित श्रम विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, अवैतनिक देखभाल कार्य के लिए अधिक मूल्य का सृजन करना, आदि।
- **सामाजिक सामंजस्य:** देखभाल संबंधी नीतियों, सेवाओं और देखभाल नौकरियों में एकीकृत एवं परिवर्तनकारी निवेश लोगों की भलाई और सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है।

केयर इकोनॉमी से जुड़ी चुनौतियां

- **स्पष्ट परिभाषा का अभाव:** यह देखभाल कर्मियों की पहचान और केयर इकोनॉमी के **औपचारीकरण पर प्रभाव डालता है।**
- **असंगत बोझ:** भारत में, महिलाएं और लड़कियां घर के कामकाज, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और अन्य घरेलू कार्यों में अधिकांश समय (75% से अधिक अवैतनिक देखभाल घंटे) लगाती हैं।

 © Vision IAS

- **कम व्यय:** केयर इकोनॉमी पर सार्वजनिक व्यय **सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम** है।
- **कम वेतन:** उदाहरण के लिए- भारत की 2.5 मिलियन महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs), ANMs और आशा कार्यकर्ताओं को कई राज्यों में निश्चित मासिक वेतन नहीं दिया जाता है।
- **औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव:** देखभाल कर्मियों के लिए अपर्याप्त व्यावसायिक विकास के अवसर करियर में उन्नति को सीमित करते हैं और प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- **मानकों और विनियमनों का अभाव:** इससे **निजी देखभाल सेवा वितरण में खतरा उत्पन्न हो सकता है**, क्योंकि सेवा प्रदाता अपनी इच्छानुसार सेवाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे देखभाल कर्मी असुरक्षित रह जाते हैं।

आगे की राह

- **केयर इकोनॉमी में राज्य की भागीदारी:** राज्य को **देखभाल की जिम्मेदारी को स्थानांतरित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता** है। यह जिम्मेदारी **परिवारों से राज्य तक स्थानांतरित** करना चाहिए।
- **ILO द्वारा डिसेंट देखभाल कार्य के लिए 5R फ्रेमवर्क:**
    - देखभाल के मूल्य को **पहचानना (Recognize)।**
    - महिलाओं और लड़कियों द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक देखभाल कार्यों के अनुपातहीन हिस्से को **कम करना (Reduce)।**
    - घरों, समुदायों, कार्यस्थल और राज्य स्तर पर महिलाओं एवं पुरुषों के बीच देखभाल की जिम्मेदारियों को समान रूप से **पुनः वितरित करना (Redistribute)।**
    - प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य के लिए डिसेंट कार्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करके वेतनभोगी देखभाल कर्मियों को **पुरस्कृत करना और उनका प्रतिनिधित्व करना (Reward and represent)।**
- **मातृत्व और पितृत्व अवकाश नीतियों** को लागू करने के लिए **MSMEs/ स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन** के रूप में मदद दी जानी चाहिए। इन्हें **बाजार से वित्त-पोषण** की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
- बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGO) तथा स्वयं सहायता समूहों (SHG) को **सब्सिडी** दी जानी चाहिए।
- **केयर अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **बेहतर देखभाल सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रक कौशल परिषद** जैसी संस्था स्थापित करनी चाहिए, डेटा के संग्रह पर ध्यान देना चाहिए आदि।

1.3. महिलाओं के खिलाफ हिंसा: एक नज़र में (Violence Against Women at a Glance)

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

प्रमुख आंकड़े और तथ्य

2021 की तुलना में 2022 में **महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि** हुई	**आंकड़े:** पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (31.4%); महिलाओं की अस्मिता का क्षरण करने के इरादे से किए जाने वाले हमले (18.7%), और बलात्कार (7.1%)	दहेज निषेध अधिनियम के तहत 13,479 मामले दर्ज किए गए

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने से संबंधित कानून

- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 {Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986}
- अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए किए गए प्रयास:

- **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट:** बलात्कार और POCSO अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों की समयबद्ध सुनवाई और निपटान के लिए।
- **निर्भया फंड:** महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित गैर–व्यपगत निधि।
- **वन स्टॉप सेंटर:** सार्वजनिक और निजी, दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए।
- **सेक्शुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (SHe–Box):** यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण की सुविधा के लिए।
- **"मिशन शक्ति" सहित इसकी दो उप–योजनाएं:**
  - महिलाओं की सुरक्षा के लिए **'संबल'**: वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन (WHL), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, **नारी अदालतें**, आदि।
  - महिला सशक्तीकरण के लिए **'सामर्थ्य'**: उज्ज्वला, स्वाधार गृह कामकाजी महिला छात्रावास, राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना, आदि।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उपाय

- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CEDAW, 1979)
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र (1993)
- बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BPfA)
- सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा (SDG 5)

© Vision IAS

1.3.1. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निदान) अधिनियम, 2013 {Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) (POSH) Act, 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

POSH अधिनियम यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निदान) अधिनियम, 2013 के लागू हुए **10 वर्ष** हो गए हैं।

POSH अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम **विशाखा वाद (1997) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश** के अनुरूप है। इस कानून का उद्देश्य **लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त कार्यदशा सुनिश्चित करके "कार्यस्थल पर महिलाओं के समानता का अधिकार" सुनिश्चित** करना है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **परिभाषाएं:**
  - **पीड़ित महिला (Aggrieved Woman):** इसमें वे सभी पीड़ित महिलाएं शामिल हैं जो नियमित, अस्थायी, तदर्थ रूप में या दैनिक मजदूरी (दिहाड़ी) पर कार्य करती हैं तथा कार्यस्थलों पर जाती हैं। इनमें छात्राएं भी शामिल हैं।
  - **कार्यस्थल:** इसमें सरकारी संगठन, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), घर, निजी कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान, फार्म आदि शामिल हैं।
  - **कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न:** इसमें कई प्रकार के अवांछित कृत्य शामिल हैं। जैसे-
    - **शारीरिक संपर्क** और यौन प्रस्ताव,
    - **सेक्सुअल फेवर** की मांग या अनुरोध करना,
    - **महिला कर्मी पर अभद्र या कामुक टिप्पणियां** करना,
    - महिला कर्मी को अश्लील या सेक्सुअल सामग्री दिखाना, आदि।
- **शिकायत निवारण समितियां:** सभी शिकायत निवारण समितियों में कम से कम **50 प्रतिशत** सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।
  - **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)**[3]**:** नियोक्ताओं के लिए यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर ICC का गठन करना आवश्यक है।
  - इस समिति का अध्यक्ष कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में से **वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत कोई महिला** होंगी।
  - **स्थानीय शिकायत समिति (LCC)**[4]**:** राज्यों को प्रत्येक जिले में **LCC का गठन करना होगा।** यह समिति **10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों** से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करेगी, या नियोक्ताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायत दर्ज करेगी।

POSH अधिनियम की उपलब्धियां/ परिणाम

- **लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्टिंग में वृद्धि: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, **2014 से 2017 तक दर्ज मामलों की संख्या में 54 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
- **महिला सशक्तीकरण:** इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कानूनी संरक्षण से महिलाओं के लिए **सुरक्षित और अधिक अनुकूल कार्यस्थल माहौल** बनाने में मदद मिली है। इससे उन्हें अपने **अधिकारों का बेहतर उपयोग करने की सुविधा** प्राप्त हुई है।
- **नियोक्ताओं की जवाबदेही में वृद्धि:** इस अधिनियम को लागू करने में नियोक्ताओं की भूमिका पर अधिक बल दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य माहौल तैयार करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है।
- **जागरूकता में वृद्धि:** POSH अधिनियम पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **"एक हैंडबुक और प्रशिक्षण मॉड्यूल"** जारी किया है। ऐसी पहलों से महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने में मदद मिली है।

अधिनियम के कार्यान्वयन में मौजूद चुनौतियां

- **ICC का गठन नहीं करना:** सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि देश के 30 में से 16 राष्ट्रीय खेल महासंघों ने अभी तक ICC का गठन नहीं किया है।
  - इसके अतिरिक्त, मई 2023 में, **सुप्रीम कोर्ट** ने आंतरिक शिकायत समिति द्वारा POSH अधिनियम को लागू करने में **गंभीर कमियों और अनियमितताओं का उल्लेख** किया था।

[3] Internal Complaints Committee

[4] Local Complaints Committee

- **निगरानी का अभाव:** सरकार ने 2019 में संसद को सूचित किया था कि वह कार्यस्थलों पर **महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं** रखती है।
- **सभी महिलाओं द्वारा कानून का उपयोग नहीं कर पाना: अनौपचारिक क्षेत्रक** में कार्य करने करने वाली महिला कामगार इस **कानून का उपयोग नहीं कर पाती** हैं। गौरतलब है कि भारत की लगभग 80% कामगार महिला अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती हैं।
- **मामलों की कम रिपोर्टिंग:** रोजगार खोने का भय, ठोस सबूत की आवश्यकता जैसे कारणों से अभी भी यौन उत्पीड़न की सभी घटनाओं की शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है।
- **कानून में स्पष्टता का अभाव:** यौन उत्पीड़न के मामले की शिकायत किसके पास दर्ज कराई जाए, इसके बारे में जागरूकता का अभाव है। साथ ही, इस तरह के मामलों में पूछताछ की कार्यवाही कैसे की जाए, इस पर भी स्पष्टता का अभाव है आदि।

आगे की राह

- **कानून लागू करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:**
    - सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों आदि ने **आंतरिक शिकायत समितियों** का गठन किया है अथवा नहीं, इसे सत्यापित करने के लिए **समय सीमा के भीतर निरीक्षण** करना चाहिए।
    - नियोक्ताओं को अपने यहां गठित **समिति का विवरण** अपनी वेबसाइट्स पर डालना चाहिए।
    - अधिकारियों/ नियोक्ताओं को अपने यहां गठित समिति के सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए **नियमित रूप से ओरिएंटेशन कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित करने चाहिए।
- **तकनीक की मदद लेना:** रिपोर्टिंग और शिकायत के निवारण में गोपनीयता बरतने, साक्ष्य को सुरक्षित रूप से दर्ज करने के मामले में तकनीकी समाधानों की मदद ली चाहिए।

1.4. प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस (Pro-Life Vs. Pro-Choice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला के 26 सप्ताह से अधिक के तीसरे गर्भ का समापन कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले ने भारत में महिलाओं के जनन अधिकारों के संबंध में **प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस** वाद-विवाद को जन्म दिया है।

प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस वाद-विवाद

प्रो-लाइफ	प्रो-चॉइस
प्रो-लाइफ समर्थकों का कहना है **जन्म देने और जीवन प्रदान करने संबंधी महिलाओं की क्षमता का समाज को सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी महिला को गर्भ के समापन के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए।**	प्रो-चॉइस समर्थकों का कहना है **कि गर्भधारण करना है या नहीं** और **गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देना है या नहीं, यह तय करना महिलाओं का मूलभूत मानवाधिकार है।**
प्रो-लाइफ के पक्ष में तर्क • **मानव जीवन की शुचिता:** जीवन की शुरुआत गर्भधारण से होती है, इसलिए गर्भ का समापन एक प्रकार से हत्या करने के समान है। • **लिंग चयन पर आधारित गर्भ का समापन:** गर्भ के समापन की अनुमति देने से यह संभावना है कि यह **नियोजित पितृत्व (Planned Parenthood)** का हिस्सा बन सकता है। इससे **लिंग चयन पर आधारित गर्भ के समापन** का मार्ग खुल सकता है। • **गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता:** माता-पिता के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए सामाजिक और पारिवारिक समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए, न कि गर्भ का समापन किया जाना चाहिए। • **धार्मिक और नैतिक विश्वास:** कई प्रो-लाइफ समर्थकों के विचार धार्मिक या नैतिक मान्यताओं पर आधारित हैं जिसमें गर्भ समापन को नैतिक रूप से अस्वीकार्य माना गया है। • **भ्रूण के विकास की समझ में प्रगति:** चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, गर्भ धारण की अवधि के दौरान फीटल वायबिलिटी (Foetal viability) समय से पूर्व हो गई है।	**प्रो-चॉइस के पक्ष में तर्क** • **शारीरिक स्वायत्तता:** गर्भ के समापन पर रोक लगाना वस्तुतः एक महिला की **दैहिक संप्रभुता** और **जनन अधिकारों का उल्लंघन** है। • **मानसिक स्वास्थ्य:** अनैच्छिक गर्भधारण माता-पिता के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। साथ ही, अनैच्छिक जन्म से बच्चे के पालन-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। • **अपवाद के रूप में विशेष मामले:** प्रो-चॉइस का समर्थन करने वाले वैवाहिक बलात्कार और यौन अपराधों के चलते अनैच्छिक गर्भधारण के मामले में या माँ के जीवन को खतरे में डालने वाले मामलों में गर्भ के समापन को जायज ठहराते है। • **परिवार नियोजन:** महिलाओं को बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं इसके बारे में विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए। इससे बेहतर परिवार नियोजन में मदद मिल सकती है। • **सामाजिक प्रभाव**: वित्तीय कठिनाइयों, गरीबी आदि के कारण अनैच्छिक गर्भधारण के मामलों से परिवार विघटित हो सकते हैं।

© Vision IAS

भारत में प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस वाद-विवाद

- MTP अधिनियम, 1971 के अनुसार, **भारत में गर्भ समापन एक अर्हताप्राप्त अधिकार (Qualified right) है।** अतः इसे केवल किसी महिला के अनुरोध के आधार पर नहीं किया जा सकता है।
- न्यायपालिका ने विधायी ढांचे के तहत **अजन्मे बच्चे के कल्याण को स्वीकार किया है। साथ ही, महिलाओं की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए सावधानीपूर्वक, करुणामय और सूक्ष्म विचारों को भी अपनाया गया है।**
- इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि **पंजीकृत चिकित्सकों को** गर्भ समापन की इच्छुक **महिलाओं पर अतिरिक्त कानूनी शर्तें थोपने से बचना चाहिए।**

गर्भ का चिकित्सीय समापन (MTP) (संशोधन) अधिनियम, 2021:

- यह निम्नलिखित मामलों में गर्भ के समापन की अनुमति देता है:
  - **20 सप्ताह तक की गर्भावधि:** केवल एक चिकित्सक की सलाह पर गर्भ के समापन का अधिकार सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
  - **20 से 24 सप्ताह तक की गर्भावधि:** इस दौरान कम-से-कम **दो चिकित्सकों की सलाह पर** और **केवल निम्नलिखित दो परिस्थितियों** में ही गर्भ के समापन की अनुमति है:
    - **बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा होने पर;** और
    - **गर्भवती महिला के जीवन के समक्ष खतरा होने पर।**
  - **24 सप्ताह से अधिक की गर्भावधि:** इस दौरान भ्रूण की विकृति के आधार पर और केवल **मेडिकल बोर्ड** की सलाह पर ही गर्भ के समापन का अधिकार उपलब्ध है।
- 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि MTP अधिनियम के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होगा।
  - सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित और एकल महिलाओं को 24 सप्ताह तक के गर्भ की सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार भी दिया।

आगे की राह

- **यौन शिक्षा:** बच्चों और किशोरों को **उम्र के अनुरूप यौन शिक्षा** प्रदान की जानी चाहिए। इसमें बच्चों और किशोरों को **रिश्तों, प्रजनन संबंधी जागरूकता और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित** करना शामिल है।
- **प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवा:** इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को स्थापित करना और उनका विस्तार करना चाहिए कि **"हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हर बच्चे का जन्म सुरक्षित तरीके से हो, साथ ही हर लड़की और महिला के साथ गरिमा/ सम्मान से व्यवहार किया जाए"।**
- **कार्यस्थल:** लैंगिक भेदभाव किए बिना **समान काम के लिए समान वेतन, बेहतर वेतन वाला मातृत्व-पितृत्व अवकाश, रियायती बाल देखभाल** जैसी पहलें गर्भ समापन के मामलों को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं।

1.5. सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 {Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** में **संशोधन** कर **सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- मार्च, 2023 में **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** में एक संशोधन किया गया, जिसने **दाता युग्मकों (Donor gametes) के उपयोग पर रोक लगा दी गई थी।** संशोधन में कहा गया था कि सरोगेसी के जरिए बच्चा प्राप्त करने के लिए इच्छुक दंपति के मामले में इच्छुक दंपति (पुरुष और महिला) में किसी एक का युग्मक (शुक्राणु और अंडाणु) होना अनिवार्य है।
  - सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के **नियम 7** के तहत **दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध** लगा हुआ था।
- 2024 में **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** में किया गया हालिया संशोधन **एक दाता युग्मक का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति** देता है।
  - यदि **जिला चिकित्सा बोर्ड** यह प्रमाणित करता है कि **इच्छुक दंपत्ति** चिकित्सकीय रूप से संतान पैदा करने में असमर्थ है तथा उसे किसी अन्य **डोनर** के **युग्मक (शुक्राणु या अंडाणु)** की आवश्यकता होगी, तो ऐसे में डोनर से प्राप्त युग्मक (Gamete) का उपयोग करके सरोगेसी की जा सकती है। हालांकि, सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपत्ति में से किसी न किसी एक का युग्मक जरुर होना चाहिए।

भारत में सरोगेसी कानून

- **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021**
  - इसमें **केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति प्रदान की गई है** एवं व्यावसायिक या वाणिज्यिक सरोगेसी को अपराध की श्रेणी में डाला गया है।
  - अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने तथा राज्य ARTSB (SARTSB) आदि के कामकाज की निगरानी करने के लिए **नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड (NARTSB)** की स्थापना की गई।
  - **सरोगेट मां के लिए पात्रता मानदंड:**
    - सरोगेट बनने वाली महिला विवाहित होनी चाहिए एवं उसका **अपना एक बच्चा** भी हो। इसके अलावा उसकी **आयु 25 से 35 वर्ष** के बीच होनी चाहिए;
    - कोई महिला **अपने जीवनकाल में केवल एक ही बार सरोगेट मां बन सकती है;**
    - सरोगेसी के लिए **चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।**
  - **दंपत्ति के लिए पात्रता मानदंड:**
    - यदि उनकी **शादी को पांच वर्ष** हो गए हैं, **पत्नी की आयु 25-50 वर्ष** के बीच है और **पति की आयु 26-55 वर्ष** के बीच है।
    - दंपत्ति के पास कोई जीवित बच्चा (बायोलॉजिकल, गोद लिया हुआ या सरोगेट) नहीं होना चाहिए।
    - यदि दंपत्ति में से कोई एक साथी बांझपन से पीड़ित है तो **जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित 'आवश्यक' प्रमाण पत्र** होना चाहिए। साथ ही, **मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित सरोगेट बच्चे के माता-पिता और अभिरक्षा का आदेश होना चाहिए।**
    - **सरोगेट मां हेतु 36 महीने के लिए बीमा कवरेज होना चाहिए,** जो किसी भी प्रसव उपरांत जटिलताओं को कवर करता हो।
  - सरोगेट बच्चे के **गर्भपात के लिए सरोगेट मां की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति** की आवश्यकता होती है। यह अनुमति **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के अनुरूप** होनी चाहिए।
- **सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (ART अधिनियम)**
  - इसका उद्देश्य **ART क्लीनिकों और बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण** करते हुए दुरुपयोग को रोकना है। साथ ही, प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए ART सेवाओं का सुरक्षित और नैतिक प्रयोग सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
  - यह **सरोगेसी के उपचार को अपने दायरे में लाता है और इसलिए सरोगेट मां के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित** करता है।
- **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के अन्य मुख्य प्रावधान:**
  - सरोगेट मां पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के **प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं** होनी चाहिए।
  - मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 के अनुसार **सरोगेट मां को सरोगेसी के दौरान गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है।**

सरोगेसी विनियमन पारितंत्र से जुड़ी चुनौतियां

- **पुनः कार्रवाई/ अपील प्रक्रिया (Re-course) का अभाव:** सरोगेसी आवेदन खारिज होने की स्थिति में **समीक्षा या अपील करने की कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई** है।
- **परस्पर विरोधी कानून:** भारत में **ART क्लीनिकों की मान्यता, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए ICMR के राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (2005)** भ्रूण तथा युग्मक के **पांच वर्ष तक भंडारण की अनुमति देते है।**
- **अस्पष्टता:** सरोगेट मां इच्छुक दंपत्ति के करीबी रिश्तेदारों में से होनी चाहिए। हालांकि, **इस बात पर स्पष्टता का अभाव है कि करीबी रिश्तेदार किसे कहा जा सकता है।**

- **निजता का अधिकार:** भारत में, सरोगेसी को अभी भी बच्चे के जन्म के **एक अनैतिक और अप्राकृतिक रूप में देखा जाता** है। **इच्छुक दंपत्ति और सरोगेट माँ की निजता सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रक्रिया की कमी है** जो शर्मिंदगी का कारण बन सकती है।
- **बांझपन की परिभाषा में स्पष्टता का अभाव:** हालांकि, **परिभाषा में 9 महीने तक बच्चे को गर्भधारित रखने में असमर्थता, गर्भाशय में एकाधिक फाइब्रॉएड जैसे मामले शामिल नहीं हैं,** जिनके कारण कोई दंपत्ति बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो सकता है।

आगे की राह

- **जागरूकता:** सरोगेट माताओं के शोषण को समाप्त करने के लिए उन्हें **उनके अधिकारों और उनकी सूचित सहमति प्राप्त करने हेतु संबंधित जोखिमों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है।**
- **स्पष्टता: करीबी रिश्तेदारों, बांझपन जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।**
- **शिकायत निवारण:** सरोगेसी आवेदन खारिज होने की स्थिति में समीक्षा या अपील की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए एक निवारण तंत्र बनाया जाना चाहिए।

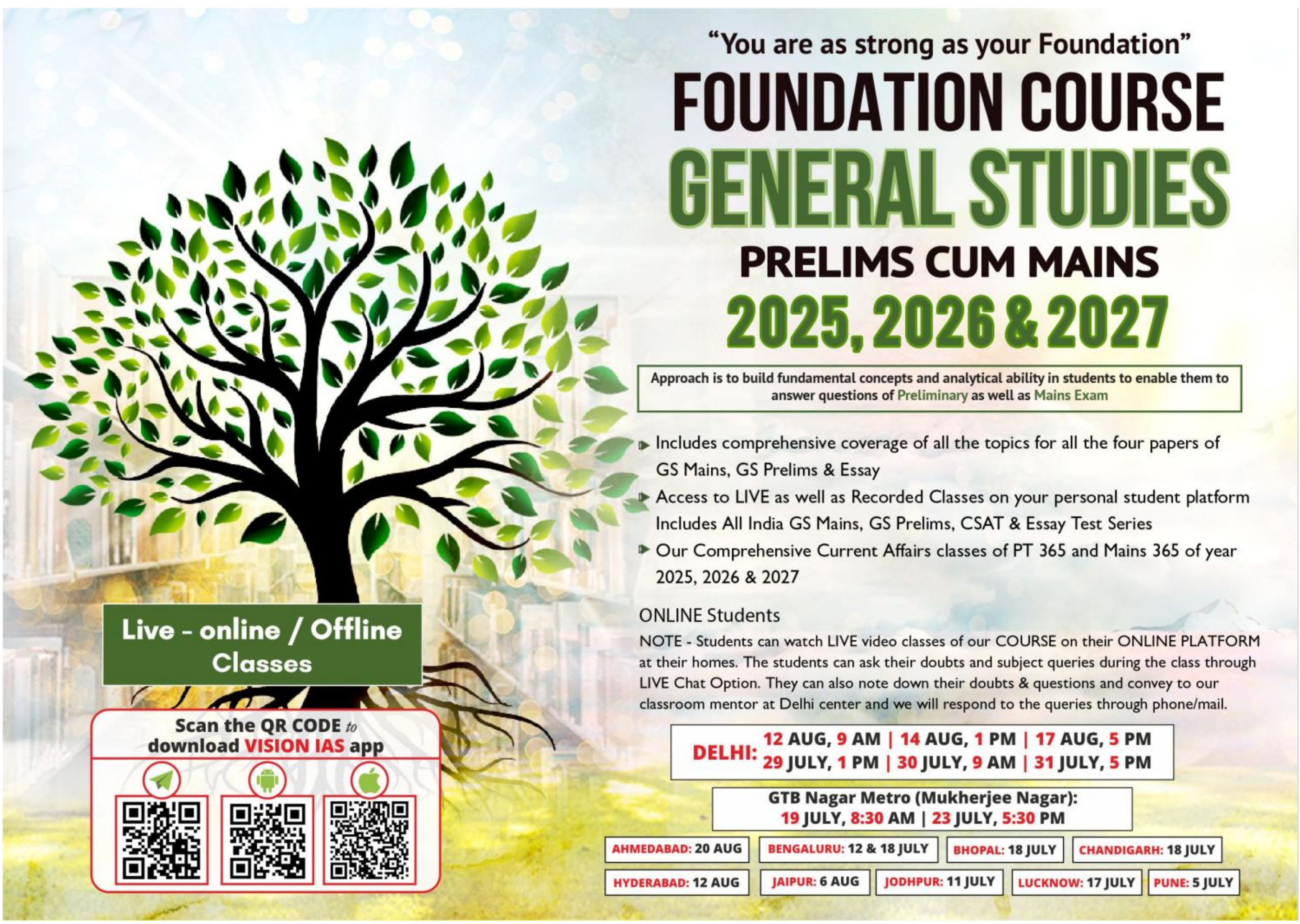

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

2. बच्चे (Children)

2.1. बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का अधिक उपयोग (Children's Prolonged Usage of Social Media)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, **60% शहरी बच्चे सोशल मीडिया तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिदिन 3 घंटे व्यतीत** करते हैं।

बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच में अलग-अलग हितधारकों की भूमिका

- **अभिभावक:** आधुनिक समाज (विशेष रूप से शहरी समाज) में माता-पिता दोनों ही लगभग कामकाजी होते हैं। इस कारण वे अपने **बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं** दे पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान आधुनिक समाज में **"आईपैड किड"** जैसी एक नवीन अवधारणा विकसित हो रही है।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम):** ये प्लेटफॉर्म्स डेटा माइनिंग एवं विश्लेषण की मदद से, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी प्रवृत्ति/ रूचि के अनुसार कंटेंट प्रसारित करते हैं।
  - **उदाहरण:** स्क्रीन से आने वाले प्रेरक जैसे रंग, ध्वनि तथा कहानियां बहुत तेजी से बदलते हैं। ये बदलाव बच्चों में संवेदनात्मक भावों को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। इससे बच्चों में **खुशी के हार्मोंस का स्राव होने लगता है।**
- **विद्यालय:** कोविड-19 महामारी ने शिक्षा को तीव्रता से डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म्स में परिवर्तित कर दिया है। बहुत शीघ्र हुए इस परिवर्तन के कारण डिजिटल शिक्षण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में आवश्यक जागरूकता का प्रसार नहीं हो सका है।
  - **उदाहरण:** महामारी के दौरान और बाद में भी कक्षा कार्य व गृह कार्य ऑनलाइन करवाया जाता था। इस कारण माता-पिता व अभिभावकों पर भी तकनीकी डिवाइस खरीदने का आर्थिक बोझ पड़ गया था।
- **बच्चे:** डिजिटल विश्व बच्चों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों तथा तनावों से बचने के लिए एक सहायक के रूप में आकर्षित करता है।
  - बच्चों पर नई तकनीक तथा नवीनतम गेम और एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए मित्र समूह का भी दबाव होता है।
- **सरकार:** वयस्कों तथा बच्चों के लिए अलग-अलग विनियमन तंत्र का अभाव है।

बच्चों पर सोशल मीडिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव

सकारात्मक	नकारात्मक
• **संज्ञानात्मक कौशल:** कई सोशल मीडिया एप्लीकेशंस खेलों के माध्यम से पढ़ने, लिखने, गणना करने आदि कौशल सीखने में सहायता कर सकती हैं। • **सार्वभौमिक मूल्य:** विश्व भर के लोगों से अंतर्क्रिया के दौरान बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करने, सार्वभौमिक नैतिकता व सार्वभौमिक मूल्यों का आदर करने जैसे मूल्य का विकास हो सकता है। • **सामाजिक कौशल:** सोशल मीडिया विविध लोगों के साथ सुगमतापूर्वक संचार तथा बातचीत करने की सुविधा प्रदान करता है। • **रचनात्मकता:** बच्चे कला, लेखन या वीडियो कंटेंट जैसे अलग-अलग माध्यमों से अपनी रचनात्मकता व्यक्त करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं तथा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। • **सूचनाओं तक आसान पहुंच:** सोशल मीडिया विविध विषयों पर प्रचुर मात्रा में जानकारी प्रदान कर सकता है।	• **साइबर बुलिंग तथा ऑनलाइन उत्पीड़न:** बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बुलिंग, उत्पीड़न या बहिष्कार के शिकार हो सकते हैं। इससे भावनात्मक तनाव, चिंता, यहां तक कि अवसाद जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। • **फेक न्यूज:** सोशल मीडिया तेजी से सूचना के प्रसार को सक्षम बनाता है। • **सामाजिक संबंधों में कमी:** बच्चे आसपास के लोगों से आमने-सामने मिलने में तनाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही, अन्य लोगों से संवाद करने के लिए सोशल मीडिया के आदी हो सकते हैं। • **गलत मूल्यों का विकास:** अनियंत्रित स्क्रीन टाइम अवांछनीय मूल्यों जैसे कि स्त्री-द्वेष, बुलिंग और आत्म-क्षति को बढ़ावा दे सकता है। • **वास्तविक व ऑनलाइन रियलिटी में पहचान करने में असमर्थता:** बच्चों में ऑनलाइन रियलिटी व वास्तविक रियलिटी में भेद करने की क्षमता सीमित होती है। • **फेसबुक डिप्रेशन:** बच्चों को पर्याप्त लाइक्स न मिलने तथा कथित ऑनलाइन समर्थन खोने का डर रह सकता है। • **स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताना:** इससे शारीरिक गतिविधियों में कमी, कम नींद आना तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

© Vision IAS

स्क्रीन टाइम से जुड़ी चिंताओं से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशा– निर्देश:** WHO ने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि, गतिहीन जीवनशैली और नींद पर दिशा– निर्देश जारी किए हैं।
- **मनोदर्पण पहल:** भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक हित के लिए छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।
- **महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC) योजना:** केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू CCPWC योजना का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन परिवेश सुनिश्चित करना है।

आगे की राह

- **अभिभावकों का नियंत्रण:** विशिष्ट वेबसाइट्स को इंटरनेट पर देखने की अनुमति देना या उन्हें देखने पर प्रतिबंध लगाना।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की सलाह दी है। इसके अलावा, 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों के लिए प्रति दिन स्क्रीन टाइम एक घंटे तक सीमित रखने की सिफारिश की गई है।
- **बच्चों को सशक्त बनाना:** सशक्तीकरण में कई तकनीक शामिल होती हैं, जैसे बच्चों को आयु-उपयुक्त भाषा में कानूनी सीमाओं के बारे में शिक्षा देना; अपने समुदायों के सांस्कृतिक व नैतिक मानदंडों तथा उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा करना आदि।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** बच्चों के डिवाइसेज़ को नवीनतम सॉफ्टवेयर तथा गोपनीयता सेटिंग्स के साथ अपडेट करना चाहिए। इससे कम-से-कम डेटा संग्रहण किया जा सकेगा।
- **इंटरनेट प्रदाता की भूमिका:** वे बाल-केंद्रित फीचर्स व फंक्शंस, प्रभावी रिपोर्टिंग, फीडबैक तंत्र आदि के माध्यम से ऑनलाइन बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार को रोक सकते हैं तथा इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- **शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना:** शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और बच्चों में अनुशासन तथा टीम वर्क की भावना पैदा करने के लिए "फिट इंडिया मूवमेंट" जैसी पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **विनियमन: स्थानीय मानदंड बाल ऑनलाइन सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) दिशा-निर्देश (2020)** के साथ संरेखित हो सकते हैं।
  - 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) ने मौजूदा नीतिगत ढांचों को एकीकृत करने, इंटरनेट सुरक्षा संदेशों और सामग्री सहित शैक्षिक संसाधन विकसित करने आदि की सिफारिश की।

2.1.1. बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material: CSAM)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने टेलीग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) तथा यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे भारत में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से **बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को हटाने** के लिए कहा गया है।

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) क्या है?

- **CSAM** कोई भी ऐसी सामग्री हो सकती है जिसमें किसी बच्चे के साथ यौन गतिविधियों को स्पष्ट रूप दर्शाया गया हो।
- CSAM **ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण (OCSAE) का हिस्सा है**। इसके अंतर्गत बच्चों को यौन चैट में शामिल करना, बाल CSAM का निर्माण तथा वितरण करना, नाबालिगों के यौन उत्पीड़न की लाइव स्ट्रीमिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
  - **भारत में** मई 2023 तक **CSAM के प्रसार के लगभग 4.5 लाख मामले दर्ज** किए गए हैं।
  - एक अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर **2-17 वर्ष की आयु के लगभग 1 अरब बच्चों ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का सामना किया है।**

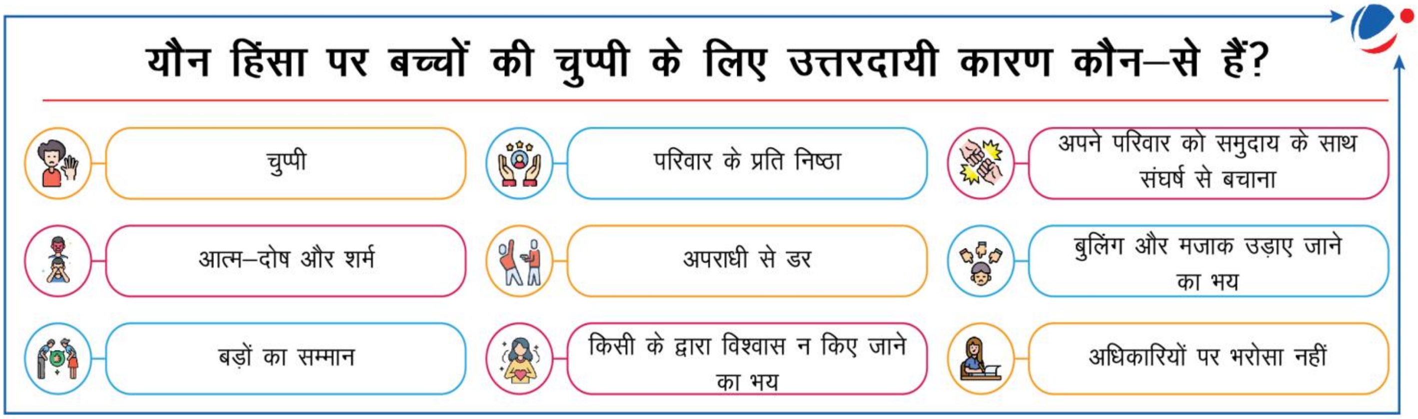

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) का पीड़ितों पर प्रभाव

- **अपराधबोध, शर्मिंदगी तथा दोषी ठहराना:** पीड़ित व्यक्ति, दुर्व्यवहार को रोकने में सक्षम नहीं होने के कारण अपराधबोध से ग्रस्त हो सकते हैं। यहां तक कि वे इसके लिए स्वयं को भी दोषी मान सकते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** CSAM का सामना करना चिंता, डिप्रेशन तथा पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसे **मानसिक तनावों** का कारण बन सकता है।
- **सामाजिक अलगाव**: बचपन में ही ऑनलाइन यौन शोषण का सामना करने वाले बच्चों में **आत्म-सम्मान में कमी** आती है। यह **व्यक्तिगत संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और विश्वास निर्माण को बाधित करता है**। साथ ही, यह पीड़ितों में अलगाव तथा अकेलेपन को बढ़ाता है।
- **मादक द्रव्य तथा शराब का दुरुपयोग:** बचपन में यौन शोषण के आघात से उबरने के लिए, पीड़ित किशोरावस्था में ही शराब तथा मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। अधिकांश मामलों में यह क्रिया वयस्क अवस्था में भी जारी रहती है।
- **रोगों में वृद्धि**: CSAM के कारण कई संक्रामक और गैर-संक्रामक रोग हो सकते हैं। इसमें एचआईवी सहित यौन संचारित रोग, अनपेक्षित गर्भधारण, गर्भपात तथा अन्य बीमारियां आदि शामिल हैं।

CSAM की रोकथाम के लिए किए गए उपाय

- **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000:** CSAM सहित **अश्लील या पोर्नोग्राफिक सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कठोर दंड और जुर्माने** का प्रावधान किया गया है।
    - अन्य वैधानिक उपायों में **POCSO अधिनियम (2012); किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (2000); डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) आदि शामिल हैं।**
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** भारत में बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को **स्वचालित उपकरणों सहित प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करना अनिवार्य है**। इससे बाल यौन शोषण को दर्शाने वाली सूचना की सक्रिय रूप से पहचान की जा सकेगी।
- अन्य प्रासंगिक कानूनों के अलावा भारतीय दंड संहिता, POCSO अधिनियम और आईटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आने वाले अपराधों की जांच के लिए **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(CBI) द्वारा OCSAE रोकथाम/ जांच इकाई** का गठन किया गया था।
- **निर्भया फंड** के तहत सरकार ने **'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC)'** नामक परियोजना लागू की है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है।
- **सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा पहल: CSAM को सक्रिय रूप से हटाने के लिए** YouTube **बाल यौन शोषण इमेजरी (CSAI) मैच नामक एक स्वचालित टूल का उपयोग करता है।**

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के उन्मूलन के समक्ष चुनौतियां

- **जागरूकता का अभाव:** भारत के CSAM रिपोर्टिंग प्लेटफार्म की सीमित जानकारी तथा पहुंच के कारण **स्वतः रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या बहुत कम** है।

© Vision IAS

- वर्ष 2020 में, **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)** ने बच्चों के खिलाफ 1,102 साइबर अपराध दर्ज किए थे। इसके विपरीत, NCRB को केवल एक ही वर्ष 2020 में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) से OCSAE की लगभग 2.7 लाख रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं।

- **बच्चों की सुरक्षा बनाम निजता का संतुलन:** बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री का पता लगाने के लिए, **सोशल मीडिया प्लेटफोर्मों को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को हटाना पड़ सकता है। इससे ऑनलाइन संवाद की सुरक्षा कमजोर हो सकती है।** साथ ही, इससे अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन भी होगा।
- **अनामिता:** अपराधी फेक अकाउंट का उपयोग करके **सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और चैट स्पेस के माध्यम से** छोटे बच्चों की कमजोरियों का लाभ उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं।
- **ऑनलाइन शिक्षा और ऐप्स से जोखिम बढ़ता है:** वर्ष 2019-2020 तक, कोविड-19 और शिक्षा जैसी सेवाओं के ऑनलाइन मोड में परिवर्तित होने के कारण बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में 400% की वृद्धि हुई थी।

आगे की राह

- **विनियमन:** सोशल मीडिया कंपनियां भविष्य में ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए **सामग्री मॉडरेशन एल्गोरिदम तथा रिपोर्टिंग तंत्र जैसे सक्रिय उपायों को लागू कर सकती** हैं।
  - इसके अलावा, **एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित करने की आवश्यकता** है। इसकी **सहायता से** सभी बच्चों और युवाओं के बेहतर विकास हेतु सुरक्षित भौतिक तथा ऑनलाइन वातावरण के महत्त्व की पहचान की जा सकेगी।
- **ऑनलाइन ग्रूमिंग तथा प्रारंभिक व्यवहार को लक्षित करना:** प्रारंभिक बाल यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार गतिविधियों (जैसे कि बाल यौन शोषण के लिए ऑनलाइन ग्रूमिंग) की पहचान करना और निराकरण करना।
- **जागरूकता:** मास मीडिया के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाकर बाल यौन शोषण के मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा विद्यालयों में **शिक्षा पाठ्यक्रमों में OCSAE के मॉड्यूल को शामिल किया** जाना चाहिए।
- **सहयोग:** OCSAE का समाधान करने के लिए मजबूत तंत्र वाले देशों (जैसे- ऑस्ट्रेलिया) के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **बच्चों के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण:** बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्राउज़िंग के दौरान उन्नत सुरक्षा उपायों को विकसित किया जा सकता है।

2.2. सहमति की आयु (Age of Consent)

सुर्ख़ियों में क्यों?

22वें विधि आयोग ने अपनी 283वीं रिपोर्ट में यौन संबंध के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष नहीं किए जाने की सिफारिश की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विधि आयोग को **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012** के तहत सहमति की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने के संदर्भ में विचार करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।
- **पोक्सो अधिनियम, 2012** लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न तथा अश्लील सामग्रियों (पोर्नोग्राफी) के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था।
  - इस अधिनियम में ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए **विशेष न्यायालयों** (Special Courts) की स्थापना का भी उपबंध है।

सहमति की आयु क्या है?

- सहमति की आयु, वह आयु है, जिसमें किसी व्यक्ति को **कानूनी रूप से** यौन क्रियाओं हेतु **सहमति देने के लिए सक्षम माना जाता है।**
- पोक्सो अधिनियम के तहत एक बालक के रूप में वर्गीकृत करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः स्वाभाविक रूप से यह **"सहमति की आयु"** बन गई है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत सहमति की आयु

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** के तहत बलात्कार की परिभाषा (धारा 63) के तहत **एक विवाहित महिला के लिए सहमति की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष** कर दी गई है।
  - हालांकि, **भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को बरकरार** रखा गया है।

सहमति की आयु कम करने के पक्ष में तर्क	सहमति की आयु कम करने के विपक्ष में तर्क
• **पोक्सो अधिनियम के तहत बढ़ते आपराधिक मामले:** लड़कियों के माता-पिता चाहते हैं कि पुलिस उन मामलों में आरोपियों (लड़के) के खिलाफ "पोक्सो अधिनियम" के तहत मामला दर्ज करें, जहां दोनों भाग गए हैं या सहमति से यौन क्रियाओं (प्रेम-प्रसंग संबंधी मामलों) में सम्मिलित हुए हैं। • **बदलती सामाजिक वास्तविकताएं:** सोशल मीडिया और इंटरनेट के उपयोग के कारण शीघ्र यौवन और कंसेंशुअल रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं; 39% महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले यौन संबंधों में शामिल हो जाती हैं (NFHS-5)। • **यौन स्वायत्तता को मान्यता:** यौन स्वायत्तता में वांछित यौन क्रिया में शामिल होने का अधिकार और अवांछित यौन आक्रामकता से सुरक्षित रहने का अधिकार, दोनों शामिल हैं। • **वैश्विक प्रथाओं को अपनाना:** वैश्विक स्तर पर सहमति की आयु 13 से 18 वर्ष के बीच है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और पुर्तगाल में सहमति की आयु 14 वर्ष है। इंग्लैंड और वेल्स में यह 16 वर्ष है।	• **भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की कमी:** इसके कारण वे यौन क्रियाओं के संदर्भ में सोच-समझकर निर्णय नहीं ले पाते हैं। • **विवाह की आयु के साथ ताल-मेल:** सैद्धांतिक रूप से सहमति की आयु तथा विवाह की आयु को समान नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, व्यवहार में देश के सामाजिक परिवेश को देखते हुए **दोनों आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं।** • **बाल शोषण तथा तस्करी: सहमति की आयु में कोई भी कमी कई अपराधों** से अपराधी को **सुरक्षित बच निकलने का मौका प्रदान करेगी। उदाहरण के लिए-** अवयस्क लड़कियों के दमन, वैवाहिक बलात्कार तथा तस्करी सहित अन्य प्रकार के अपराध से अपराधी **सुरक्षित बच निकलेंगे।** • **बाल विवाह को बढ़ावा और किशोर अवस्था में गर्भ धारण को प्रोत्साहन:** सहमति की आयु में कमी माता-पिता को अवयस्क लड़कियों का विवाह करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे बाल विवाह के विरुद्ध सदियों से चल रहे संघर्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

विधि आयोग की सिफारिशें

- **निर्देशित न्यायिक विवेक:** इसके तहत, यदि न्यायालय यह पाता है कि आरोपी तथा बच्चे के बीच संबंध घनिष्ठ हैं, जहां 16-18 वर्ष की आयु के बच्चे को वास्तव में मौन स्वीकृति प्राप्त है, तो न्यायालय आरोपी को **अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम कोई भी सजा दे सकता है।**
    - इसके लिए आरोपी और बच्चे के बीच आयु का अंतर **तीन वर्ष से अधिक नहीं** होना चाहिए।
    - इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि यदि संबंध में दोनों की मंजूरी हो, आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न हो और अपराध के बाद उसका आचरण अच्छा हो, इत्यादि तो विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 में संशोधन:** पोक्सो अधिनियम के तहत ऐसे मामले जिनमें दोनों पक्षों की आयु 16 से 18 वर्ष के बीच है, उन्हें आपराधिक न्यायालयों के स्थान पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
- **यौन क्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाना,** कम आयु में यौन संबंध बनाने के दुष्परिणाम, गर्भनिरोधक तथा सुरक्षित यौन व्यवहार के बारे में जानकारी के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के बारे में भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए।

2.3. बाल विवाह (Child Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट-2023 द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में **1993-2021** की समयावधि के लिए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाल विवाह की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अध्ययन के निष्कर्षों पर एक नज़र**
    - **गिरावट:** महिला बाल विवाह की दर में गिरावट दर्ज की गई है। यह 1993 में 49·4% था जो 2021 में घटकर 22·3% रह गया है।
    - **मौजूदा स्थिति:** अभी भी प्रत्येक **5 में से 1 लड़की और प्रत्येक 6 में से 1 लड़के** का विवाह कानूनी उम्र से कम आयु में किया जा रहा है।
    - **राज्यों में बाल-विवाह की स्थिति:** बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र (घटते क्रम में) में लड़कियों के बाल विवाह के **50% से अधिक** मामले दर्ज किए गए हैं।
    - **अपवाद: मणिपुर एकमात्र ऐसा राज्य है** जहां 1993 से 2021 के बीच **महिला बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी** देखी गई है।
- **सतत विकास लक्ष्य 5.3** के तहत **2030 तक महिला बाल विवाह** जैसी सामाजिक बुराई के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।

© Vision IAS

बाल विवाह में समग्र गिरावट के कारण

- **कानूनों का कार्यान्वयन:** बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) के तहत **बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति** और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम (2012) का बेहतर कार्यान्वयन, आदि।
- **बालिका शिक्षा में वृद्धि:** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन भी बाल विवाह के मामलों में गिरावट का कारण रही है।

बाल विवाह पर अंकुश लगाने वाले राज्यों के उदाहरण

- **पश्चिम बंगाल:** कन्याश्री योजना के तहत उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **उत्तर प्रदेश:** स्नातक तक बालिकाओं के लिए यू.पी. मुफ्त शिक्षा योजना 2023 का संचालन किया जा रहा है।

बाल विवाह के प्रचलन के कारण

- **गरीबी:** अक्सर लोग अपने घर का खर्च कम करने के लिए बालिका का विवाह कम उम्र में कर देते है।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड:** पारंपरिक प्रथाएं और पितृसत्तात्मक मान्यताएं भी बाल विवाह के प्रचलन का कारण रही हैं। कुछ जनजातीय समुदाय अपनी बेटियों की शादी किशोरावस्था के तुरंत बाद कर देते हैं।
- **शिक्षा:** NFHS-5 के आकंड़ों के अनुसार, उच्चतर शिक्षा से वंचित 58% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो गई, जबकि उच्चतर शिक्षा प्राप्त केवल 4% लड़कियों की शादी ही 18 साल से पहले हुई थी।
- **अप्रभावी कानूनी प्रवर्तन:** बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और पर्सनल लॉज का असंगत होना, जन्म और विवाह पंजीकरण प्रणाली में खामियां, लड़की की उम्र की पुष्टि करने में कठिनाइयां इत्यादि समस्याएं मौजूदा समय में भी बनी हुई हैं।
- **बचाव और सुरक्षा:** आज भी भारत में कहीं-कहीं माता-पिता द्वारा अपनी बेटियों का विवाह कम आयु में इसलिए कर दिया जाता है ताकि उनको यौन शोषण, बलात्कार और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों से बचाया जा सके।

बाल विवाह का प्रभाव

- **स्वास्थ्य जोखिम:** कम उम्र में शादी होने से अर्ली प्रेगनेंसी, मातृ मृत्यु और यौन संचारित संक्रमण आदि का खतरा बढ़ जाता है।
- **अंतरपीढ़ीगत प्रभाव:** कम उम्र में माँ बनी लड़कियों के बच्चों को स्वास्थ्य और विकासात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **लिंग आधारित हिंसा:** बाल वधुओं को दुर्व्यवहार के अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- **बाल विवाह यौन और लिंग आधारित हिंसा तथा मानवाधिकार उल्लंघन का एक मान्यता प्राप्त रूप है।**
- **आर्थिक:** कम उम्र में शादी होने से पीड़ित शैक्षिक और रोजगार के अवसर खो देते हैं जिससे उनके गरीब बने रहने की संभावना कायम रहती है।
- **मानवाधिकार और मानसिक स्वास्थ्य:** बाल-विवाह मानसिक आघात, अवसाद और बचपन के सुख से वंचित हो जाने का कारण बन सकता है।

आगे की राह

- **अधिकार-आधारित स्वास्थ्य जानकारी और सेवाएं:** अधिकार-आधारित स्वास्थ्य जानकारी और सेवाएं व्यक्तियों को यौन और जनन स्वास्थ्य सहित उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बना सकती हैं।
- **कानूनी प्रवर्तन:** जन्म और विवाह पंजीकरण को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाकर नागरिक पंजीकरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **सामुदायिक जुड़ाव:** कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पुरुषों को ऐसे गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो समाज के लिए लाभकारी हों, उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाने, समुदाय-आधारित कार्यक्रमों को लागू करने आदि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं के साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए।
- **कौशल विकास:** शिवराज पाटिल समिति (2011) की सिफारिशों को देशभर में लागू किया जाना चाहिए, जैसे- लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। गौरतलब है कि इस समिति की सिफारिशों को लागू करने से कर्नाटक में बाल विवाह 42% (2005-06) से घटकर 21.3% (2019-20) रह गया है।

2.3.1. बाल विवाह रोकथाम संशोधन (PCMA) विधेयक, 2021 {Prohibition of Child Marriage Amendment (PCMA) Bill, 2021}

सुर्खियों में क्यों?

राज्यसभा के सभापति ने **बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 का अध्ययन कर रही संसदीय समिति को एक और विस्तार दिया है।** यह विधेयक महिलाओं की शादी की आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव करता है, ताकि इसे पुरुषों के समान किया जा सके।

बाल विवाह रोकथाम संशोधन (PCMA) विधेयक, 2021 के बारे में

- **PCMA विधेयक, 2021** को दिसंबर 2021 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इस विधेयक को **शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति** के पास भेज दिया गया था। यह स्थायी समिति **राज्य सभा** से संबंधित है।
    - यह विधेयक 2020 में गठित **जया जेटली समिति की सिफारिशों** पर आधारित है। इसने महिलाओं के लिए विवाह की **न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करने** का सुझाव दिया था।
- **PCMA (संशोधन) विधेयक, 2021 के मुख्य प्रावधान**
    - **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य **पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु में समानता लाने का प्रयास** करना है। साथ ही, विवाह से जुड़े पक्षों को शासित करने वाले रीति-रिवाजों, परिपाटियों और प्रथाओं सहित मौजूदा कानूनों को निरस्त करना भी इसका उद्देश्य है।
    - यह विधेयक, **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006** में संशोधन करेगा।
    - **बालक की परिभाषा:** 'चाइल्ड या बालक' का आशय एक ऐसे व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) से है, जिसने वर्तमान में **21 वर्ष की आयु पूरी नहीं** की है।

विवाह की आयु बढ़ाने के सकारात्मक पहलू	विवाह की आयु बढ़ाने की आलोचना
• यह विवाह के मामले में **जेंडर-न्यूट्रैलिटी** सुनिश्चित करेगा। • **शिक्षा एवं कार्यबल भागीदारी:** इससे महिलाओं को **उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और कार्यबल में भागीदारी** के लिए अधिक समय मिलेगा। • **स्वास्थ्य जोखिम:** 20-24 वर्ष की आयु की तुलना में किशोर गर्भधारण (10-19 वर्ष) से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है (WHO)।	• महिला के लिए विवाह करने की **औसतन आयु 22.7 वर्ष** है। यह औसत आयु वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ी है। • **पितृसत्तात्मक मानदंड:** यह प्रस्तावित कानून महिला सशक्तीकरण में बाधा बनने वाली **सामाजिक, सांस्कृतिक और पितृसत्तात्मक प्रथाओं पर ध्यान नहीं** देता है। • **विवाह के लिए कानूनी आयु:** 18 वर्ष की आयु के बाद वयस्क के रूप में विवाह करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट में पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष की ही बात कही गई है।

निष्कर्ष

विवाह की आयु बढ़ाने से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सकता है और महिलाओं के स्वास्थ्य तथा शिक्षा में सुधार हो सकता है। हालाँकि, इसकी सफलता के लिए सामाजिक मानदंडों से निपटना, प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना और महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक अवसरों के साथ समर्थन देना आवश्यक है।

2.4. बाल दत्तक ग्रहण (Child Adoption)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून तथा न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने **"अभिभावकत्व और दत्तक-ग्रहण कानूनों की समीक्षा[5]"** विषय पर **118वीं रिपोर्ट** प्रस्तुत की है।

दत्तक ग्रहण के बारे में

- दत्तक ग्रहण/ गोद लेने का अर्थ **वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से गोद लिया गया बच्चा अपने** जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है। साथ ही सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ **गोद लेने वाले दंपति की वैध संतान बन** जाता है।
- ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में **29.6 मिलियन फंसे हुए (Stranded), अनाथ और परित्यक्त (छोड़े गए) बच्चे हैं। प्रतिवर्ष केवल 3000 से 4,000 बच्चों को ही गोद** लिया जाता है।

गोद लेने की दर इतनी कम क्यों है?

- देश में कई **बाल देखभाल संस्थाएं (CCI) पंजीकृत नहीं** हैं। इस कारण बड़ी संख्या में अनाथ बच्चे **संस्थागत देखभाल के अंतर्गत नहीं हैं।**
- **CARINGS प्रणाली की समस्याएं:** केंद्रीकृत देखभाल प्रणाली भावी माता-पिता द्वारा उपयुक्त बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में बाधा डालती है।
- **रुकावट के मामले:** रुकावट के ज्यादातर मामले माता-पिता और बच्चों की तैयारी तथा उचित परामर्श की कमी के कारण हैं (बच्चों को गोद लेने के अंतिम चरण में लौटाया जा रहा है)।

---
[5] Review of Guardianship and Adoption Laws

 © Vision IAS

- **कानूनी विकल्प:** हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण कानून, 1956 एक वैकल्पिक कानूनी मार्ग प्रदान करता है जिसके माध्यम से हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर सकते हैं।
  - **हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956** (HAMA) (केवल हिंदुओं पर लागू) और **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** (सभी धर्म पर लागू), दोनों दत्तक ग्रहण से भी संबंधित हैं, फिर भी उनके मानदंड अलग-अलग हैं।
- **दत्तक ग्रहण से जुड़े पूर्वाग्रह:** गोद लिए हुए बच्चे की स्थिति को स्वीकार करने में एक सामाजिक दुराग्रह विद्यमान है। साथ ही, बड़े बच्चों और दिव्यांग बच्चों को गोद लेने को लेकर भी लोगों में आशंकाएं देखी जाती हैं।
- **गोद लेने के भेदभावपूर्ण नियम:** वर्तमान नियम **समलैंगिक जोड़ों, ट्रांस जोड़ों और एकल पुरुषों (जो एक लड़की को गोद नहीं ले सकते) को कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं देते हैं।**

दत्तक ग्रहण संबंधी प्रावधान

- **वैधानिक**
  - किशोर न्याय (JJ) अधिनियम
  - दत्तक ग्रहण नियम, 2017
- **संस्थागत**
  - केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
  - बाल कल्याण समिति
- **अंतर्राष्ट्रीय**
  - बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC)
  - हेग अभिसमय

दत्तक ग्रहण या गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदम

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में 2021 का संशोधन अधिनियम

- यह जिलाधिकारी **(DMs)** और अतिरिक्त जिलाधिकारी **(ADMs)** को गोद लेने के आदेश को अधिकृत करने का अधिकार देता है।
- यह अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन के तहत **CARA को केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यों को करने की अनुमति** देता है।

देश के भीतर गोद लेने (Inter country adoption) को आसान करना

- **दत्तक ग्रहण संशोधन विनियम 2021:** यह **CARA** को संभावित माता–पिता को **'अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC)'** जारी करने की अनुमति देता है, जो हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण–पोषण अधिनियम **(HAMA), 1956** के तहत अंतर्देशीय गोद लेने का विकल्प चुनते हैं।
- **CARA** और अन्य अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी के लिए **गोद लेने वाले परिवार को देश में रहने हेतु दो साल की अनिवार्य अवधि को समाप्त कर दिया है।**
- ऐसे मामलों में, **भारतीय मिशन गोद लिए गए बच्चे की प्रगति एवं सुरक्षा की निगरानी करेंगे।**

अन्य

- **मिशन वात्सल्य:** इसे कठिन परिस्थितियों के भीतर रहने वाले बच्चों के लिए अपने सभी प्रयासों को एकजुट करने हेतु आरंभ किया गया है।
- **ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल CARINGS** (चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इनफार्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम) ने गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित कर दिया है।
- **अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन 1993 का अनुसमर्थन:** यह कन्वेंशन यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को स्थापित करता है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण बच्चे के सर्वोत्तम हित में किया जाए।

आगे की राह

- **संसदीय समिति की सिफारिश**
    - **गार्जियनशिप संबंधी कानूनों की समीक्षा:** हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में विवाहेतर संबंधों से पैदा हुए बच्चों के लिए 'अवैध' शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अवैध नहीं होता।
    - **CARA में पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए।**
    - **नए कानून में LGBTQ समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए।**
    - **बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए दत्तक ग्रहण कानून को एक ही मंत्रालय के अंतर्गत** लाने की आवश्यकता है।
        - दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों को **विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा निपटाया जाता है।
- **संभावित अभिभावकों को विकल्प प्रदान करना:** आवेदकों को अपने संबंधित राज्यों के बच्चे को गोद लेने के लिए प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **बाल देखभाल केंद्रों (CCCs) का अनिवार्य पंजीकरण:** लगभग 28% CCCs, बाल कल्याण समितियों में पंजीकृत नहीं हैं। उन्हें समयबद्ध तरीके से स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे केंद्रों को बंद करना होगा।
- **गोद लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी** बनाने की जरूरत है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को विशेष सहायता दी जानी चाहिए** जो गोद लेने की कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत नहीं हैं अथवा विधिक प्रक्रिया का पालन करना पसंद नहीं करते हैं।
- **देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान:** इससे दत्तक ग्रहण से जुड़े पूर्वाग्रह और सामाजिक कलंक को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

2.5. बाल श्रम: एक नज़र में (Child Labour at a Glance)

बाल श्रम

बाल श्रम की वर्तमान स्थिति

- वैश्विक स्तर पर 10 में से 1 बच्चे बाल श्रम करते हैं (यूनिसेफ)।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में **10.1 मिलियन बच्चे (11 करोड़)** बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं।
- 80% बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- 62.8% बाल श्रमिक संकट वाले या खतरनाक कार्य में संलग्न हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 24**: कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजन पर प्रतिबंध
- **अनुच्छेद 23**: मानव तस्करी और जबरन श्रम (बलात् श्रम) का निषेध
- **अनुच्छेद 39 (e)**: राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो

कानूनी प्रावधान

- बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

बाल श्रम की रोकथाम के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) स्कीम, 1988 (2021 से समग्र शिक्षा अभियान में विलय)
- **पेंसिल / PENCiL** (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) पोर्टल
- भारत ने **2017 में बाल श्रम पर ILO के दो बुनियादी कन्वेंशंस (138 और 182) की अभिपुष्टि** की थी

वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम

- **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र, 1959**
- **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC), 1989**
- सतत विकास लक्ष्य–8.7 **(2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन** करने का लक्ष्य)

आगे की राह

- **अंतर–मंत्रालयी समन्वय:** बाल श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाने और कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सर्वेक्षण करना।
- **शिक्षा:** कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा में पुनः शामिल करने के लिए अधिक बाल श्रम वाले क्षेत्रों में ब्रिज स्कूल पर कार्य करना।
- **कॉर्पोरेट जगत की जिम्मेदारी:** कालीन बुनाई और चाय उत्पादन जैसे उद्योगों में निष्पक्ष व्यापार प्रमाणन को बढ़ावा देना, बाल श्रम ऑडिट को अनिवार्य करना, आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सीमा पार तस्करी को रोकने हेतु पड़ोसी देशों (नेपाल, बांग्लादेश) के साथ सहयोग को मजबूत करना, बच्चों के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए दक्षिण एशिया पहल (SAIEVAC) में सक्रिय भागीदारी, आदि।

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

- किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
- न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
- टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- **स्रोत:** इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- **भाग:** इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- **अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- **सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- **स्मरणीय तथ्य:** इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- **प्रश्नोत्तरी:** प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- **रिसोर्सेज:** वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

3. अन्य कमजोर/ सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections)

3.1. देशज लोग: एक नज़र में (Indigenous People at a Glance)

देशज लोग

देशज लोग **विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय** होते हैं। ये उस **भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से सामूहिक पैतृक संबंध** साझा करते हैं, जहां वे रहते हैं। उदाहरण के लिए– संथाल, खासी, चेंचू आदि।

संवैधानिक उपाय

- अनुच्छेद 342: अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिसूचना
- अनुसूची V और VI (अनुच्छेद 244)
- अनुच्छेद 275: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान
- अनुच्छेद 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

कानूनी उपाय

- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

सरकारी योजनाएं

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
- प्रधान मंत्री वनबंधु विकास योजना
- प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY)
- प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

वैश्विक पहलें

- स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा
- दुनिया भर में **देशज (मूल निवासी) लोगों के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस** मनाया जाता है

भारत में जनजातीय विकास के लिए दृष्टिकोण

अहस्तक्षेप का दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण जनजातियों के अधिकारों और जीवन जीने के उनके पारंपरिक तरीके में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित है।

समावेशी दृष्टिकोण: इसमें जनजातीय समुदायों को 'मुख्यधारा' में शामिल करने का प्रयास समाहित है। इस दृष्टिकोण के तहत उन्हें प्रमुख समुदायों की भाषा, रीति–रिवाजों और जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

समेकन दृष्टिकोण: इसका उद्देश्य जिम्मेदारीपूर्ण साझेदारी के लिए जनजातियों और गैर–जनजातियों के बीच एक रचनात्मक समायोजन विकसित करना है। यह दृष्टिकोण जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धांतों में प्रदर्शित होता है।

जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धांत

- **लोगों का विकास उनकी अपनी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए** और बाहरी मूल्यों को थोपने से बचना चाहिए।
- **भूमि और जंगल पर जनजातीय अधिकारों का सम्मान** किया जाना चाहिए।
- **परिणामों का मूल्यांकन** केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि **उनमें निहित मानवीय गुणों और मूल्यों** के आधार पर भी किया जाना चाहिए।
- इन क्षेत्रों में **अभिशासन से संबंधित गतिविधियां सावधानी पूर्वक** की जानी चाहिए। साथ ही, इन क्षेत्रों में अनेक योजनाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए।
- **जनजातीय समूहों को प्रशासन एवं विकास के कार्यों हेतु प्रशिक्षित** किया जाना चाहिए।

© Vision IAS

3.2. विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर **पीएम-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन/ PM JANMAN)** शुरू किया है।

PVTGs

विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTGs)

- ये अनुसूचित जनजाति (**ST**) श्रेणी में से **केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशेष श्रेणी हैं।**
- **यू.एन. ढेबर आयोग (1961)** की सिफारिशों के आधार पर पहली बार **1973 में आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) के रूप में मान्यता** दी गई थी।
- 2006 में, भारत सरकार ने **PVTGs का नाम बदलकर PVTGs** कर दिया।

PVTGs की पहचान के लिए मापदंड

- आदिम कृषि **(Pre-agricultural)** प्रणाली का प्रचलन
- अन्य जनजातियों की तुलना में साक्षरता का निम्न स्तर
- आर्थिक पिछड़ापन
- घटती हुई या स्थिर आबादी

- वर्तमान में, **18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 75 PVTGs हैं।**
- भारत के **ओडिशा राज्य में PVTGs** की संख्या सर्वाधिक (13) है।

पीएम जनमन के बारे में

- **प्रधान मंत्री PVTGs विकास मिशन** की घोषणा **केंद्रीय बजट 2023-24** में की गई थी। इसका उद्देश्य PVTGs की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
- **दायरा और फंडिंग:** इस मिशन के तहत अगले **3 वर्षों** के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है। इस मिशन में 9 मंत्रालयों के समन्वय से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** इस मिशन का लक्ष्य **PVTGs परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण** करना है। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आदि तक बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी।
- **अतिरिक्त लक्ष्य:** इसके अलावा, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100 प्रतिशत टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण आदि की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित की जाएगी।

जनजातीय लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **पहचान का संकट:** जनजातियों की पारंपरिक संस्थाएं और नियम-कानून आधुनिक संस्थाओं के साथ टकराव की स्थिति में आ जाती हैं। इससे जनजातियों के बीच अपनी पहचान बनाए रखने को लेकर आशंकाएं पैदा हो जाती हैं। **उदाहरण के लिए-** जनजातीय बोलियों और भाषाओं का विलुप्त होना।
- **जबरन विस्थापन:** जनजातियों को विकास कार्यों, आपदाओं, संघर्ष आदि के कारण अपनी मूल भूमि या स्थान से विस्थापित होना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए- कालाहांडी वन विभाग ने 32 आदिवासी (कोंध) परिवारों को जबरन बेदखल कर दिया (2020)।
- **कम साक्षरता:** जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत अन्य समूहों की तुलना में अत्यंत कम पाया जाता है।
  - 2011 की जनगणना के अनुसार, **अनुसूचित जनजातियों (STs) की साक्षरता दर केवल 59% है,** देश की औसत साक्षरता दर 73% है।

- **तिहरा स्वास्थ्य बोझ:** जनजाति आबादी कई प्रकार की बीमारियों के **बोझ से पीड़ित** है, जैसे:
  - **कुपोषण और संचारी रोगों** की उच्च दर,
  - तीव्र शहरीकरण के कारण **गैर-संचारी रोगों** (कैंसर, मधुमेह, आदि) में वृद्धि, तथा
  - **मानसिक विकार और व्यसन या नशे की लत** आदि।
- **ऋण के बदले श्रम (Debt-Bondage):** जनजातियों के बीच ऋण के बदले श्रम भी एक प्रमुख समस्या है, जो अक्सर बंधुआ मजदूरी का रूप ले लेती है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जनजातीय समुदाय अक्सर प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। इसलिए ये समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
- **उपेक्षा और भेदभाव:** जनजातीय समूहों को सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक इनकी पहुंच सीमित हो जाती है।

आगे की राह

- **PVTGs की पहचान और उनकी कमजोरियों का आकलन करना:** हमें PVTGs के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। इसके लिए, हमें विशेष रूप से डिजाइन की गई जनगणना-अभिलेख तैयार करना होगा।
- **अधिकारों को मान्यता और विकास के दृष्टिकोण:** जनजातियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों की सुरक्षा तथा अधिकार धारकों के सशक्तीकरण के लिए **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण** को अपनाया जाना चाहिए।
- **शासन और सेवा वितरण संस्थान:** सरकार और सेवा देने वाले सभी विभागों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जहां PVTGs की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं और काम करने के तरीकों में सुधार करना होगा, ताकि उनमें PVTGs जनजाति की जरूरतों का खास ख्याल रखा जा सके।
- **सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सेवाएं: पारिस्थितिक और सांस्कृतिक पहलुओं** को ध्यान में रखते हुए प्रभावी, **निवारक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली** विकसित करनी चाहिए।
- **उपयुक्त शिक्षा प्रणाली: शिक्षा** का एक ऐसा **पाठ्यक्रम** विकसित करना चाहिए, जो **स्थानीय रूप से प्रासंगिक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील** एवं **स्थानीय भाषाओं में** हो।

3.2.1. जनजातीय स्वास्थ्य (Tribal Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोक सभा में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक **"जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं[6]"** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **उच्च मृत्यु दर:** "जनजातीय महिलाओं में उच्च मृत्यु दर" विद्यमान है, जिसके प्रमुख कारण ये हैं: **बाल विवाह, समय से पहले मां बनना, बॉडी मास इंडेक्स** का कम होना और महिलाओं में **एनीमिया।**
  - 64.5% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और 25.5% महिलाओं का वजन कम है।
- **अपर्याप्त डेटा: जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल और आरोग्यता या कल्याण संबंधी डेटा अपर्याप्त है।** यह डेटा विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं और लड़कियों के मामले में अपर्याप्त है।
- अन्य सभी सामाजिक समूहों की तुलना में **'किशोरावस्था में गर्भधारण'** सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों में देखने को मिलता है।
- **रोगों का तिहरा बोझ: जनजातीय महिलाओं** सहित जनजातीय लोगों पर रोगों का **तिगुना बोझ** पड़ता है। इनमें संचारी, पोषण संबंधी और गैर-संचारी सभी रोग शामिल हैं।

[6] Health Facilities for Tribal Women

© Vision IAS

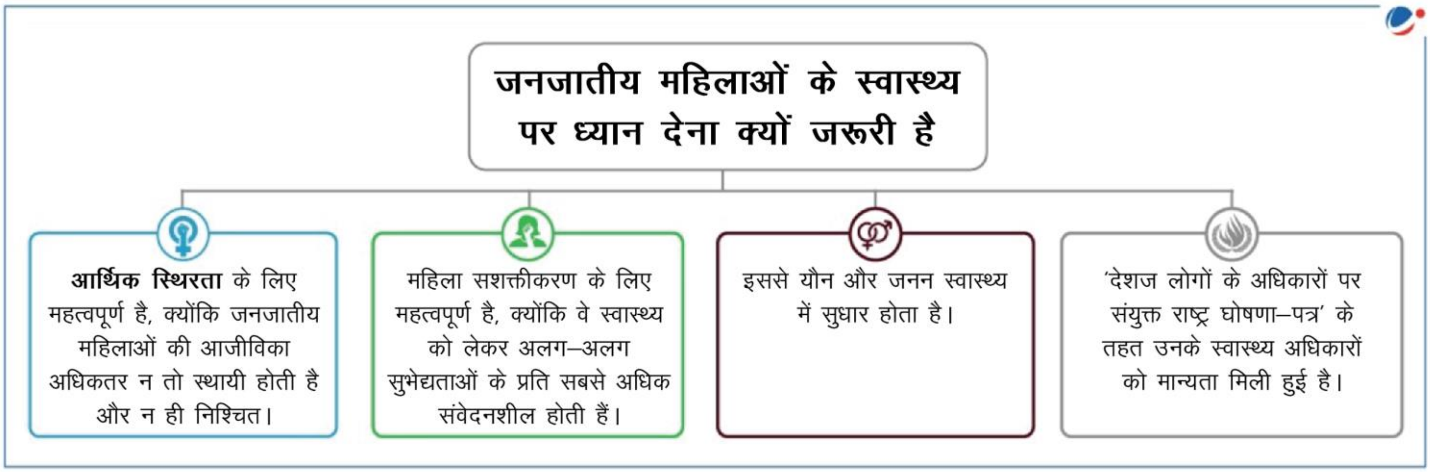

जनजातीय स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं:** ये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तथा जनजातीय रोगियों के बीच प्रभावी वार्ता को बाधित करती हैं। इससे गलतफहमी पैदा होती है।
- **आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में अविश्वास: उनकी स्वदेशी उपचार की पद्धतियों को स्वीकृत और एकीकृत करने में विफलता** से जनजातीय आबादी के बीच आधुनिक सुविधाओं से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में अविश्वास पैदा हुआ है।
- **भौगोलिक दूरी:** जनजातीय समुदाय अक्सर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे- **पहाड़ी इलाकों में अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना वाले क्षेत्र।**
- **कुशल स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त उपलब्धता** के कारण निदान में देरी होती है। साथ ही, अनुचित उपचार और विशेष चिकित्सा देखभाल तक पहुंच सीमित होती है।
- **जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा** में इस धारणा के तहत शामिल किया गया है कि जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं और ज़रूरतें समान हैं।

आगे की राह

- **संसदीय पैनल का सुझाव:**
  - **जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल के सभी पहलुओं पर एक अलग से डेटाबेस तैयार करना:** कल्याणकारी उपायों के बेहतर मूल्यांकन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।
  - **बेहतर अवसंरचना,** जैसे- **हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों का निर्माण करना,** ताकि गर्भवती महिलाओं सहित जनजातीय आबादी समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सके।
  - **विशेष अभियान चलाना:** इसमें महिलाओं और उनके पतियों को आधुनिक गर्भ निरोधकों के उचित उपयोग तथा लाभों के बारे में शिक्षित किया जाए।
- **जनजातीय आबादी के लिए अलग योजना:** जनजातीय और ग्रामीण आबादी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही, उन आचरणों और पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए, जो सीधे तौर पर मानदंडों और रीति-रिवाजों को चुनौती नहीं देते हों।
- **पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण:** जनजातीय कार्य मंत्रालय को पारंपरिक चिकित्सकों को एकीकृत करने और आधुनिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।
- **जनजातीय स्वास्थ्य के लिए शासन संरचना में सुधार किया जाना चाहिए।**

जनजातीय क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई पहलें

NHM के तहत ऐसी **समतामूलक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच** सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हो।

- **आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs):** इन्हें आयुष्मान भारत के एक भाग के रूप में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHCs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के स्थान पर स्थापित किया गया है।
- **संवेदनशील क्षेत्रों में** स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंडों में ढील दी गई है।

- राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को अलग-अलग प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए **मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) स्थापित करने की छूट** दी गई है।
- स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च (आउट ऑफ़ पॉकेट) को कम करने के लिए **राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और राष्ट्रीय निःशुल्क निदान सेवा पहल** शुरू की गई है।
- जिन **जनजाति बहुल जिलों** का समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से कम है, उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (HPDs)[7] के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही, उन्हें **प्रति व्यक्ति अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं।**

3.3. ट्रांसजेंडर्स: एक नज़र में (Transgenders at a Glance)

ट्रांसजेंडर

"ट्रांसजेंडर व्यक्ति" ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनकी लैंगिक पहचान (Gender) जन्म के समय निर्धारित जेंडर के साथ मेल नहीं खाती है। इनमें ट्रांस–पुरुष एवं ट्रांस–महिलाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में अलग–अलग प्रकार के इंटरसेक्स (Intersex), जेंडरक्वीर (Genderqueer) आदि शामिल हैं।

ट्रांसजेंडर्स से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

NALSA बनाम भारत संघ वाद (2014)	नवतेज जौहर (2017)	नवतेज जौहर (2018)	दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (2022)
ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई।	सेक्शुअल ओरिएंटेशन को गोपनीयता के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई।	समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।	इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित या क्वीर संबंधों के माध्यम से बने परिवारों को मान्यता प्रदान की। इसके अलावा, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत असामान्य परिवारों (Atypical families) को भी कानून के संरक्षण का हकदार माना है।

दुनिया भर में LGBTQIA+ के अधिकार

वर्तमान में, 130 से अधिक देशों ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है।	नीदरलैंड 2001 में समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश बना था।	वर्तमान में, दुनिया भर के 30 से अधिक देशों द्वारा समलैंगिक विवाह को वैधता दी जा चुकी है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तीकरण हेतु उठाए गए कदम

- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषदः** इसका गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत किया गया है।
- **सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें:**
  - **गरिमा गृहः** ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बनाए गए आश्रय गृह हैं।
  - **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टलः** इसकी मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्ति घर बैठे अपना पहचान प्रमाण–पत्र और पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

[7] High Priority Districts

© Vision IAS

3.4. LGBTQIA+ के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Supreme Court Judgment on LGBTQIA+ Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने **सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ** वाद में सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। विवाह के मुद्दे पर, अदालत ने **न्यायिक संयम बरतते हुए** इसे **नीतिगत मामला बताया** और इस संबंध में निर्णय लेने का कार्य स्पष्ट रूप से विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ दिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- हालांकि, सभी पांच न्यायाधीशों ने **समलैंगिक जोड़ों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता को स्वीकार** किया, लेकिन **वे क्वीयर जोड़ों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त "सिविल यूनियन"** का दर्जा देने पर एकमत नहीं थे।
- **सिविल यूनियनः** दरअसल यह एक प्रकार का कानूनी दर्जा है जो मुख्यतः उन न्याय क्षेत्रों (या देशों) में समलैंगिक जोड़ों को दिया जाता है जहां उन्हें कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति नहीं मिली है।
    - यह मूल रूप से समलैंगिक विवाहों को मान्यता नहीं देने और पूर्ण मान्यता देने के बीच की स्थिति है।

LGBTQIA+ के अधिकार: याचिकाकर्ता की दलीलें और न्यायालय का फैसला

मुद्दे	न्यायालय का निर्णय
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का विवाह करने का अधिकार	• न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह माना कि भारत में विवाह करने का **कोई मौलिक व स्पष्ट अधिकार नहीं** है। • **हेट्रोसेक्सुअल संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों** को मौजूदा कानूनों के तहत विवाह करने का अधिकार है, जिसमें विवाह को विनियमित करने वाले पर्सनल लॉ भी शामिल हैं।
क्वीयर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन में प्रवेश का अधिकार	• न्यायालय क्वीयर जोड़ों के लिए **सिविल यूनियन का विकल्प प्रदान नहीं कर सकता।** • सरकार ऐसे यूनियन से मिलने वाले किसी अधिकार को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। ○ सिविल यूनियन **एक कानूनी मान्यता है, जो मूल रूप से उन न्यायक्षेत्रों में समलैंगिक कपल्स के लिए** बनाई गई थी, जहां उन्हें **कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति नहीं** थी।
विशेष विवाह अधिनियम (SMA) की व्याख्या	• **न्यायालय ने SMA को जेंडर-न्यूट्रल तरीके से अमान्य करार देने या व्याख्या करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया** कि इस तरह की कार्रवाइयां विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगी और अन्य कानूनों पर "व्यापक" प्रभाव डाल सकती हैं।
गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का अधिकार	• न्यायालय ने **CARA द्वारा** क्वीयर जोड़ों पर गोद लेने से लगाए गए **प्रतिबंध को बरकरार रखा।** • न्यायालय ने कहा कि नियमों को रद्द करने से हानिकारक, "विनाशकारी" और "असामान्य प्रभाव" उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका समाधान "केवल विधायिका और कार्यपालिका ही कर सकती हैं।"

फैसले के अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **न्यायालयों ने इस मुद्दे को धर्मनिरपेक्ष कानूनों तक सीमित रखा है:** सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे को केवल विशेष विवाह अधिनियम तक ही सीमित रखेगी और अलग-अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों पर चर्चा नहीं करेगी।
    - उदाहरण के लिए- यदि न्यायालय LGBTQIA+ विवाहों को कवर करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की व्याख्या करता है, तो उसे दत्तक ग्रहण, अभिभावकता और विरासत से संबंधित उन अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा, जो वर्तमान में विषमलैंगिक जोड़ों के लिए उपलब्ध हैं।
- **न्यायिक संयम:** यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक संयम को दर्शाता है, जिसमें उसने मौलिक अधिकारों को विकसित करने, गारंटी देने और लागू करने से बचते हुए विधायिका की भूमिका निभाने से परहेज किया।
- **असहमतिपूर्ण राय और पहलू:** इस फैसले के कई पहलू LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों पर भविष्य में विचार-विमर्श और चर्चा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
- **समलैंगिक व्यक्तियों के साथ हिंसा और भेदभाव की रोकथाम:** सुप्रीम कोर्ट ने क्वीयर समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए सरकार और पुलिस को निर्देश जारी किए हैं।
    - इस निर्देश के अनुसरण में, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 6-सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी:
        - क्वीयर समुदाय के लिए **वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव नहीं** हो,
        - क्वीयर लोगों को **अनैच्छिक चिकित्सा उपचार, हिंसा, जबरदस्ती आदि का सामना न करना पड़े।**

निष्कर्ष

हालांकि, इस निर्णय ने LGBTQIA+ समुदायों को उनके लोगों के अधिकारों, विशेष रूप से विवाह और गोद लेने के संबंध में निराश किया है। फिर भी, केंद्र सरकार द्वारा **कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आश्वासन** समानता के संघर्ष में एक आशा की किरण प्रतीत होता है।

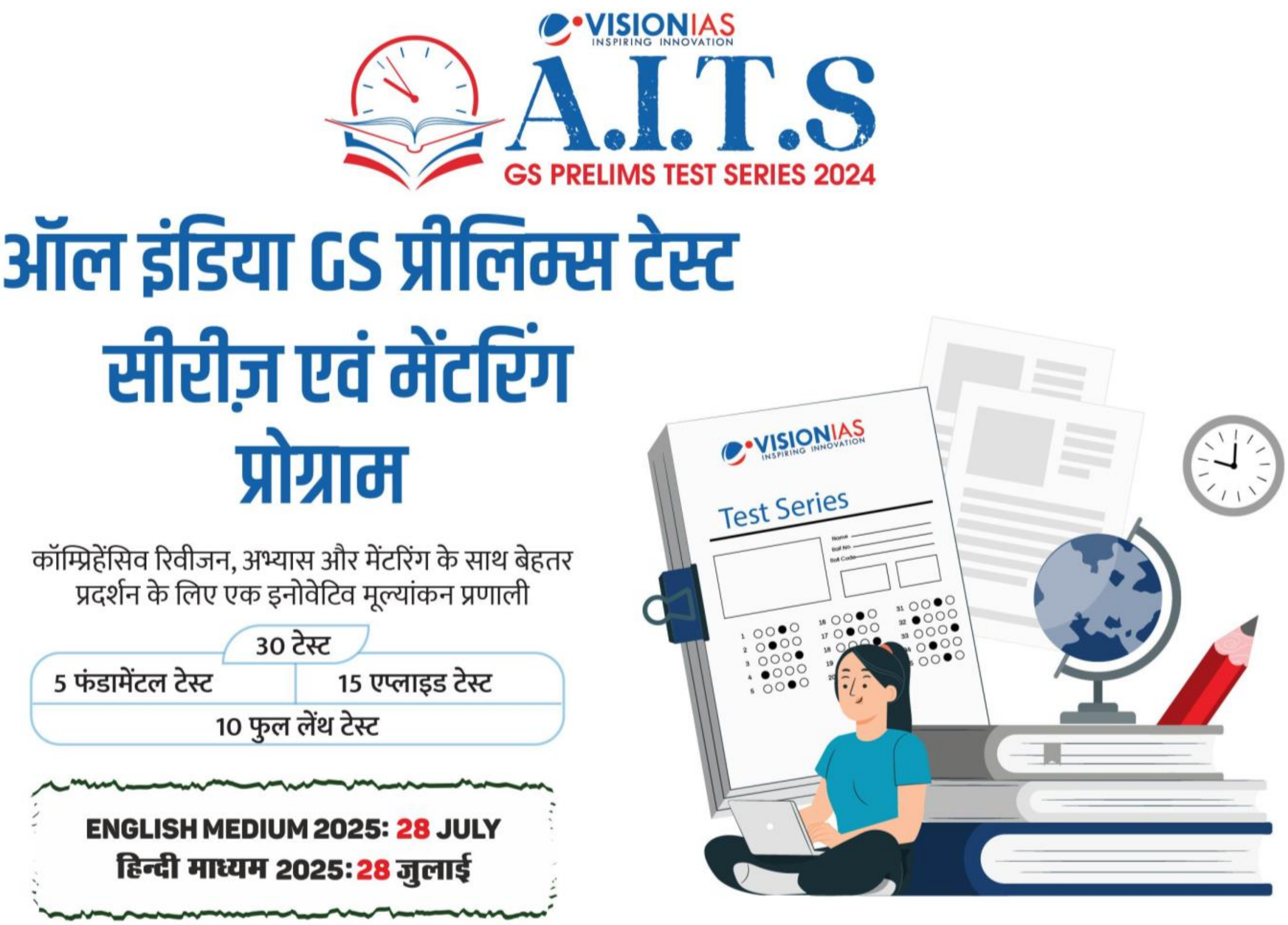

3.5. भारत में वृद्धजन (Elderly in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने **"भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करना: वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना[8]"** नामक अध्ययन-पत्र जारी किया है।

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल पर एक नज़र

मुख्य तथ्य

- भारत में वरिष्ठ नागरिक उन्हें कहा जाता है, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। वरिष्ठ नागरिकों की आबादी वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या के **10% से थोड़ा अधिक** अर्थात **लगभग 104 मिलियन** है।
- **आर्थिक सुभेद्यता:** 78% वृद्ध आबादी बिना पेंशन कवर के जीवन व्यतीत करती है।
- **सामाजिक सुभेद्यता:** वर्तमान में केवल 18% वरिष्ठ नागरिक ही स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किए गए हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 41:** राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता आदि की दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।
- **भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची:** राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 9 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, 23 व 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन से संबंधित है।

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उठाए गए कदम

- वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPOP)
- सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा: सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पहल
- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
- सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक पुनः रोजगार (SACRED) पोर्टल
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

दुनिया भर में किए गए सर्वोत्तम कार्य/ पद्धति

- **जापान:** **जापान में स्मार्ट वॉक, स्मार्ट डाइट, स्मार्ट ब्रेथ (धूम्रपान रहित) और स्मार्ट चेक–अप** के माध्यम से एक्टिव एजिंग (बुढ़ापा) को बढ़ावा देने के लिए **"स्वस्थ जापान 21 कार्यक्रम"** चलाया जा रहा है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के माध्यम से सभी नागरिकों को मुफ्त लोक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।

---

[8] Senior Care Reforms in India: Reimagining the Senior Care Paradigm

वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष चुनौतियां और मुद्दे

- **स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां:** बुजुर्गों को **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान** करना एक चुनौती बनी हुई है। ऐसा इस कारण, क्योंकि कई सेवा प्रदाता जैसे नर्सिंग एजेंसियां, फिजियोथेरेपिस्ट आदि बिना परस्पर समन्वय के स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
  - वर्तमान में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली **प्रजनन, मातृ एवं संचारी रोगों और गैर-संचारी रोगों पर केंद्रित** है। इस प्रणाली में वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों के प्रबंधन **को कम प्राथमिकता** दी गई है।
- **सामाजिक क्षेत्र:** सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कार्यान्वयन में अंतर, ग्रामीण-शहरी असमानताएँ, जेंडर आधारित असमानताएँ और बुजुर्गों के अनुकूल अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण पहुँच व सहायता सीमित हो जाती है।
  - केवल 12% वृद्धजन **"माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007"** तथा अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानते हैं।
- **आर्थिक चुनौतियां:** भारत में लगभग 70% बुजुर्ग अपने दैनिक भरण-पोषण के लिए अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों पर निर्भर हैं।
- **डिजिटल वर्ल्ड के कारण उत्पन्न चुनौतियां: एज वेल फाउंडेशन** के एक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लगभग 85.8% व्यक्ति डिजिटल रूप से साक्षर नहीं थे और उन्हें कंप्यूटर का उपयोग करना भी नहीं आता था।
- **देखभाल कार्य और देखभाल कर्मियों के योगदान की उपेक्षा:** देखभाल के कार्य को अक्सर कम कौशल वाले कार्य के रूप में देखा जाता है और यह कार्य ज्यादातर महिलाएं करती हैं।

अध्ययन-पत्र में की गई मुख्य सिफारिशें

- **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के सशक्तीकरण और वरिष्ठ नागरिकों तथा उनकी देखभाल करने वालों का समावेश** सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
  - **वरिष्ठ नागरिकों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा** देना चाहिए। इससे वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं और इनसे जुड़े जोखिमों के बारे में उनकी समझ बढ़ सकेगी।
    - **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच बढ़ानी चाहिए।**
    - **निवारक स्वास्थ्य (जिन रोगों को शुरुआत में रोका जा सकता है) उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए।** जैसे स्वास्थ्य जांच, वार्षिक स्वास्थ्य निगरानी और टीकाकरण आदि को बढ़ावा।
    - वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल में अनुसंधान को मजबूत करना चाहिए। साथ ही, वृद्धावस्था स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के **ज्ञान भंडार को बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थान स्थापित** करना चाहिए।
    - अवसंरचना से जुड़ी कमी को दूर करने के लिए कम लागत वाले/ वाली स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल/ पद्धतियों को विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही, वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल बढ़ाना** चाहिए।
- **सामाजिक सशक्तीकरण और समावेश सुनिश्चित करने का प्रयास करना:**
  - **जागरूकता:** बुजुर्गों द्वारा अनुभव की जाने वाली जरूरतों और चुनौतियों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इससे उनके सामाजिक समावेशन को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
  - इसके अलावा, **जीवन सहायक सुविधाओं (ALFs)** के प्रावधान होने चाहिए, जो बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता कर सकते हैं। जैसे **वयस्क डे-केयर और आवासीय देखभाल सुविधाओं** की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि।
  - **बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक मॉडल का विकास:** पीयर सपोर्ट ग्रुप्स की स्थापना करनी चाहिए, जहां वरिष्ठ नागरिक अलग-अलग समस्याओं के बारे में अपने-अपने अनुभव और सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
  - **'वन-स्टॉप' केंद्रीकृत पोर्टल का निर्माण:** वरिष्ठ नागरिक देखभाल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए।
- **आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशन सुनिश्चित करने के प्रयास करना:**
    - **बुजुर्ग आबादी को पुन:कौशल प्रदान करना:** आयु-अनुकूल श्रम बाजारों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पहल की जानी चाहिए।
    - **सार्वजनिक धन और अवसंरचना का विस्तार बढ़ाना:** इसके लिए असंगठित क्षेत्र के बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन सहायता प्रदान करना और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि को बढ़ाना जरूरी है।

- **डिजिटल सशक्तीकरण और समावेशन सुनिश्चित करने के प्रयास करना:**
    - **डिजिटल उपकरणों तक वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच** को बेहतर बनाने के कई तरीके हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल डिवाइस के मूल्य में छूट प्रदान करके उन्हें अधिक किफायती बनाना।
    - इसके अतिरिक्त, विशेषकर बुजुर्ग आबादी के बीच **डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर ध्यान** देना चाहिए।

3.6. दिव्यांगजन: एक नज़र में {Persons With Disabilities (PwDs) at a Glance}

दिव्यांगजन (PWDs)

दिव्यांगजन से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है, जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी–तंत्र की हानि से पीड़ित है और जिसे सामान्य जीवन में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वह दूसरों की तरह समान आधार पर समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में अक्षम होता है।

भारत में वर्तमान स्थिति

- कुल आबादी में दिव्यांगजनों का हिस्सा 2.1% है।
- दिव्यांगजनों में 44% महिलाएं हैं।
- 69% दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
- 55% दिव्यांगजन निरक्षर हैं।

दिव्यांगजनों के समक्ष चुनौतियां

- **रूढ़िवादिता:** दिव्यांगजनों को कई स्तरों पर बदनामी, पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **पहुंच:** इनडोर और आउटडोर सुविधाओं के अक्षम डिजाइन और निर्माण से उन्हें स्कूल एवं अस्पतालों में जाने, खरीदारी करने आदि में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
- **संचार/ संवाद संबंधी चुनौतियां:** दिव्यांगजनों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और/ या समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **नीतिगत बाधाएं:** दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए लागू किए गए मौजूदा कानूनों के बारे में जागरूकता या उनके कार्यान्वयन की कमी है।
- **गरीबी और दिव्यांगता एक–दूसरे को पोषित करते हैं:** खराब स्वास्थ्य और पोषण दिव्यांगता को जन्म दे सकते हैं तथा दिव्यांगता भी गरीबी और खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकती है।

दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने के लिए की जा रही पहलें

- **भारत ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD)** पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही, **बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क** और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए **"मेक द राइट रियल"** की **इंचियोन रणनीति** को अपनाया गया है।
- 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016,** कुल 21 तरह की अक्षमताओं को मान्यता देता है। इसके अलावा **यह सरकारी नौकरी और शिक्षा में (क्रमशः) 4% और 5% आरक्षण** निर्धारित करता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 सभी **दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा–मुक्त पहुंच को सक्षम** बनाती है।
- सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों की सहायता (ADIP) **योजना** शुरू की गई है।
- **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आई.डी. परियोजना** आदि पहलें भी की गई हैं।
- **'दिव्यांगजन' शब्द का उपयोग:** सामाजिक कलंक की रूढ़िवादिता को हटाना और दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक जीवन को संभव बनाना।

दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए आगे की राह

दृष्टिकोण में परिवर्तन: दिव्यांगजनों को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने हेतु उनका समर्थन करने के लिए समाज को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप केंद्र: यह प्राथमिक रोकथाम (दिव्यांगता की शुरूआती रोकथाम) और माध्यमिक रोकथाम (दिव्यांगता की अवधि या गंभीरता को कम करना) में मदद कर सकता है।

सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में सुधार: दिव्यांगता–विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा के अलावा, दिव्यांगजनों को अन्य कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें बच्चों और परिवार के लिए भत्ते, बेरोजगारी लाभ और सामाजिक सहायता योजनाएं शामिल हैं।

3.6.1. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 {Rights of Persons With Disabilities (RPWD) Act, 2016}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सीमा गिरिजा लाल एवं एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 को पूरी तरह से लागू नहीं करने पर निराशा व्यक्त की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़** सहित कुछ राज्य अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। **जैसे-**
    - राज्य आयुक्तों की नियुक्ति,
    - दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का गठन,
    - दिव्यांगता प्रमाणन हेतु मूल्यांकन बोर्ड्स का गठन,
    - विशेष न्यायालयों की स्थापना, आदि।

दिव्यांगजन अधिकार (RPwD), अधिनियम 2016 के बारे में

- इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **सभी दिव्यांगजन गरिमा के साथ, बिना किसी भेदभाव के और समान अवसरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें।**
- इस अधिनियम को **दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD)[9], 2007** को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
    - **भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है।**

अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **दिव्यांगजन की परिभाषा:** दिव्यांगता किसी व्यक्ति की **दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनशील कमजोरी** को दर्शाती है। इस कमजोरी के कारण दिव्यांगजनों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो समाज में दूसरे व्यक्तियों के समान उनकी **पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बाधित** करती है।
- **दिव्यांगजनों को मान्यता:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में **21 प्रकार** की निःशक्तताओं या दिव्यांगताओं की पहचान की गई है। इनमें **एसिड हमले से पीड़ित, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी** आदि को भी शामिल किया गया है।
- **दिव्यांगजनों के अधिकारों की सूची:**
    - यह सरकार की जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों को **समानता, गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार** प्राप्त हो।
    - उन्हें **उत्पीड़न, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, हिंसा, शोषण आदि से सुरक्षा** प्राप्त करने का अधिकार है।
    - **अन्य अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
        - घर और परिवार का अधिकार, प्रजनन का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व या विरासत का अधिकार आदि।
- **सामाजिक सुरक्षा:** यह अधिनियम सरकार को दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार करने का आदेश देता है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उन्हें स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने में सक्षम बनाने के लिए **एक उचित जीवन स्तर** प्रदान करना होना चाहिए।

[9] United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

© Vision IAS

अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रावधान

- दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय एवं राज्य निधियों का सृजन**
- **मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त** दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे
- नीति–निर्माण निकायों के रूप में **केंद्रीय एवं राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की स्थापना**
- अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए राज्य सरकारों द्वारा **विशेष न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे।**

RPwD अधिनियम के अपर्याप्त कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारण

- **संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन:** 2022-23 में संसदीय स्थायी समिति ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए शुरू किए गए अलग-अलग कार्यक्रमों हेतु बजट के अपर्याप्त आवंटन पर प्रकाश डाला था। **उदाहरण के लिए,**
  - 2016-17 और 2020-21 के बीच, **निःशक्तजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (SIPDA)** के तहत घटकों की संख्या 6 से बढ़कर 13 हो गई थी, जबकि बजटीय आवंटन में 9 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई थी।
- **समन्वय संबंधी समस्याएं:** उदाहरण के लिए, राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने की समस्या लगातार बनी हुई है। इससे केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु शुरू की गई विविध पहलों के कार्यान्वयन के लिए धन आवंटित नहीं किया जा रहा है।
- **पुनर्वास सेवाएं: 69 प्रतिशत दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।** ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास संबंधी सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और उपयोगिता का अभाव पाया जाता है।
- **डेटा और अनुसंधान का अभाव: अपडेटेड, विश्वसनीय और अलग-अलग तरह की दिव्यांगता से संबंधित वर्गीकृत डेटा का अभाव** है। इससे साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण एवं लक्षित हस्तक्षेपों में बाधा उत्पन्न होती है।

दिव्यांगजनों के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं

सामाजिक सशक्तीकरण
- सुगम्य भारत अभियान **(AIC)**
- विशिष्ट दिव्यांगता पहचान **(UDID)** परियोजना

शारीरिक सशक्तीकरण
- सहायता/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता **(ADIP)**

आर्थिक सशक्तीकरण
- दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
- उद्यमियों को रियायती ऋण प्रदान करना

शैक्षिक सशक्तीकरण
- दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना **(DDRS)**

आगे की राह

- **राज्यों को सहायता प्रदान करना:** केंद्र को राज्य एजेंसियों को विशेषज्ञ सलाह, लक्ष्यों और संसाधनों के साथ मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। इससे अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
- **सहयोग को बढ़ावा देना:** सरकारी निकायों, नागरिक समाज, दिव्यांगता अधिकार समूहों तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं समावेशन को बढ़ावा मिल सके।
- **पहुंच में सुधार:** भौतिक, डिजिटल और परिवहन संबंधी अवसंरचना की सार्वजनिक खरीद करते समय सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय खरीद संबंधी कानूनों व नीतियों में सुगम्यता संबंधी मानदंडों को शामिल करना चाहिए।
- **प्रभाव मूल्यांकन को बढ़ावा देना:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर डेटा सिस्टम को स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **सोशल ऑडिट:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, दिव्यांगजनों को शामिल करने वाली सभी सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का उपयुक्त सरकार द्वारा सोशल ऑडिट करना आवश्यक है। इस प्रावधान को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की जरूरत है।

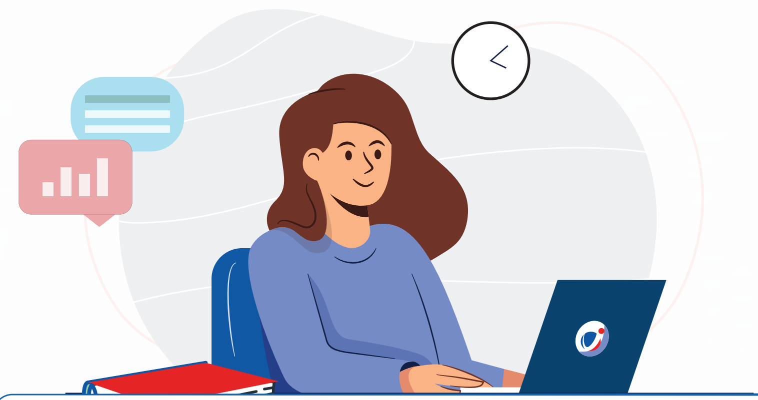

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए
एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं- ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. शिक्षा (Education)

4.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020: एक नज़र में (National Education Policy 2020 at a Glance)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

भारत को एक जीवंत समाज और वैश्विक ज्ञान आधारित महाशक्ति में रूपांतरित करने के उद्देश्य से NEP, 1986 (1992 में संशोधित) को प्रतिस्थापित करने के लिए NEP, 2020 जारी की गई है। इसे SDG 4 के अनुरूप तैयार किया गया है।

- **आधारभूत स्तंभः** पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही

NEP, 2020 के प्रमुख सिद्धांत

- प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना
- ग्रेड 3 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) प्रदान करना
- रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक समझ पर जोर देना
- बहुभाषावाद को बढ़ावा देना

NEP 2020 के उद्देश्य

सार्वजनिक निवेश को जल्द–से–जल्द बढ़ाकर **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6 प्रतिशत** तक पहुंचाना। ■ GDP के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर कुल व्यय में वृद्धि देखी गई है और यह **4.64%** (2020–21) है।	**वर्ष 2030** तक प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर तक **सकल नामांकन अनुपात** (GER) **को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना।**	व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को **वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना।**

NEP 2020 के मुख्य बिंदु

नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है ■ **फाउंडेशन चरण (5)** ➤ 3 वर्ष (आंगनवाड़ी/प्री–स्कूल/ बाल वाटिका) (आयु 3–6) + 2 वर्ष (कक्षा 1 और 2) (आयु 6–8) ■ **प्रारंभिक चरण (3)** ➤ 3 वर्ष (कक्षा 3–5 तक) (आयुः 8 से 11) ■ **मध्य चरण (3)** ➤ 3 वर्ष (कक्षा 6–8 तक) (आयुः 11 से 14) ■ **माध्यमिक चरण (4)** ➤ 4 वर्ष (कक्षाः कक्षा 9–12 तक) (आयुः 14 से 18 वर्ष)	प्री–प्राइमरी स्कूल से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के **सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच** सुनिश्चित करना।	**एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र–परख/**PARAKH **की स्थापना** की जाएगी।	वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग **लैंगिक समावेशन निधि तथा विशेष शिक्षा क्षेत्र** बनाना।	**प्रायोगिक लर्निंगः** खेल, खोज, और गतिविधि–आधारित व इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग।

NEP के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम

- **पी.एम. श्री:** स्कूलों के उन्नयन के लिए
- **समझ के साथ पढ़ने और अंकगणित में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत):** ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और अंकगणित संबंधी समझ सुनिश्चित करने के लिए
- **दीक्षा / DIKSHA (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना)**
- शिक्षा पारितंत्र को सक्रिय और प्रोत्साहित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना बनाने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा पारितंत्र (NDEAR)
- **NISHTHA / निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0** एकीकृत **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम**
- **न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास** के तहत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर–साक्षर लोगों को लक्षित किया जाता है
- मूल शोध व शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए **32 भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) केंद्र** स्थापित किए गए हैं

4.2. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE): एक नज़र में (Early Childhood Care and Education at a Glance)

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन

भारतीय संदर्भ में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) को आम तौर पर **जन्म से लेकर आठ वर्ष तक** के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है।

ECCE के घटक

0–3 वर्ष के बच्चों के लिए क्रेच / होम स्टिम्युलेशन के जरिए अर्ली स्टिम्युलेशन प्रोग्राम।	**3–6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन (ECE) कार्यक्रम** (जैसा कि आंगनबाड़ियों, बालवाड़ियों, नर्सरी, प्री–स्कूल, किंडरगार्टन, प्रारंभिक स्कूलों आदि में देखा जाता है)।	**6–8 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा** के भाग के रूप में प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।

ECCE के लिए वैधानिक और नीतिगत फ्रेमवर्क

- **अनुच्छेद 45:** राज्य सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
- **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** इसमें प्रावधान किया गया है कि समुचित प्राधिकरण प्री–स्कूल शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020:** ECCE के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (NCF-FS) के तहत 0–3 साल के आयु समूह के बच्चों हेतु एक उप–ढांचे की सिफारिश की गई।
- **बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (CRC) 1989,** भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।
- **राष्ट्रीय बाल नीति (1974), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2005),** आदि।

भारत में ECCE के लिए की गई पहलें

एकीकृत बाल विकास सेवा	**सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0**	मिशन शक्ति के तहत **पालना (आंगनवाड़ी सह क्रेच का प्रावधान)** और **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** शुरू की गई है।	**वर्ष 2023 में 'पोषण भी पढ़ाई भी' पहल लॉन्च की गई।**

वैश्विक पहलें

यूनेस्को ने **प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए वैश्विक भागीदारी रणनीति (Global Partnership Strategy for Early Childhood)** की स्थापना की है।	**बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (CRC) 1989** और **सभी के लिए शिक्षा (EFA) 1990**, का लक्ष्य सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना है, क्योंकि **"सीखने की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है"।**	**SDG4 (समावेशी तथा न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना) – 2030"** एजेंडा में शिक्षा समुदाय से परे ECCE के लिए पहली वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है।

ECCE को साकार करने से जुड़ी चुनौतियां

- **अपर्याप्त वित्त–पोषण:** 2020–21 में, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर **सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.1 प्रतिशत** था।
- ECCE केंद्रों में बच्चों की आयु और उनके विकास की दृष्टि से उपयुक्त टूल एवं खेल से संबंधित सामग्री का अभाव है।
- **शिक्षक:** शिक्षकों से जुड़े मुद्दे, जैसे– उनकी योग्यता, नियुक्ति, वेतन आदि भी मौजूद हैं।
- **एडमिशन की अनिश्चित प्रक्रिया:** ECCE केंद्रों में बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया में स्पष्टता नहीं है।
- स्पष्ट निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र का अभाव है।
- **भारत में बाल्यावस्था देखभाल सहायता प्रणाली पर अत्यधिक बोझ:** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पहल के तहत प्रत्येक 22 बच्चों पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही मौजूद है।
- अलग–अलग मंत्रालय और संस्थान के मध्य अपर्याप्त **अभिसरण/समन्वय** हैं।

आगे की राह

- **ECCE सुविधाओं का विस्तार और उन्हें मजबूत बनाना:** विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों को फोकस करना चाहिए।
- गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ECCE केंद्रों का पंजीकरण करना और उन्हें मान्यता प्रदान करना चाहिए।
- नवीन और सफल मॉडल तैयार करने के लिए अनुसंधान करने और उनके प्रभाव का अध्ययन भी किया जाना चाहिए।
- **ECCE को MoWCD के वैधानिक दायित्व के रूप में मान्यता देना।**
- शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) को **शिक्षक–केंद्रित बनाने के बजाय बाल–केंद्रित बनाना चाहिए।**
- **CSR** फंड बच्चों की देखभाल की गुणवत्ता और कवरेज को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

4.2.1. आधारशिला: ECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (Aadharshila: a National Curriculum for ECCE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)[10] के लिए एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया है, जिसका नाम **'आधारशिला'** है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तर्ज पर आधारित है।

आधारशिला के बारे में

- **आधारशिला आंगनवाड़ियों में तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक विस्तृत 48-सप्ताह का पाठ्यक्रम** है।
- **पाठ्यक्रम में साप्ताहिक आधारित खेल कैलेंडर शामिल है:**
    - शुरुआत के चार सप्ताह में शैक्षणिक गतिविधियां शामिल हैं। इससे बच्चों को खेल संबंधी गतिविधियों में शामिल करके घर से आंगनवाड़ी केंद्र तक लाने में मदद मिलेगी।
    - अगले 36 सप्ताह अन्वेषण, खेल, बातचीत, क्रिएशन और प्रशंसा, चिंतन आदि में बिताए जाते हैं जिसमें कहानी सुनाना, कविताएँ पढ़ना, कला और शिल्प आदि सहित विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।
        - कहानी कहने के विषय संघर्ष समाधान, जिम्मेदारी लेने, दूसरों के साथ काम करने और उनकी मदद करने के इर्द-गिर्द होगी।
    - **अंतिम आठ सप्ताह में वर्कशीट और बच्चों के प्रदर्शन के अवलोकन के साथ पिछले सप्ताह की सीख को दोहराया और सुदृढ़ किया जाएगा।**

[10] Early Childhood Care and Education

- यह राज्यों के लिए अपने स्वयं की संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए आधार का काम करेगा, जिसे बच्चों की स्कूली शिक्षा के बाद की चुनौतियों से निपटने के समाधान के रूप में देखा जाएगा।

नीति के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- ECCE **पंचकोश की अवधारणा** पर आधारित है- **शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और चैतसिक विकास**[11]।
- **प्रारंभिक वर्षों में भाषा और पढ़ना-लिखना सीखना:** बच्चों में पढ़ने लिखने से जुड़े उभरते कौशल, जैसे- प्रिंट अवेयरनेस (चित्र के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना), ड्राइंग, स्क्रिबलिंग आदि को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **लर्निंग का सकारात्मक माहौल (दैनिक कार्य और आत्म-नियंत्रण संबंधी कौशल):** इसके तहत बच्चों में दिनचर्या का पालन करने, उनको सकारात्मक माहौल प्रदान करने, बच्चों में नेतृत्व के कौशल को बढ़ावा देने और निष्पक्ष रूप से विकल्प चुनने के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
- **खेल-खेल में सीखना:** खेलों के जरिए प्राप्त ज्ञान या सीख बच्चों के मस्तिष्क पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। कुछ खेल-आधारित गतिविधियां हैं- पहेलियां, रोल प्ले करना, किताबें पढ़ना, कहानियां बनाना, भाषा और गणित से जुड़े खेल, गाइडेड वाक।
- **अन्य:**
  - आंगनवाड़ी केंद्रों में **सीखने या लर्निंग की विविधतापूर्ण पद्धतियों को अपनाना** आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **कम आयु से ही लैंगिक समानता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है,** क्योंकि लैंगिक भेद-भाव की शुरुआत और उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया बच्चों में कम आयु से ही शुरू हो जाती है। यह बच्चों की आत्म-अवधारणा, आकांक्षाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है।
  - **दिव्यांगों का समावेशन**
    - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2023 में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल जारी किया था। इसमें दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, इन्क्लूशन और रेफरल की सुविधा प्रदान की गई है।

4.2.2. नवचेतना - नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन (Navchetana - National Framework for Early Childhood Stimulation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने जन्म से तीन साल तक के बच्चों के लिए '**नवचेतना - नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन 2024**' लॉन्च किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नवचेतना का उद्देश्य जन्म से तीन साल तक के बच्चों के समग्र विकास में सहायता करना है। यह देखभाल करने वालों के तीन कार्यों- स्नेह या प्यार, बातचीत, खेल और सकारात्मक मार्गदर्शन के आधार पर सेवा व प्रतिक्रिया के सिद्धांतों पर आधारित है।
- **दिव्यांग बच्चों** की स्क्रीनिंग, समावेशन और रेफरल पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- यह रूपरेखा बच्चों के दीर्घकालिक विकास के लिए एक कदम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **सभी बच्चे समान स्तर पर सीखने की अपनी यात्रा शुरू करें।**

अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन (ECS)

- ECS गतिविधियों में बच्चे के प्रारंभिक विकास को सक्रिय करने के लिए जानबूझकर किए जाने वाले क्रियाकलाप शामिल होते हैं।
- ECS की शुरुआत बच्चे के जैविक और संवेदी विकास से होती है, जो मां के गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है।
- **ECS की आवश्यकता क्यों?**
  - प्रारंभिक तीन वर्षों की आयु में शिशु का मस्तिष्क एक वयस्क के मस्तिष्क की तुलना में दोगुना सक्रिय होता है। इसी उम्र में **मस्तिष्क में सोचने और प्रतिक्रिया देने के पैटर्न** बनते हैं।
  - जन्म के समय, एक औसत शिशु का मस्तिष्क **औसत वयस्क के मस्तिष्क के आकार का लगभग 25%** होता है। **शेष 75% का विकास बच्चे के जीवन के आरंभिक तीन वर्षों** में होता है।

---

[11] Physical Development, Development of Life Energy, Emotional/Mental Development, Intellectual Development, and Spiritual Development

© Vision IAS

ECS फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **बच्चों का सर्वोत्तम विकास सुनिश्चित** करना है। इसके तहत समग्र प्रारंभिक अनुकरण हेतु उत्तरदायी देखभाल और आरंभिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए देखभाल करने वालों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया जाएगा।
- यह फ्रेमवर्क **पोषण देखभाल फ्रेमवर्क के पांच घटकों में से दो पर** बल देता है: **(1) उत्तरदायी देखभाल और (2) प्रारंभिक लर्निंग के लिए अवसर पैदा करना।**
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **2018** में प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास के लिए **"पोषण देखभाल फ्रेमवर्क"** प्रदान किया था।
- **विकास के लिए गतिविधियाँ**: बच्चे के **संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक, भाषाई, शारीरिक और रचनात्मक विकास** के समग्र अनुकरण के लिए 0-36 महीने तक के बच्चों हेतु **गतिविधियों के 36 सेट** शामिल हैं।
- **दिव्यांग बच्चों का समावेशन:** इसमें आयु-उपयुक्त स्क्रीनिंग टूल शामिल है।
- **देखभाल करने वालों को परामर्श:** स्टिमुलेशन गतिविधियों के संचालन के बारे में मार्गदर्शन।

देखभाल करने वालों को परामर्श देना

यह देखा गया है कि स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताने वाले बच्चे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इंटरैक्टिव बातचीत नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है कि स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताने वाले बच्चों को बातचीत करने के कम अवसर मिले, जिससे बोलने और भाषा के विकास में देरी हो सकती है। स्क्रीन पर अत्यधिक निर्भरता से अधीरता, हताशा और कंसन्ट्रेशन में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

माता-पिता को शायद यह पता न हो कि उनके बच्चे के इष्टतम विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल और बातचीत ज़रूरी है। उन्हें घर पर शुरुआती स्टिमुलेशन जारी रखने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। माता-पिता को निम्नलिखित के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए:

- बच्चे का ध्यान अपनी और आकर्षित करने के लिए
- अपने बच्चे से बातचीत करने, उसके बातों का जवाब देने के लिए
- धीरे-धीरे, संवेदनशील और अनुक्रियाशील तरीके से खेल गतिविधियों को संपन्न करने के लिए
- अपने बच्चे की उम्र और कौशल के लिए उपयुक्त गतिविधियों का चयन करने के लिए
- बच्चे को किसी नए कार्य में मदद करने और उसके प्रयासों के लिए उसकी प्रशंसा करने के लिए

4.3. स्कूली शिक्षा: एक नज़र में (School Education at a Glance)

स्कूली शिक्षा

सकल नामांकन अनुपात	ड्रॉपआउट दर	स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष	लैंगिक समानता सूचकांक
▪ प्राथमिक: 100.13: (UDISE+) ▪ माध्यमिक: 79.56: (UDISE+)	▪ प्राथमिक: 1.45: (UDISE+) ▪ माध्यमिक: 12.62: (UDISE+)	▪ 6.7 वर्ष (UNDP की वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021)	▪ प्राथमिक: 1.02 ▪ माध्यमिक: 1.00

स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- **खराब लर्निंग आउटकम:** 14–18 वर्ष के लगभग 25% ग्रामीण युवा अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा II स्तर का पाठ धाराप्रवाह ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। (ASER, 2023)
- **खराब शिक्षाशास्त्र (Pedagogy):** वर्तमान में स्कूलों में **रट्टा–आधारित शिक्षा, वन–साइज–फिट्स–ऑल** पर आधारित शिक्षण मॉडल और **अनावश्यक प्रतिस्पर्धा** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके कारण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- **एकल शिक्षक वाले विद्यालय:** लगभग 1.1 लाख एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में से लगभग 89% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। (यूनेस्को 2021)
- **शिक्षकों को गैर–शिक्षण कार्यों में लगाना:** NIEPA की एक रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षकों के वार्षिक स्कूल घंटों का केवल 19% शिक्षण कार्यों पर व्यतीत होता है।
- **योग्य शिक्षकों का अभाव:** कई शिक्षक स्वयं अपने द्वारा **पढ़ाए जाने वाले ग्रेड के पेपर में <60-70% अंक प्राप्त कर रहे हैं** (नीति आयोग)।
- ज्यादातर स्कूलों में पेयजल, बिजली, अध्ययन सामग्री जैसी **मूलभूत सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।**

आगे की राह

- **एक्सचेंज प्रोग्राम:** ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने के लिए छात्र और शिक्षक एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए।
- **स्कूलों को गोद लेना:** निजी स्कूल CSR मॉडल के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों को गोद ले सकते हैं।
- **शिक्षक प्रशिक्षण:** शिक्षक शिक्षण में प्रथम व्यावसायिक डिग्री/ डिप्लोमा केवल फेस–टू–फेस पद्धति से ही प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, दूरस्थ शिक्षण को केवल शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए ही अपनाया जाना चाहिए। (न्यायमूर्ति वर्मा समिति, 2012)
- **जवाबदेही बढ़ाना:** शिक्षक की शिक्षा संबंधी योग्यता के साथ–साथ स्कूलों के लिए पारदर्शी और विश्वसनीय मान्यता तंत्र स्थापित करना।
- **शिक्षण पद्धति को नया स्वरूप देना:** अनुभवात्मक शिक्षा, जैसे– कला–युक्त शिक्षा, स्टोरी–टेलिंग पर आधारित शिक्षण पद्धति, हितधारक भागीदारी, आदि को अपनाना।
- **सतत मूल्यांकन:** फीडबैक के आधार पर सुधार के साथ CBSE की सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) प्रणाली को लागू करना।

4.3.1. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework For School Education: NCF-SE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय ने **'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE)'** जारी की है। इसे **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद** (NCERT)[12] ने तैयार किया है।

[12] National Council of Educational Research and Training

© Vision IAS

NCF-SE के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **पाठ्यचर्या की रूपरेखा (Curriculum framework):** NCF-SE ने इसे 4 चरणों वाली वर्तमान स्कूली शिक्षा संरचना के स्थान पर स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 प्रारूप में डिजाइन किया है।
- **बोर्ड की परीक्षाएं:** कक्षा 10 और 12 के लिए, सभी छात्रों को किसी भी स्कूली-वर्ष के दौरान **कम-से-कम दो अवसरों** पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इनमें **केवल सबसे बेहतर अंक को परिणाम में शामिल** किया जाएगा। इन दो अवसरों में एक **मुख्य परीक्षा होगी और एक उसमें सुधार** के लिए परीक्षा होगी।
- **अध्ययन का पैटर्न:** अध्ययन पैटर्न में वार्षिक परीक्षा की बजाय **सेमेस्टर डिजाइन** को अपनाया जाएगा।
- **बहुभाषावाद और भारतीय भाषाएं:** सभी छात्र कम-से-कम **तीन भाषाओं** में निपुण होने चाहिए। इनमें से कम-से-कम **दो भारत की देशज भाषाएं** होनी चाहिए।
- **माध्यमिक स्तर पर लचीलापन और विकल्प:** शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों के बीच या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा के बीच कोई जटिल विभाजन नहीं किया जाएगा।
- **व्यावसायिक शिक्षा:** इसमें **निम्नलिखित तीन अलग-अलग कार्य क्षेत्रों से जुड़ने पर बल दिया जाएगा:**
  - जीवन रूपों (कृषि, पशुपालन) से जुड़े कार्य,
  - सामग्री और मशीनों से जुड़े कार्य, तथा
  - मानव सेवाओं से संबंधित कार्य।
- **भारतीय मूल पर आधारित:** प्राचीन से समकालीन समय तक भारतीयों ने अलग-अलग विषयों के ज्ञान में योगदान दिया है। उनके योगदान को स्कूल के सभी विषयों के पाठ्यक्रम संबंधी लक्ष्यों में एकीकृत किया गया है।
- **वैज्ञानिक जांच संबंधी क्षमताएं:** विज्ञान संबंधी शिक्षा मौलिक सिद्धांतों, नियमों आदि के ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ वैज्ञानिक जांच की क्षमताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- **अध्ययन के अंतःविषय क्षेत्र:** इसे माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया है।
- **पर्यावरणीय शिक्षा:** स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों/ चरणों में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसे माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में लागू किया गया है।

NCF-SE की आवश्यकता क्यों?

- **पूरे भारत में समकालीन रूपरेखा और राष्ट्रीय मानक:** यह मानते हुए कि **स्कूली शिक्षा राज्य के नियंत्रण में है,** भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा में सामंजस्य और सुसंगतता हेतु यह आवश्यक है।
- **ज्ञान-आधारित दृष्टिकोण:** परीक्षा-केंद्रित शिक्षा प्रणाली के स्थान पर ज्ञान-आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाना।
- **शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाना:** एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (Integrated Teacher Education Programme: ITEP) के अंतर्गत **'विशेषज्ञता पाठ्यक्रम'** (Curriculum for the specialisations) NSF की पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र पर आधारित है। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा।
- **नई तकनीकों को शामिल करना:** जैसे- स्क्रीन-आधारित डिवाइस पर पढ़ने और लिखने से संबंधित नई तकनीकें लोकप्रिय हो रही हैं।
- **छात्रों का समग्र विकास:** स्कूली शिक्षा के चार चरणों के लिए पाठ्यचर्या को **बाल विकास, वैचारिक विकास और प्रत्येक आयु सीमा में परीक्षण के उचित तरीकों** के आधार पर तैयार किया गया है।

NCF-SE से जुड़ी चिंताएं

- **पाठ्यचर्या का अति-केंद्रीकृत डिजाइन:** यह संघीय ढांचे में शिक्षा की समवर्ती प्रकृति के विपरीत है। साथ ही, यह पाठ्यचर्या सांस्कृतिक विविधता एवं समानता सुनिश्चित करने में राज्यों की भूमिका के भी अनुरूप नहीं है।
- **लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां:** वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने में व्यवहार्यता और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - साथ ही, एक ही वर्ष में बोर्ड की परीक्षाओं के कारण छात्र दो बार तनाव का सामना कर सकते हैं।
- **शिक्षकों व कार्यबल की कमी:** भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की कम उपलब्धता और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यबल की व्यापक कमी है।
- **स्कूलों की निर्धारित क्षमता:** ऐसा भी हो सकता है कि कई स्कूल 11वीं और 12वीं की कक्षा में सभी विषय शुरू करने की स्थिति में न हों।

आगे की राह

- **उच्चतर शिक्षा में सुधार करना:** नई रूपरेखा के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ताकि स्कूल से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
- **स्कूलों में भेदभावपूर्ण और बहिष्करण प्रणालियों पर रोक लगाने** की आवश्यकता है। इससे अपनी रूचि के अनुसार विषय का चयन करने की छात्रों की क्षमता प्रभावित होती है।
- **छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार:** शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 2020-21 में घटकर 26.3 हो गया है। यह अनुपात 2010-11 में 43 था।
- **सार्वजनिक निवेश में वृद्धि:** वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.64% के बराबर था। हालांकि, यह अभी भी NEP-2020 के तहत निर्धारित 6% के लक्ष्य से कम है।

4.4. भारत में उच्चतर शिक्षा (Higher Education in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **"उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के कार्यान्वयन"** को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

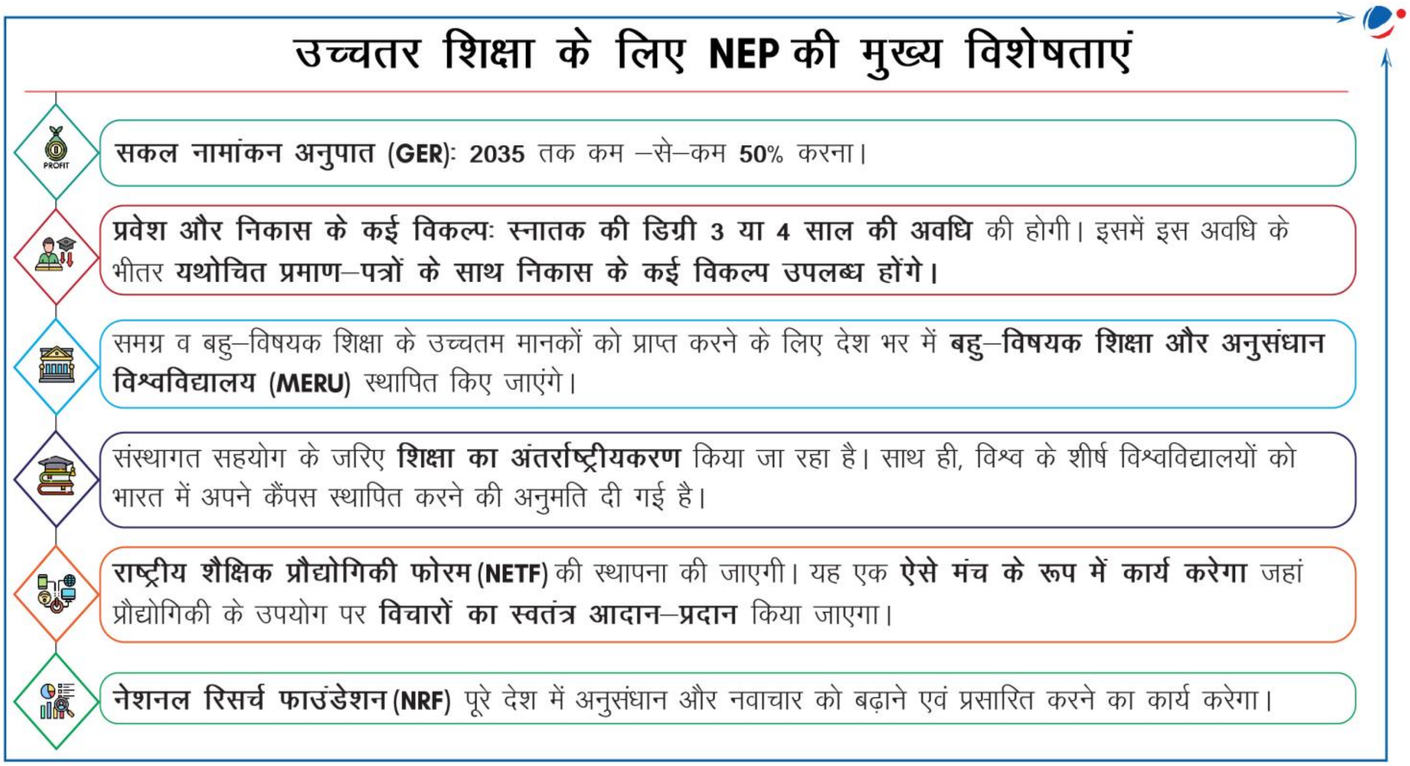

भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं

- **बिखरा पारितंत्र:** शिक्षा संगठनों के बीच एकीकरण और समन्वय की कमी; उदाहरण के लिए, 35.8% कॉलेज में केवल एक ही प्रोग्राम या कोर्स है, जिससे छात्रों की विविध क्षेत्रों तक पहुँच सीमित हो जाती है (AISHE रिपोर्ट 2020-21)।
- **फिक्स्ड विषय:** विशेषज्ञता और स्ट्रीमिंग छात्रों को संकीर्ण अध्ययन क्षेत्रों में धकेलती है।
- **शोध पर कम ध्यान:** अन्य देशों की तुलना में भविष्य को मद्देनजर रखकर किए जाने वाले शोध के लिए सीमित दायरा और वित्त-पोषण।
- **सीमित स्वायत्तता:** संस्थानों को पाठ्यक्रम, शोध, प्रवेश और कर्मचारियों की नियुक्तियों के मामले में सख्त विनियमों का सामना करना पड़ता है।
- **क्षेत्रीय भाषा पर जोर:** अंग्रेजी-केंद्रित पाठ्यक्रम, क्षेत्रीय भाषा में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रभावित करता है।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **पर्सनलाइज्ड डिग्री प्रोग्राम:** छात्रों की करियर संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप पर्सनलाइज्ड, इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री को प्रोत्साहित करना।
- **उद्योग जगत और शिक्षा जगत के मध्य जुड़ाव:** नवाचार, प्रयोग और व्यावहारिक समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- **रचनात्मक क्षमता का विकास:** वित्तीय सहायता के साथ अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देना, संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए रटने वाली शिक्षा प्रणाली को दरकिनार करना।
- **क्षेत्रीय भाषाएँ:** पहुँच और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम एवं डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना।
- **हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा की उपलब्धता:** जागरूकता अभियान, बेहतर अवसंरचना और विशेषीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे समुदायों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना।
- **मल्टी-एंट्री और मल्टीपल एग्जिट (MEME):** छात्र के लिए एग्जिट पॉइंट्स के संबंध में पात्रता मानदंड और क्रेडिट हस्तांतरण प्रणाली के साथ एक स्पष्ट MEME फ्रेमवर्क विकसित करना।

4.5. उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता {Accreditation of Higher Education Institutions (HEIs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) की मान्यता प्रणाली (Accreditation system) में सुधारों पर गठित **डी.के. राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट** को स्वीकार कर लिया है।

भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता के बारे में

- **मान्यता** शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **'UGC अधिनियम, 1956'** के प्रावधानों के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है।

प्रत्यायन (Accreditation) का महत्त्व

- **स्टूडेंट:** इससे वे सर्वोत्तम संस्थानों और उनके शिक्षा कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं।
- **नियोक्ता:** प्रत्यायन वस्तुतः शिक्षा कार्यक्रम की विश्वसनीयता और स्टूडेंट के ज्ञान के स्तर को निर्धारित करने में सहायक होता है।
- **संस्थान:** इससे स्टूडेंट को संस्थान में बनाए रखने, संसाधन आवंटन के लिए बेहतर योजना निर्माण और निवेश जुटाने में मदद मिलती है।
- **वित्त–पोषण एजेंसी:** ऐसी एजेंसियां फंडिंग के लिए संस्था की पात्रता का आकलन करने हेतु वस्तुनिष्ठ डेटा प्राप्त कर सकती हैं।
- **देश:** यह अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों रैंकिंग को सुधारने का अवसर प्रदान करता है।

भारत की मान्यता प्रणाली में चुनौतियां

- **केंद्रीकृत प्रणाली:** भारत में विनियमन संबंधी व्यवस्था और मान्यता प्रणाली बहुत अधिक केंद्रीकृत है। इसके अलावा, इस पूरे इकोसिस्टम तक राज्यों की सभी संस्थाओं की मुक्त पहुंच नहीं है।
- **कम भागीदारी:** उदाहरण के लिए- देश भर में 1,113 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से केवल 418 विश्वविद्यालय NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
- **दोहराव और ओवरलैपिंग:** वर्तमान में, कई एजेंसियों को समय-समय पर स्वीकृति, मूल्यांकन, मान्यता और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा गया है।
    - इनमें से प्रत्येक एजेंसी कई बार एक ही HEI से जानकारी एकत्र करती है, जो प्रायः समान होती है।

- **चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया:** मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा मांगी गई जानकारी के संग्रह की प्रक्रिया (वह भी अलग-अलग समय के दौरान) बोझिल और थकाऊ है।
- **मैनुअल/ हाइब्रिड सिस्टम:** इसके कारण अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के बीच उच्च स्तर की व्यक्तिपरकता (Subjectivity) और विसंगतियां आती है।
- **कथित भ्रष्टाचार:** उदाहरण के लिए- हाल ही में, NAAC मान्यता प्रणाली के तहत निहित स्वार्थ, कदाचार की संभावना को उजागर किया गया है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़ी भारत की मान्यता प्रणाली में सुधार के लिए की गई मुख्य सिफारिशें

- **समग्र मूल्यांकन प्रणाली (CAS)[13]:** नई प्रस्तावित मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके प्रत्येक कार्यक्रम को शामिल करना चाहिए।
- **द्विआधारी (Binary) मान्यता प्रणाली:** समिति ने NAAC की वर्तमान 8-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली से **एक द्विआधारी मान्यता प्रणाली** को अपनाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जैसे- **मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त।**
- **मैच्योरिटी-आधारित ग्रेडेड प्रत्यायन:** इसके तहत HEIs को लेवल 1 से लेवल 5 के बीच वर्गीकृत किया जाएगा। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य HEIs को विभिन्न विषयों में गहराई या व्यापक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करना है।।
- **वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म:** समिति ने इसकी सिफारिश संस्थागत डेटा के संचालन में अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की है।
- **हितधारक का सत्यापन:** इसका उद्देश्य प्रत्यायन और रैंकिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हितधारकों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना है।
- **अन्य प्रस्ताव:** समिति ने विविध उपयोगकर्ताओं के लिए एक विकल्प आधारित रैंकिंग प्रणाली का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, समिति ने प्रक्रिया को अधिक कुशल और कम बोझिल बनाने के लिए HEIs के लिए पुनः प्रत्यायन की आवधिकता पर फिर से विचार करने की सिफारिश की है।

स्कूलों की मान्यता

- भारत में, **स्कूलों के नियमित मूल्यांकन को लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।**
- NEP, 2020 प्री-स्कूल शिक्षा सहित **शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्तापूर्ण स्व-विनियमन या मान्यता प्रणाली** की कल्पना करती है।
  - यह **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)[14]** द्वारा एक अलग स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आधिकारिक मान्यता ढांचा विकसित करने की भी सिफारिश करती है।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABET) 'गुणवत्तापूर्ण स्कूल प्रशासन के लिए प्रत्यायन मानक[15]'** नामक एक मान्यता कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है।
  - NABET **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)[16]** का एक घटक बोर्ड है।
  - **इन मानकों में तीन बुनियादी खंड शामिल हैं:**
    - स्कूल प्रशासन
    - शैक्षिक और समर्थन प्रक्रियाएं
    - प्रदर्शन का मापन और सुधार।

4.6. भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) का विनियमन (Regulation of FHEIs in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **UGC {भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन} विनियमन[17], 2023** अधिसूचित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- FHEI का आशय एक ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान से है, जिसे विदेशों में स्थापित/ निगमित किया गया हो या वह वहीं मान्यता प्राप्त हो। साथ ही, जहां स्नातक और/ या उच्चतर शैक्षणिक/ अनुसंधान कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध हो।

---

[13] Composite Assessment System

[14] State Council of Educational Research and Training

[15] Accreditation standard for Quality School Governance

[16] Quality Council of India

[17] UGC (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India

© Vision IAS

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सिफारिशों के अनुरूप भारत में FHEIs के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना है।

FHEIs के लाभ / महत्त्व

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि**
- भारत से **विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह में कमी**
- भारत में **अनुसंधान संबंधी अवसरों में सुधार**
- **प्रतिभा पलायन में कमी**
- **उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा** को बढ़ावा
- यह भारतीय स्टूडेंट्स को वहनीय आधार पर विदेशी संस्थान से डिग्री लेने सक्षम बनाता है

इन विनियमों के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **मंजूरी लेना:** FHEIs को भारत में अपने परिसरों की स्थापना करने, कोई शैक्षिक प्रोग्राम शुरू करने तथा किसी पाठ्यक्रम या शैक्षिक प्रोग्राम को बंद करने से पहले UGC की मंजूरी लेनी होगी।
  - FHEIs को ऐसा कोई भी शैक्षिक प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी, जो भारत में उच्चतर शिक्षा के मानकों के अनुसार न हो।
- **पात्रता मानदंड:** इच्छुक **FHEI को शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग** (समग्र श्रेणी या विषय-वार श्रेणी) में स्थान प्राप्त होना चाहिए, अथवा FHEI को किसी **विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेषज्ञता** प्राप्त होनी चाहिए।
- **शैक्षणिक मान्यता:** FHEIs के भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली डिग्री/ डिप्लोमा इन FHEIs के मूल देश में स्थित मुख्य परिसर में दी जाने वाली डिग्री/ डिप्लोमा के समान होंगी। साथ ही, **शिक्षा की गुणवत्ता** भी समान स्तर की होनी चाहिए।
  - FHEIs को **ऑनलाइन या ओपन एवं दूरस्थ-शिक्षा मोड में प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं** होगी।
- **स्वायत्तता:** FHEIs को निम्नलिखित मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होगी:
  - प्रवेश प्रक्रिया और मानदंड तय करने में,
  - अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती करने में, तथा
  - पारदर्शी एवं उचित शुल्क संरचना तय करने में।
- **प्रतिबंध:** FHEIs के परिसर का संचालन भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के प्रतिकूल तरीके से नहीं किया जा सकेगा।
  - FHEIs परिसरों को विदेशी स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने के लिए **भारत सरकार की पूर्व-मंजूरी** लेनी होगी।

भारत में FHEI के लिए आरंभ की गई पहलें

- **केंद्रीय बजट 2022–23** में घोषणा की गई थी कि गुजरात की **GIFT सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को घरेलू विनियमों से मुक्त** पाठ्यक्रम संचालित करने की **अनुमति** दी जाएगी।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 में भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों** की स्थापना तथा उनके साथ सहयोग का प्रावधान किया गया है।
- UGC ने **भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन**, 2023 जारी किए हैं।

4.7. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) अधिनियम, 2023 {Anusandhan National Research Foundation (NRF) ACT, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)** की स्थापना हेतु **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनयम, 2023** पारित किया।

अधिनियम के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र

- **अनुसंधान NRF की स्थापना करना ताकि** निम्नलिखित क्षेत्रकों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता हेतु रणनीतिक दिशा प्रदान की जा सके-
  - प्राकृतिक विज्ञान (गणित, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी); पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान; स्वास्थ्य व कृषि।
  - ऐसे अनुसंधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, निगरानी और सहायता।
- **गवर्निंग बोर्ड** द्वारा फाउंडेशन (प्रतिष्ठान) को **रणनीतिक दिशा प्रदान** की जाएगी। साथ ही, यह बोर्ड प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** NRF का **प्रशासनिक विभाग होगा।**
- **NRF के लिए फंड:**
  - **प्रतिष्ठान को निम्नलिखित की सहायता से वित्त पोषित किया जाएगा:**
    - केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण,
    - फंड के लिए दिया गया दान,
    - प्रतिष्ठान को मिली राशि के निवेश से प्राप्त आय, और
  - **गवर्निंग बोर्ड निम्नलिखित निधियों का गठन करेगा-**
    - **अनुसंधान NRF कोष:** वेतन, भत्ते और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए।
    - **नवाचार कोष:** प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनात्मकता के वित्त-पोषण के लिए।
    - 2008 के अधिनियम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए **विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष।**
- यह अधिनियम **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) को समाप्त** करता है तथा इसका NRF में विलय करता है।
- **अनुसंधान NRF का मॉडल अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF)** के आधार पर **तैयार** किया गया है।

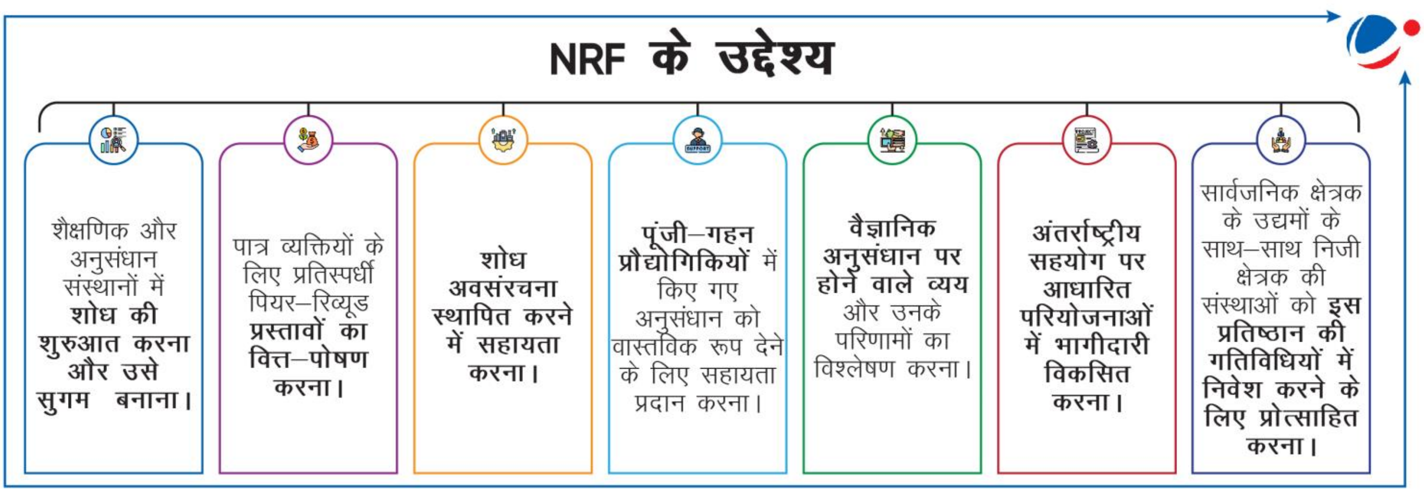

NRF का क्या महत्त्व है?

- **वित्त-पोषण में वृद्धि करना:** NRF एक नीतिगत ढांचा और विनियामकीय प्रक्रियाएं तैयार करेगा। इनकी सहायता से देश में सरकारी और निजी, दोनों स्रोतों से **वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा** मिलेगा। साथ ही, इससे **फंडिंग में भी वृद्धि होगी।**
- **असमानता को दूर करना:** IITs और IISc जैसे अनुसंधान संस्थानों को उनकी अवसंरचना तथा रैंकिंग के कारण काफी अधिक वित्त-पोषण प्राप्त होता है। **NRF को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित** किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सभी शैक्षणिक केंद्रों में अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देना है।

© Vision IAS

- **अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना:** NRF **सेवारत और सेवानिवृत्त शोधकर्ताओं की उत्कृष्ट प्रतिभा का उपयोग** करेगा। वे ऐसे **शासकीय और अन्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अनुसंधान का मार्गदर्शन करते हुए शोध संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे।**
- **बहु-विषयक परियोजनाओं का समर्थन करना:** NRF शिक्षाविदों, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों को **देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मिलकर कार्य** करने का अवसर प्रदान करेगा। इन क्षेत्रों में संधारणीय अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (transition) आदि शामिल हैं।
- **सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करना:** NRF **मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कला में अनुसंधान को बढ़ावा** देगा। इसे रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

अधिनियम से संबंधित चिंताएं

- **वित्त-पोषण और नियुक्ति संबंधी मुद्दे:** NRF अधिनियम **विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को व्यापक स्तर पर अनुसंधान करने के लिए ब्लॉक फंडिंग प्रदान करने की बजाय प्रोजेक्ट फंडिंग** प्रदान करने पर केंद्रित है। साथ ही, अनुसंधान गतिविधियों के लिए शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति से संबंधित चुनौती का अभी तक समाधान नहीं किया गया है।
- **हितधारकों का अभाव:** NRF के निर्णयों में **आर्थिक और सामाजिक मंत्रालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (CPSEs) को शामिल करने के संबंध में स्पष्टता का अभाव है।**
- **सहकारी संघवाद के लिए चुनौती:** यह अधिनियम निर्णय लेने वाली संस्था/ निकाय में **उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की राज्य परिषदों के दृष्टिकोण को शामिल नहीं** करता है।

आगे की राह

- **अनुसंधान को प्राथमिकता देना:** NRF के तहत **उच्चतर शैक्षिक संस्थानों, सरकारी अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, सहकारी औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए। साथ ही, इसके तहत ऐसी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय के लिए प्रौद्योगिकी विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** कम-विकसित संस्थानों को फंड्स प्रदान करके अनुसंधान की शुरुआत करने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों एवं परिणामों की निगरानी पारदर्शी होनी चाहिए।
- **समावेशिता को प्राथमिकता देना:** यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मूल अनुसंधान और छोटे पैमाने के अनुसंधान प्रस्तावों को नजरअंदाज नहीं किया जाए।
- **व्यापक स्तरीय परामर्श:** NRF की मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रस्ताव की मंजूरी से पहले सार्वजनिक भागीदारी शामिल होनी चाहिए। इसके तहत **प्रस्ताव के सारांश को खुले तौर पर साझा करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए।** इसके अलावा, फीडबैक के लिए **वैज्ञानिक समुदाय** और अनुसंधान उपयोगकर्ताओं को शामिल करना चाहिए।
- **कमियों को दूर करना:** शोधकर्ताओं की कम संख्या जैसे संरचनात्मक मुद्दों के समाधान हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही, देश में अनुसंधान की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक फंडिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

केस स्टडी: NSF ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैसे बदला

- **सामाजिक:** NSF **शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश** करता है। इससे विज्ञान और इंजीनियरिंग में वैश्विक चुनौतियों के समाधान सुनिश्चित होते हैं।
- **मौसम का पूर्वानुमान:** अमेरिका में NSF द्वारा समर्थित वैज्ञानिक **मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसी वायुमंडलीय परिघटनाओं का अध्ययन** कर रहे हैं। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार हो रहा है।
- **वैज्ञानिक विकास:** NSF देश के वैज्ञानिक उद्यम को बनाए रखने के लिए निवेश करता है। यह **सुपर कंप्यूटर, भूमि आधारित टेलिस्कोप्स, आर्कटिक व अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशंस तथा अत्याधुनिक उपकरणों** में निवेश करता है।
- **सहयोग:** NSF अमेरिका और सम्पूर्ण विश्व में **कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, सरकार तथा अन्य संगठनों** के बीच अनुसंधान भागीदारी का समर्थन करता है।
- **संचार:** NSF ने **फाइबर-ऑप्टिक संचार प्रणाली में आवश्यक गैर-फाइबर घटकों और उपकरणों के विकास** से संबंधित अनुसंधान का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4.8. क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा (Education in Regional Languages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने **स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं** को **संविधान की 8वीं अनुसूची** में शामिल **भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप से उपलब्ध** कराने का निर्देश दिया है।

क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने का महत्त्व

- **सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना और संज्ञानात्मक विकास:** बच्चे मातृभाषा में विषय के कॉन्सेप्ट्स को अधिक आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही, वे नए तरीके से सोच सकते हैं और विषय को अपनी भाषा में समझ कर उसे बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं।
- **संस्कृति और पहचान का संरक्षण:** क्षेत्रीय भाषाएं लोगों को उनकी **संस्कृति और विरासत** से आसानी से जोड़ती हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना: विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि** के छात्रों को समान शैक्षिक अवसर मिलता है।
- **सामुदायिक भागीदारी: जब शिक्षा की भाषा छात्रों की स्थानीय भाषाओं के अनुरूप होती है,** तो माता-पिता और गैर सरकारी संगठनों जैसे समुदाय के सदस्यों की स्कूलों के साथ जुड़ने की अधिक संभावना होती है।

क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा के लिए नीतिगत और कानूनी फ्रेमवर्क

- **संविधान का अनुच्छेद 350A:** इसमें प्रावधान किया गया है कि सरकार **भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों** को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:** इसमें प्रावधान किया गया है कि जहां तक संभव हो बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:** जहां तक संभव हो, कम–से–कम कक्षा 5 तक, परंतु बेहतर होगा कि कक्षा 8 तक और उससे आगे भी, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा ही हो।
- **क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने से संबंधित मुख्य पहलें:** अनुवादिनी (AI आधारित ऐप), ई–कुंभ (e-KUMBH) पोर्टल, प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन

क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने से संबंधित चुनौतियाँ

- **शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं उन्हें सक्षम बनाना:** क्षेत्रीय भाषाओं में **नई अध्ययन सामग्री तैयार करने** और **इनके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति** में शुरुआत में **बहुत अधिक व्यय होगा।**
- **अधिकांश उच्चतर शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध:** अक्सर कई एडवांस कोर्स एवं प्रोफेशनल अवसरों के लिए अंग्रेजी भाषा में दक्षता आवश्यक होती है।
- **वैश्वीकरण एवं जॉब मार्केट में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व:** क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और **छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करने की व्यावहारिकता के बीच** दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है।
- **तकनीकी बाधाएं:** क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल रिसोर्सेस और प्रौद्योगिकी का अभाव प्रभावी रूप से सीखने की राह में बाधा बन सकता है।
- **माता-पिता की आकांक्षाएं:** माता-पिता अक्सर **अपने बच्चों को अंग्रेजी में निपुण बनाने की आकांक्षा रखते हैं,** क्योंकि वे इसे बेहतर **करियर के अवसरों** का मार्ग मानते हैं।
- **प्रशासनिक एवं नीतिगत स्तर पर क्रियान्वयन:** एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए **विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में प्रयासों** का समन्वय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।

© Vision IAS

आगे की राह

- **शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम:** क्षेत्रीय भाषाओं में निपुणता और विषय-वस्तु के बारे में विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** शुरू करने की आवश्यकता है।
- **अंग्रेजी ट्रांज़िशन के लिए ब्रिज प्रोग्राम शुरू करना:** क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा से उच्चतर शिक्षा (अंग्रेजी-माध्यम में होने वाली) में जाने की सुविधा प्रदान करने हेतु।
- **तकनीक को अपनाना:** इसमें **ई-पुस्तकें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक ऐप** शामिल हैं। ये चीजें लर्निंग को अधिक इंटरैक्टिव एवं आसान बनाते हैं।
- **क्षेत्रीय भाषा शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना:** जैसे कि **छात्रवृत्ति, पुरस्कार और मान्यता।**
- **गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी करना: अतिरिक्त संसाधन, विशेषज्ञता और नवीन समाधान** उपलब्ध कराने हेतु।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के कार्यान्वयन में विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों एवं अनुभवों को सीखने एवं उन्हें लागू करने के आवश्यकता है, **जैसे कि फिलीपींस की बहुभाषी शिक्षा नीति आदि।**

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

5. स्वास्थ्य (Health)

5.1. स्वास्थ्य देखभाल: एक नज़र में (Healthcare at a Glance)

स्वास्थ्य देखभाल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, न कि केवल बीमारी या रोग की अनुपस्थिति के रूप में।

भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

- **संरचनाः**
    - प्राथमिकः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs), और उप–स्वास्थ्य केंद्र (SHCs)
    - द्वितीयकः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs), उप–जिला अस्पताल
    - तृतीयकः जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल
- **बेहतर उदाहरणः** मोहल्ला क्लीनिक मॉडल (दिल्ली), केरल और तमिलनाडु राज्य का बीमा मॉडल, आशा (ASHA) आदि।
- **PHCs के लिए वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियांः** उदाहरण के लिए, ब्राजील में पारिवारिक क्लीनिक और क्यूबा में पॉलीक्लिनिक्स एवं कार्यालय आदि।

भारत में स्वास्थ्य की स्थिति

- **स्वास्थ्य पर व्ययः** GDP का लगभग 1.35 प्रतिशत (स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय का 41.41%) (2019–20)
- **आउट–ऑफ–पॉकेट खर्च (OOPE):** सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च का 47.1% (2019–20)
- **स्वास्थ्य बीमा कवरेजः** 41% परिवार, जिनके किसी सदस्य को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया है। (NFHS–5)
- **कुल प्रजनन दर (TFR):** 2.0 (NFHS–5)
- **पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में बाल मृत्यु दर (U5MR):** 41.9 (NFHS–5)
- **शिशु मृत्यु दर (IMR):** 35.2 (NFHS–5)
- **नवजात मृत्यु दर (NMR):** 24.9 (NFHS–5)
- **मातृ मृत्यु दर (MMR):** 2018–20 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 97 (आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23)
- **संस्थागत प्रसवः** 88.6% (NFHS–5)
- **डॉक्टर–रोगी का निम्न अनुपातः** 1:834 (एलोपैथिक और आयुष, दोनों डॉक्टरों सहित) (WHO द्वारा निर्धारित 1:1,000)।
- **भौगोलिक असमानताः** लगभग 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, फिर भी सार्वजनिक अस्पताल के बेड का 73% शहरी क्षेत्रों में है।

5.2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** और **विश्व बैंक** ने संयुक्त रूप से **"ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग"** रिपोर्ट जारी की है।

© Vision IAS

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और इसका महत्व

- UHC का अर्थ है कि **सभी लोगों को वित्तीय कठिनाई के बिना हर तरह की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच** प्राप्त हो।
    - इसमें **स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से लेकर रोगों की रोकथाम, उपचार, रिकवरी तथा इलाज से पहले सामान्य देखभाल तक** आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के सभी घटक शामिल हैं।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के मुख्य आयाम

- **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच:** स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। यह लाभ केवल इसके लिए भुगतान करने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।
- **वित्तीय जोखिम से सुरक्षा:** लोग उपचार और देखभाल हेतु भुगतान करने के लिए ऋण जाल में नहीं फँसने चाहिए।
- **सेवाओं की गुणवत्ता:** उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त और प्रभावी होनी चाहिए।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में चुनौतियां: स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च, वित्तीय सुरक्षा का अभाव, बहुत कम राशि का स्वास्थ्य बीमा, आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) का अधिक होना, असमान पहुंच, स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूकता आदि।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए की गई पहलें

- **आयुष्मान भारत योजना:** सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए उपाय करना।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन:** यह टेलीमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच में सुधार करेगा।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017:** कम कीमत पर सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना।
- **सघन मिशन इंद्र धनुष:** राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके से वंचित रह गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान देना।

आगे की राह

- **रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:**
    - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण अपनाने से **स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार** हो सकता है।
    - विशेषकर गैर-संचारी रोगों के लिए **आवश्यक सेवाओं का विस्तार** किया जाए।
    - स्वास्थ्य देखभाल में **अप्रत्यक्ष लागत और सह-भुगतान** जैसी वित्तीय बाधाओं को दूर करना चाहिए।
    - गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम में **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता** प्रकट की जानी चाहिए।
- **सार्वजनिक खर्च में वृद्धि:** स्वास्थ्य पर **सरकारी खर्च को लगभग 5.2% तक बढ़ाया जाना** चाहिए। यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) का औसत स्वास्थ्य खर्च है।
- **संरचनात्मक मुद्दों का समाधान:** इसे निम्नलिखित उपायों की सहायता ठीक किया जा सकता है।
    - निजी क्षेत्रक और नागरिक समाज को शामिल करके, और
    - चिकित्सा में सीटों का विस्तार, आदि करके,
    - चिकित्सा आपूर्ति और कार्यबल सुनिश्चित करके।

- **सभी नीतियों में "स्वास्थ्य" के दृष्टिकोण को शामिल करना:** उदाहरण के लिए- कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करना।
- **केंद्र-राज्य सहयोग:** राज्यों को विभिन्न आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को **लचीले नीति-निर्माण और केंद्र से राज्य को अलग-अलग वित्तपोषण की अनुमति देने वाला एक सहयोगी तंत्र** अपनाना चाहिए।

5.3. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: AB-PMJAY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने AB-PMJAY की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट जारी की है।

AB-PMJAY: स्मरणीय तथ्य

प्रकार	उद्देश्य	पृष्ठभूमि	2 घटक
केंद्र प्रायोजित योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)	**सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)** के विजन को प्राप्त करना	इसकी सिफारिश **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** में की गई थी	• स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs) • प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य मुद्दों पर एक नज़र

- **अपर्याप्त पंजीकरण:** योजना के तहत 10.74 करोड़ लक्षित परिवारों में से केवल 73 प्रतिशत (7.87 करोड़) ही वास्तविक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं। मंत्रालय ने अब लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर **12 करोड़ परिवार** कर दिया है।
- **पहचान में अनियमितताएं:** कुल पंजीकृत लाभार्थियों में से **30 प्रतिशत (2.08 करोड़) से कम** की पहचान SECC-2011 डेटाबेस से की गई थी। इसके अलावा, **लाभार्थी डेटाबेस में त्रुटियां भी विद्यमान हैं,** जैसे- गलत नाम और जन्मतिथि, डुप्लीकेट PMJAY पहचान-पत्र इत्यादि।
- **सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता (Empanelled Health Care Providers: EHCPs):**
  - कई EHCPs स्वास्थ्य और अवसंरचना संबंधी **न्यूनतम मानदंडों तथा गुणवत्ता को पूरा नहीं कर पाए हैं।**
  - **कई लाभार्थियों** से उनके इलाज के लिए **शुल्क** लिया गया।
- **वित्तीय अनियमितताएं:**
  - कई राज्यों ने PMJAY के लिए एक अलग **एस्क्रो खाता (Escrow account) नहीं बनाया था।**
  - **लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** के माध्यम से **व्यय की निगरानी के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं** किया है।
- **दावों का प्रबंधन:** अपर्याप्त सत्यापन जांच, जैसे- सत्यापन से पहले एंट्री, भुगतान में देरी और आधे से अधिक भुगतान केवल छह राज्यों को किया गया है।
- **निगरानी और शिकायत निवारण:**
  - कई राज्यों ने **व्हिसल ब्लोअर नीति को नहीं अपनाया है।**
  - कई राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में **धोखाधड़ी-रोधी प्रकोष्ठों, दावा समीक्षा समितियों** आदि का अभाव।
  - इसके अलावा, **10 प्रतिशत से भी कम** शिकायतों का 15 दिनों के भीतर समाधान किया गया।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र

- **पंजीकरण:** इच्छित लाभार्थियों का **कवरेज सुनिश्चित करने** और पंजीकरण में **देरी से बचने के लिए उचित तंत्र विकसित** करना चाहिए। योजना की पहुंच को अधिकतम करने के लिए एक **निर्दिष्ट IEC**[18] सेल स्थापित करना चाहिए।

[18] सूचना, शिक्षा और संचार/ Information, education and communication

© Vision IAS

- **अपात्र लाभार्थियों को बाहर करना:** डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु **लाभार्थियों के डेटा की पहचान एवं सत्यापन के लिए** एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- **अस्पताल को सूचीबद्ध करना और प्रबंधन करना:** अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए **अनिवार्य भौतिक सत्यापन** सुनिश्चित करना, ताकि **सूची से बाहर किए गए अस्पताल** को सूची में शामिल होने से **रोका जा सके**।
    - **सार्वजनिक अस्पतालों में निवेश करना।** साथ ही, लाभार्थियों द्वारा **खर्चों के भुगतान पर रोक लगाने के लिए** तंत्र विकसित करना चाहिए।
- **वित्तीय प्रबंधन:**
    - यह सुनिश्चित करना कि **SHAs** ने PMJAY के लिए **एस्क्रो खातों को निर्दिष्ट** किया है, ताकि उनके अग्रिम पैसे बिना देरी के प्राप्त किए जा सकें।
    - **PMJAY लाभार्थियों की मैपिंग** और उनकी **पहचान** करने के लिए **एक तंत्र विकसित** करना, ताकि PMJAY तथा राज्य-विशिष्ट योजनाओं की ओवरलैपिंग से बचा जा सके।
- **दावों का प्रबंधन:**
    - SHA द्वारा **आवश्यक जांच** सुनिश्चित करने के बाद दावों का समय पर भुगतान करना चाहिए।
    - यह सुनिश्चित करना कि दावे की राशि का उपयोग अवसंरचना, अस्पताल के काम-काज, सेवाओं की गुणवत्ता आदि में सुधार के लिए किया जाए।
- **निगरानी और शिकायत निवारण:** यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक जिले में **जिला कार्यान्वयन इकाइयों का गठन** सुनिश्चित किया जाए।

5.4. डिजिटल हेल्थ (Digital Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारत की अध्यक्षता में G20 ने डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक पहल (GIDH)** की भी घोषणा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- **GIDH का लक्ष्य है:**
    - **सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुधार के लिए डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक रणनीति 2020-2025** का समर्थन करने के प्रयासों में ताल-मेल बिठाना।
    - **समर्थन**: मानक-आधारित तथा समरूप प्रणाली को विकसित तथा मजबूत किया जा सके।
    - स्वास्थ्य रूपांतरण के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग को **सुविधाजनक** बनाना।
- GIDH **प्रयासों के दोहराव जैसी चुनौतियों का समाधान** करेगा और चार मूलभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके **'उत्पाद-केंद्रित' डिजिटल स्वास्थ्य रूपांतरण को सक्षम** बनाएगा।

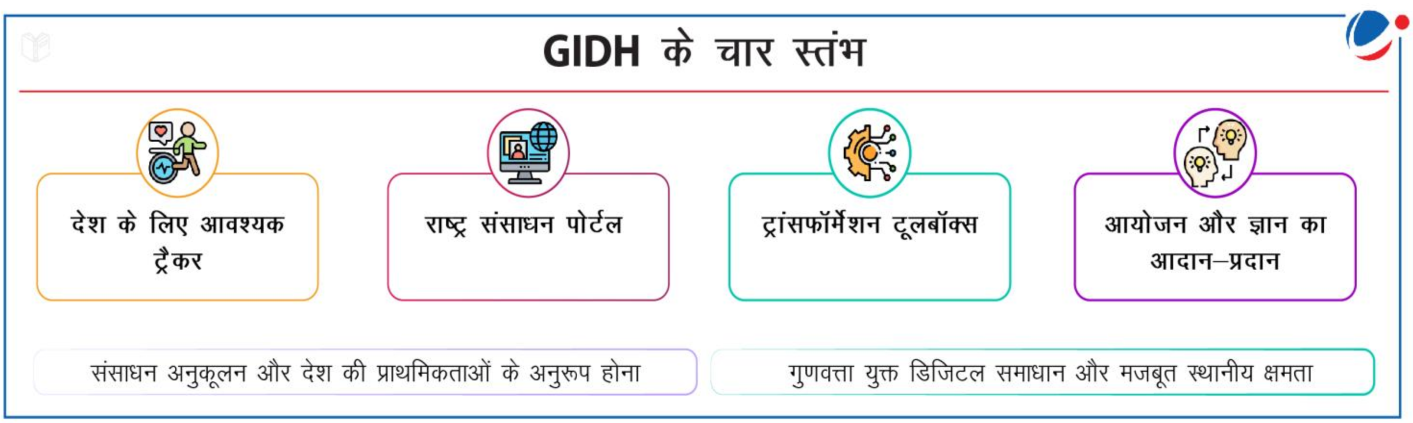

डिजिटल हेल्थ या स्वास्थ्य

- डिजिटल हेल्थ, स्वास्थ्य देखभाल प्रयोजनों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग है।

महत्त्व

- **अग्रिम निदान:** नियमित निगरानी रोग की प्रगति का शीघ्र पता लगाने में सहायता करती है।
- **लागत में कमी:** रोगियों और स्वास्थ्य सेवा देखभाल प्रदाताओं के लिए स्वास्थ्य सेवा व्यय कम हो जाता है।
- **बेहतर परिणाम:** पर्सनलाइज्ड उपचार प्लान बनाने से रोगी का स्वास्थ्य बेहतर होता है।
- **वास्तविक समय में निगरानी:** दवा के उपयोग, उपचार जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घटकों की बेहतर निगरानी।
- **दक्षता:** स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए प्रशासनिक कार्यभार कम करता है।
- **पहुँच:** टेलीमेडिसिन जैसी पहल स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को बढ़ाती है

डिजिटल हेल्थ से जुड़ी चिंताएं

- **डेटा सहमति संबंधी चिंताएं:** मरीज़ अपना डेटा साझा करने में अनिच्छुक होते हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और संरक्षा के बारे में चिंता होती है।
- **डेटा प्रसंस्करण:** अस्पतालों और क्लीनिकों से प्राप्त विशाल डेटा का प्रबंधन रोगी की पर्सनलाइज्ड देखभाल के लिए चुनौतीपूर्ण है।
- **जवाबदेही:** डिवाइस की विफलता के मामले में जवाबदेही का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। नेटवर्क संबंधी विफलताओं के कारण डिवाइस में त्रुटियां आ सकती हैं, जिससे अस्पताल से बाहर के मरीजों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- **अवसंरचना का अभाव:** अपर्याप्त IT समर्थन, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य पहुंच के समक्ष बाधा डालती है।
- **डिजिटल निरक्षरता:** रोगी की तकनीक का उपयोग करने में असमर्थता डिजिटल स्वास्थ्य से जुडी सफलता को प्रभावित करती है।
- **देखभाल की गुणवत्ता:** शारीरिक परीक्षण के बिना टेलीहेल्थ में निदान और उपचार की सटीकता के बारे में चिंताएं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास को कम करती हैं।

डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** डिजिटल हेल्थ के लिए एकीकृत फ्रेमवर्क
- **कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (CoWIN) सिस्टम:** डिजिटल तरीके से कोविड वैक्सीन के वितरण में सहायक
- **ई–संजीवनी:** राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा
- **पोषण दीदी:** चैटबॉट–आधारित पोषण संबंधी काउंसलिंग
- **निक्षय 2.0 पोर्टल:** टीबी रोगियों के लिए सामुदायिक सहायता
- **टेली–मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट (टेली–मानस):** निःशुल्क टेलीमेंटल स्वास्थ्य सेवाएं

आगे की राह

- **विश्व बैंक ने 'डिजिटल इन हेल्थ- अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है**
  - **मुख्य सिफारिशें**
    - **प्राथमिकता देना: स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने और वंचितों तक पहुंचने के लिए** डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

- **कनेक्ट: बेहतर और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए** अलग-अलग क्षेत्रकों के भीतर व उनके बीच वैश्विक तथा क्षेत्रीय सहयोग, नेतृत्व एवं साझेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **पैमाना: सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करने** हेतु डिजिटल कौशल और साक्षरता तथा वित्त-पोषण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है।

- **गवर्नेंस को प्राथमिकता देना:** केवल एप्लिकेशन, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे विशिष्ट हस्तक्षेपों के बजाय डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी गवर्नेंस और मूलभूत पहलुओं में निवेश करना चाहिए।
- **डेटा सुरक्षा:** स्वीकृति/ अनुमति (Consent), उपभोक्ता की डेटा पहुंच, नैतिक रूप से निरीक्षण और डेटा को हटाने की क्षमता सुनिश्चित करके डेटा-साझाकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए।
- **प्रशिक्षण और जागरूकता:** जागरूकता संबंधी पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य जगत के पेशेवरों के कौशल को बढ़ाना करना और जनता को जागरूक बनाना।
- **AI का उपयोग:** लक्षित, पर्सनलाइज्ड सेवाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल डेटा को प्रोसेस करने हेतु AI का लाभ उठाना चाहिए।

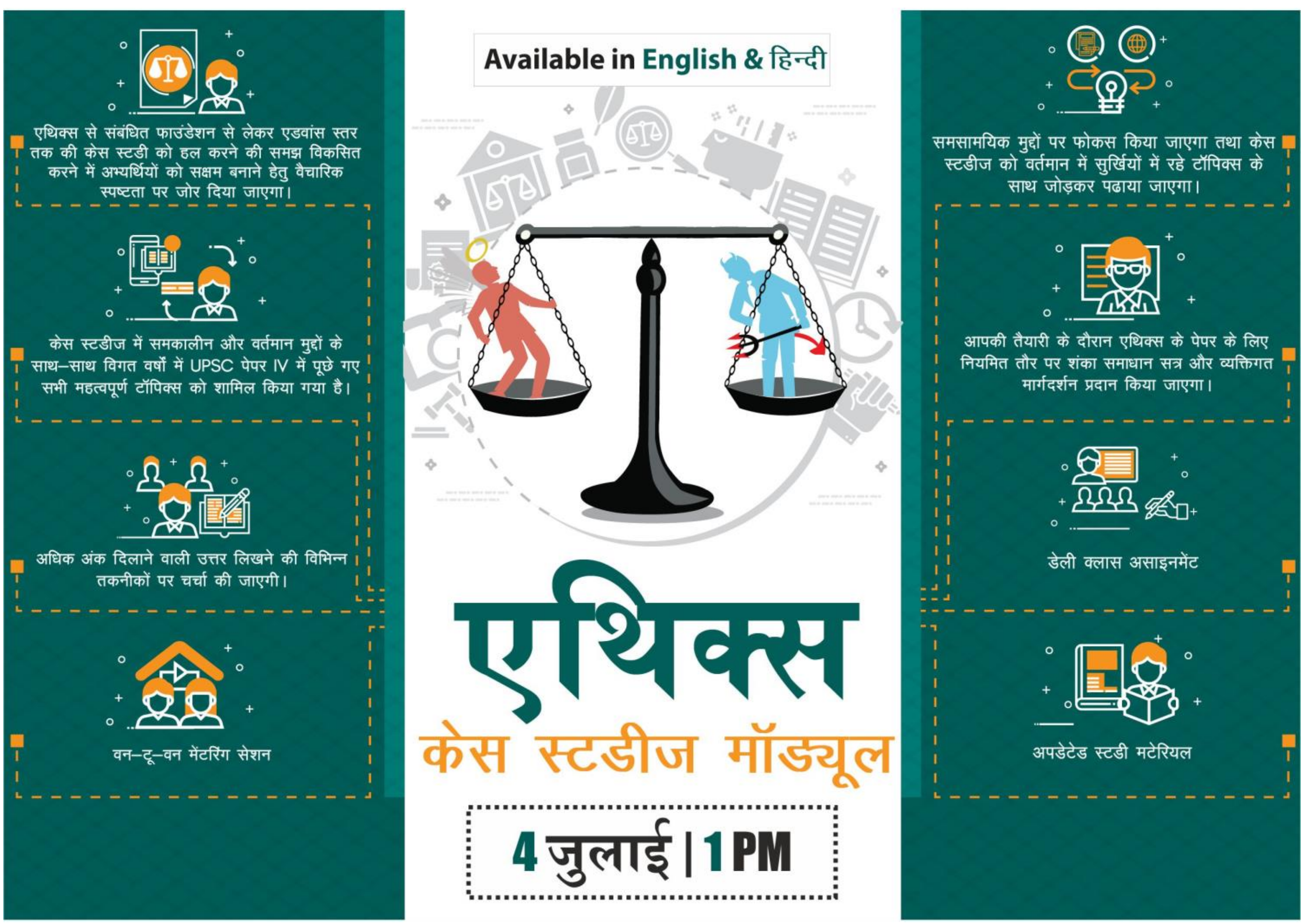

5.5. लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य: एक नज़र में (Sexual and Reproductive Health at a Glance)

लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य (SRH)

SRH को **स्वस्थ शरीर, स्वायत्तता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यक्ति के अधिकार** के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इससे वह व्यक्ति विशेष रूप से महिला स्वतंत्र रूप से यह निर्णय ले सकती है कि वह किसके साथ लैंगिक संबंध बनाए और यौन संचारित संक्रमण (STIs) या अनचाही गर्भावस्था से कैसे बचा जाए। इसमें बच्चे के जन्म के समय और दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल संबंधी निर्णय लेना भी शामिल है। ये मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और निर्विवाद हैं।

SRH का महत्त्व

- SRH संबंधी शिक्षा उन्हें उनकी लैंगिकता, यौनेच्छा और लैंगिक पहचान एवं अभिव्यक्ति के बारे में **महत्वपूर्ण जानकारी** देती है।
- SRH तक पहुंच से **बाल विवाह और किशोर आयु में गर्भधारण जैसे मामलों में कमी** आ सकती है। इससे HIV, AIDS जैसे यौन संचारित संक्रमणों के प्रसार को रोका जा सकता है।
- **अपने शरीर और प्रजनन कार्यों के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने** का अधिकार समानता, गोपनीयता एवं शारीरिक मर्यादा के महिलाओं के मूल अधिकारों के केंद्र में है।
- **यह लैंगिक समानता, महिलाओं का कल्याण, मातृ स्वास्थ्य में सुधार** जैसे SDGs के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है।
- SRH **जनसंख्या नियंत्रण** के साथ-साथ **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** (UHC) **प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।**

लोगों द्वारा सामना की जाने वाली SRH से जुड़ी चुनौतियां

- परिवार नियोजन और गर्भपात के लिए सांस्कृतिक **मानदंड तथा वैचारिक विरोध** सहित अन्य कारक, अक्सर SRH सेवाओं तक पहुंच को बाधित करते हैं।
- **वित्त-पोषण की कमी**: विशेष रूप से **सुरक्षित गर्भपात और परिवार नियोजन जैसे क्षेत्रकों में जनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई वर्षों से आवश्यकता से कम वित्त-पोषण** प्रदान किया जा रहा है।
- घर या स्कूल में सहज माहौल की अनुपस्थिति, **सुरक्षित लैंगिक और प्रजनन प्रथाओं से जुड़ी जानकारी के प्रसार को सीमित करती है।**
- **लिंग आधारित हिंसा** लोक स्वास्थ्य के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है और यह SRH परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है।

SRH में सुधार के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) संशोधन अधिनियम, 2021 ने **गर्भावस्था को समाप्त करने की अधिकतम समय सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया है, जो पहले 20 सप्ताह थी।**
- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 **व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध** लगाता है।
- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014: यह कार्यक्रम** SRH **से संबंधित ज्ञान, विचारधारा और व्यवहार में सुधार करने** पर केंद्रित है।
- **मिशन परिवार विकास**: इसे सात उच्च फोकस वाले राज्यों (जिनकी कुल प्रजनन दर 3 या उससे अधिक हो) के 146 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में गर्भनिरोधकों तक पहुँच को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य TFR **को 2.1 तक लाना है।**
- मासिक धर्म स्वच्छता पर मसौदा नीति 2023

SRH के लिए वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें

- **नैरोबी शिखर सम्मेलन, 2019**: इसे ICPD+25 के नाम से भी जाना जाता है। भारत, नैरोबी सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य 'प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर UHC में लैंगिक और जनन स्वास्थ्य को एकीकृत करना, समानतापूर्ण पहुंच प्रदान करना, गुणवत्ता में सुधार करना' है।
- **बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, 1995**: इसके अनुसार **महिलाओं के मानवाधिकारों में SRH सहित उनकी लैंगिकता से संबंधित मामलों पर उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और जिम्मेदारीपूर्वक नियंत्रण करने का उनका अधिकार भी शामिल है,** जो बल-प्रयोग, भेदभाव तथा हिंसा से मुक्त है।

SRH में सुधार के लिए किए जा सकने वाले उपाय

- **मासिक धर्म स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा: जनन स्वास्थ्य में मासिक धर्म स्वास्थ्य और साफ-सफाई को शामिल करके** स्कूलों और स्थानीय समुदायों में मासिक धर्म के बारे में बातचीत शुरू की जा सकती है।
- **बजटीय समर्थन**: इससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सेवा वितरण की लागत-प्रभावशीलता की दिशा में एक सक्षमकारी परिवेश को तैयार करने में मदद मिलेगी।
- **सहायक नीतियां: सामाजिक स्तर पर महिलाओं के SRHR से जुड़े सहायक कानूनों, नीतियों एवं संस्थागत प्रथाओं को बढ़ावा देने** की आवश्यकता है।
- **सेवाओं तक पहुंच**: भौतिक और तकनीकी अवसंरचना के माध्यम से ऑनलाइन हस्तक्षेप के जरिए गर्भ निरोधकों, STIs परीक्षण आदि तक पहुंच में सुधार लाया जा सकता है।
- **जेंडर-न्यूट्रल केयर**: मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, प्रजनन क्षमता और यौन रोग सहित SRH को प्रभावित करने वाली हिंसा के सभी पीड़ितों को देखभाल एवं परामर्श प्रदान करना।

5.6. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल: एक नज़र में (Mental Healthcare at a Glance)

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

- **मानसिक स्वास्थ्य** खुशहाली या आरोग्यता की एक अवस्था है। इस अवस्था में एक व्यक्ति को **अपनी क्षमताओं का पूरा एहसास** होता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना करते हुए उत्पादक ढंग से काम करता है और अपने **समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है।**
- मानसिक बीमारी को मानसिक स्वास्थ्य विकार भी कहा जाता है। यह **अवसाद, चिंता विकार, सिज़ोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर और व्यसनी (नशे की लत) व्यवहार जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला** को संदर्भित करता है।

भारत में मानसिक बीमारी की वर्तमान स्थिति

भारत में **10.6%** वयस्क मानसिक विकार से पीड़ित हैं।	मानसिक स्वास्थ्य विकार और अन्य विभिन्न विकारों के बीच उपचार में **70%** और **92%** का अंतराल है। (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015–16)	**25–44 वर्ष की आयु के** व्यक्ति मानसिक बीमारियों से **सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।**	**हर आठ में से एक व्यक्ति** (या विश्व स्तर पर 970 मिलियन लोग) मानसिक विकार से ग्रस्त हैं। **(WHO)**

मानसिक बीमारी की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम

किरण हेल्पलाइन

प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन आदि के लिए **किरण हेल्पलाइन** की शुरुआत की गई है।

टेली मानस

टेली मानस
टेली मानस द्वारा पूरे देश में चौबीसों घंटे **मुफ्त टेली–मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं** प्रदान की जा रही हैं।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 इसके जरिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक शॉक से नाबालिगों के इलाज पर प्रतिबंध लगाया गया है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
आत्महत्या की रोकथाम के लिए 'REDS' पथ की शुरुआत शामिल है।

मनोदर्पण

मनोदर्पण
मनोदर्पण द्वारा छात्रों को उनके **मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता** प्रदान की जा रही है।

मानसिक बीमारी से निपटने में चुनौतियां

- **रोगियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां:** सामाजिक कलंक, उपचार की उच्च लागत और लंबी अवधि।
- **अपर्याप्त डॉक्टर:** प्रति एक लाख आबादी पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं।
- **क्षेत्रीय असमानता:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त संसाधन।
- **पुनर्वास के मुद्दे:** समुदाय–आधारित पुनर्वास सुविधाओं का अपर्याप्त होना।

आगे की राह

- **सावधानीपूर्वक मैपिंग और अनुसंधान करना:** गुणवत्तापूर्ण डेटा तैयार करने के लिए **सावधानीपूर्वक मैपिंग और अनुसंधान करना,** जो समस्या के आकार को समझने के लिए आवश्यक है।
- **जागरूकता कार्यक्रम:** सामाजिक कलंक का मुकाबला करने और मानसिक बीमारी की समझ बढ़ाने के लिए **जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित करना।
- **बजट आवंटन** और **वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना।**
- **वहनीयता:** बीमा पॉलिसियों में **अंडरराइटिंग मानदंडों को विनियमित करके वहनीयता, परामर्श–सत्र की लागत** आदि को **विनियमित करना।**
- मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण संबंधी सरकारी विभागों के बीच **बेहतर अंतर–क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना।**
- **देखभाल संबंधी दृष्टिकोण को संस्थान से समुदाय में स्थानांतरित करना।**

5.7. प्रशामक देखभाल (Palliative Care)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने केरल के प्रशामक देखभाल मॉडल की प्रशंसा की है।

प्रशामक देखभाल के बारे में

- प्रशामक देखभाल एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य **टर्मिनली इल रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार** करना है।
    - **टर्मिनली इल** की स्थिति में रोगी की दो वर्षों या उससे कम अवधि में मृत्यु होने की संभावना रहती है।
- यह देखभाल **शारीरिक, भावनात्मक, मनोसामाजिक, आध्यात्मिक और पुनर्वास संबंधी हस्तक्षेप** प्रदान करती है।
    - कभी-कभी प्रशामक देखभाल को दीर्घकालिक देखभाल के समान समझ लिया जाता है, जबकि इसका अर्थ अधिक संकीर्ण होता है क्योंकि इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना होता है जो मर रहे हैं, जिन्हें शांति, आराम व सम्मान प्रदान करना होता है।
- **WHO के अनुसार, 56.8 मिलियन लोगों को प्रशामक देखभाल की आवश्यकता है, जो 2060 तक दोगुनी हो जाएगी।**
    - **भारत में, प्रशामक देखभाल की आवश्यकता वाले केवल 1-2% लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं।**

सरकार की पहलें:

- वर्ष 2012 में **राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम (NPPC)** शुरू किया गया था। इसे **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक घटक** के रूप में आरंभ किया गया था।
    - **जिला स्तर** पर प्रशामक देखभाल सेवाओं और **राज्य प्रशामक देखभाल सेल/ प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए** केंद्र सरकार **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान सहायता प्रदान करती है।**

केरल का प्रशामक देखभाल मॉडल

- **सरकारी सहायता:** केरल ने 2008 में एक व्यापक प्रशामक देखभाल नीति शुरू की थी। केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।
- **समुदाय-आधारित दृष्टिकोण:** देखभाल प्रदान करने में सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत किया गया है।
- **एकीकरण:** प्रशामक देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकृत किया गया है।
- **होम बेस्ड:** प्रशामक देखभाल में नेबरहुड नेटवर्क्स (NNPCs)[19] का गठन किया गया है। यह होम-बेस्ड प्रशामक देखभाल प्रदान करता है।
- **सुगम्यता:** मध्यम स्तर के चिकित्सीय पेशेवरों को प्रशिक्षण देने से होम बेस्ड प्रशामक देखभाल तक पहुंच आसान हो गई है।.
- **स्वयंसेवक (Volunteerism):** इसमें स्वयंसेवकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो स्थानीय आवश्यकताओं बेहतर रूप से समझते हैं।

गुणवत्तापूर्ण प्रशामक देखभाल प्रदान करने में चुनौतियां

- **नीतिगत खामियां:** उदाहरण के लिए- NPPC के तहत, प्रशामक देखभाल का वितरण केवल जिला अस्पताल से शुरू होता है।
- **समर्पित बजट का अभाव:** इससे NPPC के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।

[19] Neighbourhood Networks in Palliative Care

© Vision IAS

- **मानव और भौतिक संसाधन:** प्रशिक्षित कार्य बल की अपर्याप्त संख्या और सीमित भौतिक अवसंरचना।
- **मॉर्फिन तक सीमित पहुंच:** प्रशामक देखभाल में रोगियों को दर्द से राहत दिलाने के लिए सस्ती मॉर्फिन तक पहुंच आवश्यक है।
    - हालाँकि, इसकी आपूर्ति भारतीय **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS)**[20] द्वारा अत्यधिक विनियमित है।
- **समझ की कमी:** प्रशामक देखभाल के बारे में रोगियों, परिवारों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं में ज्ञान का अभाव है।
- **मनोवैज्ञानिक बाधाएं:** प्रशामक देखभाल को जीवन के अंत और मृत्यु से संबद्ध माना जाता है। अधिकांश लोग मृत्यु संबंधी किसी भी चीज से डरते हैं और उससे बचते हैं।

आगे की राह

- **स्वास्थ्य प्रणालियों का गवर्नेंस:** सभी स्तरों की **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों से संबंधित नीतियों तथा संरचनाओं में प्रशामक देखभाल को शामिल** किया जाना चाहिए। साथ ही, जवाबदेही तंत्र का सृजन भी करना चाहिए।
- **वित्त-पोषण:** देखभाल के सभी स्तरों पर **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के बजट में प्रशामक देखभाल का एक आवश्यक पैकेज शामिल** किया जाना चाहिए।
- **मॉर्फिन तक पहुंच को बढ़ाना:** इसे प्राप्त करने के लिए, देश विनियामकीय बाधाओं को दूर करने हेतु **इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB), मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC), WHO तथा नागरिक समाज भागीदारों के साथ मिलकर कार्य** कर सकते हैं।
- **विकेंद्रीकृत देखभाल:** घर पर देखभाल तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और उपकेंद्र स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता एक आदर्श विचार है।
- **स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल कार्यबल:** प्रशामक देखभाल को **सभी नए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में एकीकृत** किया जाना चाहिए।
- **चिकित्सा बीमा** को भारत के मरणासन्न रोगियों के अस्पताल और उपशामक देखभाल संबंधी प्रावधानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

[20] Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए
QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

6. पोषण (Nutrition)

6.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत 1 जनवरी, 2024 से आगामी **5 वर्षों की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध** कराने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, NFSA के तहत लाभार्थियों को खाद्यान **सब्सिडीकृत मूल्य पर** चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता था।
- NFSA के तहत, चिन्हित पात्र लाभार्थी परिवारों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त मूल्य पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।**
  - मौजूदा **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवार**, जो गरीबों में सबसे गरीब हैं, को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता रहेगा।
- हालांकि, मध्याह्न भोजन (MDMs)[21] योजना जैसे **अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राज्यों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न के निर्गम मूल्यों (Issue Prices) में कोई परिवर्तन नहीं** किया जाएगा।

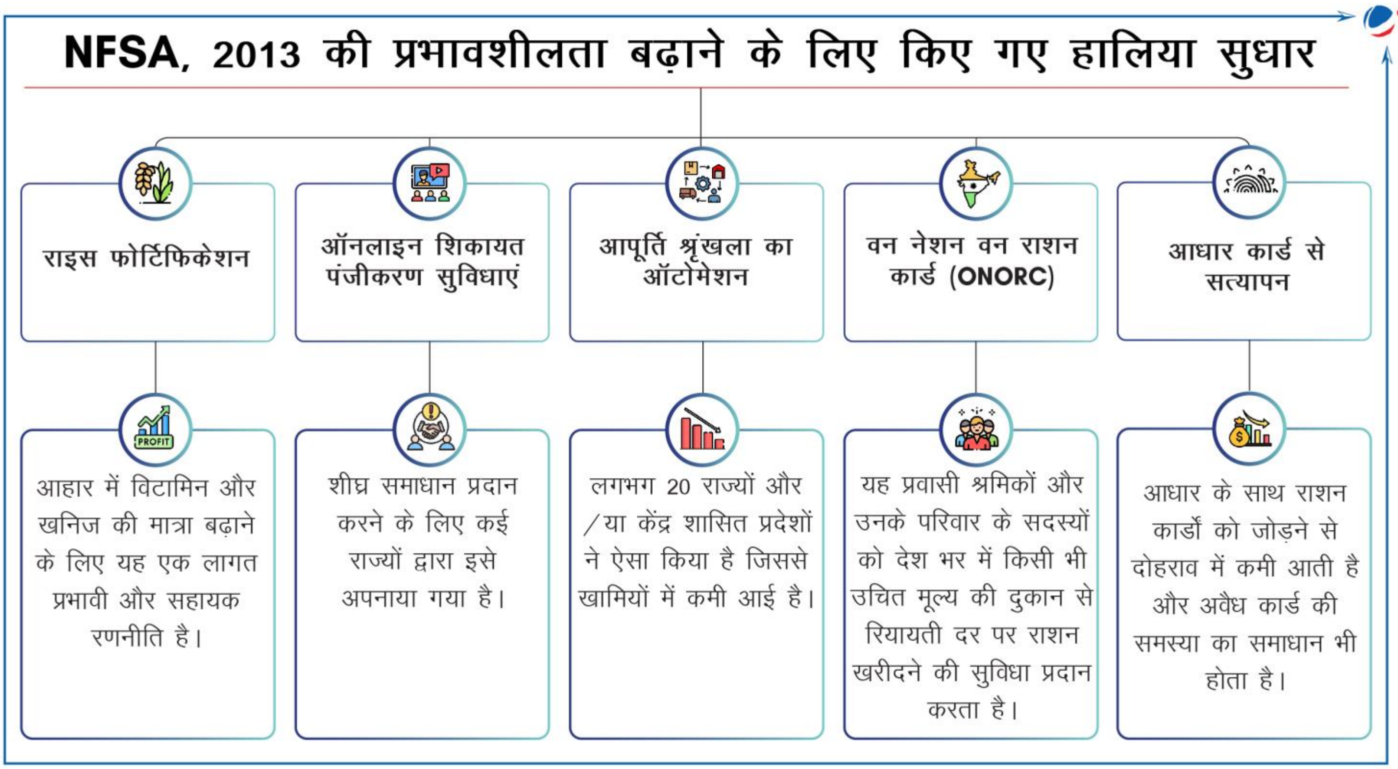

NFSA से संबंधित चुनौतियां क्या हैं?

- **लाभार्थियों की पहचान: पात्रता के मानदंड के रूप में अभावग्रस्तता को मान्यता दी जा रही है। केवल 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही इस मानदंड का** पालन कर रहे हैं।

[21] Mid Day Meals

 © Vision IAS

- **खराब सार्वजनिक खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली:** इससे अनाजों के भंडारण की लागत बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति और खाद्यान्न की बर्बादी होती है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)[22] में बड़े पैमाने पर रिसाव:** शांता कुमार समिति ने PDS में 40-50% तक रिसाव होने की बात कही थी, जबकि कुछ राज्यों में तो यह 60-70% तक बढ़ जाता है।
- **वित्तीय रूप से अव्यवहार्य:** पिछले दशकों में उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, जबकि CIPs अपरिवर्तित रहे हैं। 2014-22 की अवधि के दौरान **खाद्य सब्सिडी बिल लगभग दोगुना** हो गया है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** अनाज में केवल चावल-गेहूं की पक्षपातपूर्ण खरीद ने कई राज्यों में **भू-जल स्तर को कम कर दिया है तथा इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में भी कमी हुई है।**
- **विश्व व्यापार संगठन में चुनौतियां:** भारत की सब्सिडी वाली खाद्य सुरक्षा प्रणाली को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत **'मूल्य विकृतकारी मानदंड' (Price Distorting Norms)** माना जाता है।

सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आगे की राह

- **पहचान:** केंद्र सरकार प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) की पहचान और चयन के लिए मानकीकृत मानदंड अपना सकती है।
- **कवरेज को तर्कसंगत बनाना:** लाभार्थियों की संख्या को 67% से घटाकर 40% किया जा सकता है। शांता कुमार समिति ने भी इसी तरह की सिफारिशें की हैं।
- **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) को संशोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि 3, 2 और 1 रुपये का मूल्य वैसा नहीं है जैसा कि 2013 में अधिनियम के समय था। साथ ही, अलग-अलग फसलों के MSP में भी वृद्धि हुई है, इसलिए बिक्री मूल्यों को भी संशोधित कर बढ़ाया जाना चाहिए।**
- **प्रभावी बाजार सुनिश्चित करना:** राज्यों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बोनस को रोक दिया जाना चाहिए। साथ ही, निजी क्षेत्रक को भी खाद्यान्न की खरीद और भंडारण की अनुमति देनी चाहिए।

6.2. आंगनवाड़ी प्रणाली (Anganwadi System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया है, जो दिव्यांग बच्चों पर नज़र रखने और उनकी मदद करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

आंगनवाड़ी प्रणाली के बारे में

- आंगनवाड़ी प्रणाली, **आंगनवाड़ी सेवा योजना** के तहत शुरू की गई थी। यह प्रणाली **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS)**[23] योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है (इन्फोग्राफिक देखिए)। ज्ञातव्य है कि **आंगनवाड़ी सेवा योजना को अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** के रूप में नामित किया गया है।
    - आंगनवाड़ी सेवा योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
    - यह योजना **प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास (ECCD)**[24] के लिए **दुनिया के सबसे बड़े तथा अनूठे कार्यक्रमों** में से एक है।
    - **इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
        - **बच्चों (0-6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार** करना, तथा
        - **मृत्यु दर, रुग्णता/ रोगों और कुपोषण की व्यापकता को कम** करना।
- **आंगनवाड़ी केंद्रों** को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया है। इसमें पोषण (POSHAN) ट्रैकिंग सिस्टम के लिए स्मार्टफोन और निगरानी के लिए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
- **हालिया पहलें:** पारंपरिक ज्ञान और आयुष पद्धतियों का लाभ उठाना, पोषण वाटिकाओं का विकास, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण आदि।

Mains 365 : सामाजिक मुद्दे

[22] Public Distribution System

[23] Integrated Child Development Service

[24] Early Childhood Care and Development

© Vision IAS

जमीनी स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता			
विशिष्टता	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)	सहायक नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwife: ANM)	आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ Accredited Social Health Activist: ASHA)
योजना	• **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ICDS** • **आंगनवाडी केंद्र**	• **राष्ट्रीय ग्रामीण/ शहरी स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)** • **स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं ग्राम स्तर पर भी अतिरिक्त रूप से गांवों का दौरा करना**	
प्रमुख भूमिकाएं	• **लाभार्थियों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास प्रदान करना।**	• स्वास्थ्य स्थिति निर्धारित करने वाले कारकों पर **जागरूकता पैदा करना।** • प्रसव के संबंध में **महिलाओं, परिवारों और किशोरियों को परामर्श देना।** • **उपचारात्मक देखभाल और आपूर्ति करना।**	• टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के साथ-साथ **मातृ तथा बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने** पर ध्यान देना।
प्रोत्साहन	• केंद्र द्वारा तय किया गया **मानदेय और प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन।**	• केंद्र द्वारा तय किया गया **मानदेय।**	• **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त होता है।**

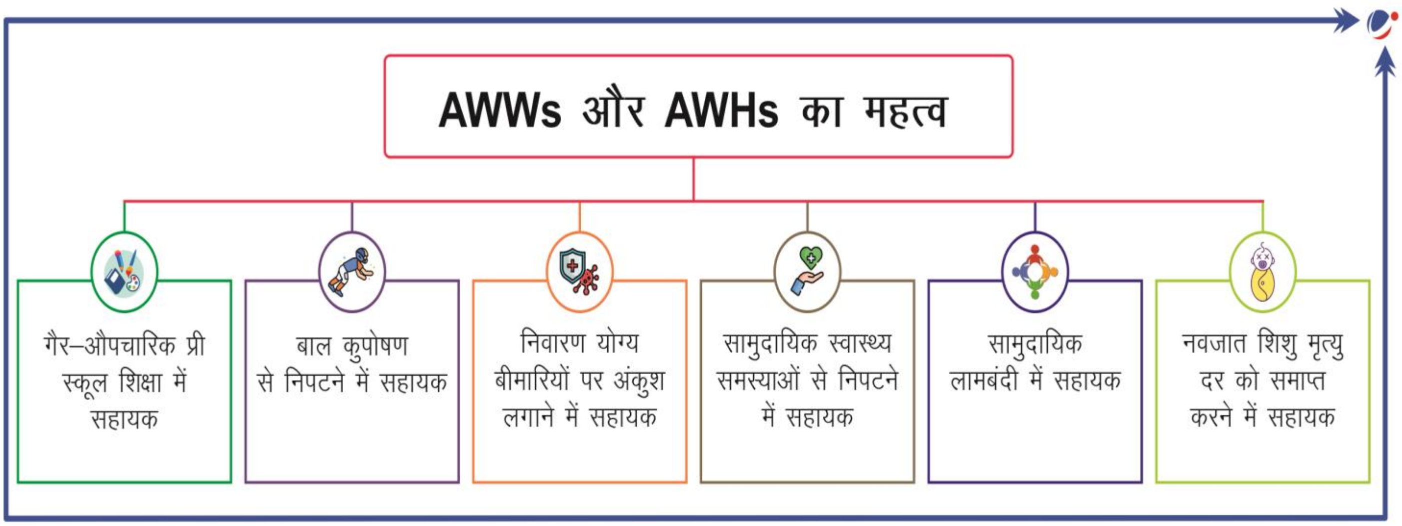

आंगनवाड़ी प्रणाली में चुनौतियां

- **वित्तीय:** वर्षों से इस योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया जा रहा है।
- **आंगनवाड़ी केंद्रों की अपर्याप्त संख्या:** अलग-अलग राज्यों में स्वीकृत और परिचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या के मध्य अंतर है। यह अंतर लगभग 2% - 8.37% तक है।
- **आंगनवाड़ी केंद्रों में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं:** उदाहरण के लिए- मेघालय में केवल 30.85% आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** हालांकि, ICDS-CAS के लिए स्मार्टफोन की उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है।
- **अपर्याप्त मानव पूंजी:** तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक जैसे अलग-अलग राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं।
- **पारिश्रमिक:** अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक विशेष रूप से दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में **उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की तुलना में बहुत कम** है।

आगे की राह

- **कवरेज का विस्तार:** संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों में स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों/ लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में आने वाली **बाधाओं को दूर** करने की सिफारिश की है।

© Vision IAS

- **बुनियादी सुविधाएं:** यदि लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करनी हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल और शौचालय सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
- **सेवा शर्तों में सुधार:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं के **पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करना और बेहतर सेवा शर्तें निर्धारित करना** अत्यंत आवश्यक है।
- **प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग:** कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर लंबाई और वजन मापने के उपकरण मौजूद नहीं हैं। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

6.3. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index: GHI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2023 जारी किया गया है। GHI को **कंसर्न वर्ल्डवाइड (आयरलैंड का अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन) और वेल्टहंगरहिल्फे (जर्मनी का निजी सहायता संगठन)** जारी करते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस सूचकांक में **125 देशों** में भारत **111वें स्थान** पर है। भारत का **GHI स्कोर 28.7** है। इसी आधार पर **भुखमरी की गंभीरता वाले GHI पैमाने पर भारत को 'गंभीर श्रेणी' में वर्गीकृत** किया गया है।
- विश्व में सर्वाधिक भुखमरी **दक्षिण एशिया और अफ्रीका (सहारा मरुस्थल के दक्षिण में)** में है। दोनों क्षेत्रों के लिए GHI स्कोर **27.0** है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) स्कोर

GHI का उपयोग **वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी के स्तर को मापने तथा उसकी निगरानी करने** के लिए किया जाता है। GHI स्कोर चार घटक संकेतकों के मान पर आधारित होता है:

अल्प–पोषण (Undernourishment): यह मापदंड आवश्यकता से कम कैलोरी ग्रहण करने वाली जनसंख्या के हिस्से को व्यक्त करता है।

बाल ठिगनापन (Child stunting): यह पांच वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है, **जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम** है। इस प्रकार यह **अल्प–पोषण की दीर्घकालिक स्थिति** को दर्शाता है।

बाल दुबलापन (Child wasting): यह मापदंड पांच वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है, **जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम** है। इस प्रकार यह **अल्प–पोषण की गंभीर स्थिति** को दर्शाता है।

बाल मृत्यु दर (Child mortality): यह **पांच वर्ष से कम आयु** के बच्चों की मृत्यु दर को दर्शाता है। ये मौतें अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ वातावरण के मिले–जुले कारणों से होती हैं।

GHI स्कोर निम्नलिखित चार संकेतकों पर आधारित होता है:

1/3 अल्प–पोषण + 1/6 बाल ठिगनापन + 1/6 बाल दुबलापन + 1/3 बाल मृत्यु दर = GHI स्कोर

GHI स्केल पर हंगर या भुखमरी की गंभीरता

- अत्यधिक चिंताजनक (Extremely Alarming): GHI ≥50.0
- चिंताजनक (Alarming): GHI% 35.0-49.9
- गंभीर (Serious) GHI: 20.0-34.9
- सामान्य (Moderate) GHI: 10.0-19.9
- कम (Low) GHI% ≤9.9

GHI के संबंध में भारत सरकार के कदम

- **सूचकांक तैयार करने की पद्धति संबंधी मुद्दे: GHI के चार में से तीन संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य** से संबंधित हैं। इस तरह ये भारत की संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
    - **बाल ठिगनापन, दुबलापन और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर** के लिए भुखमरी के अलावा अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए- अस्वच्छ पेयजल, स्वच्छता की कमी, आनुवंशिक कारण, दूषित पर्यावरण व भोजन का सही से सेवन नहीं करना आदि।
- **सैंपल के आकार का छोटा होना: चौथा संकेतक** "अल्पपोषित आबादी का अनुपात" (PoU)[25] **3000 लोगों के छोटे सैंपल साइज से टेलीफोन-संवाद के जरिए लिए गए ओपिनियन पोल** पर आधारित है।
- **डेटा का उपयोग:** भारत ने इस तरीके पर आपत्ति प्रकट की है। **पोषण ट्रैकर पोर्टल** पर दर्ज किए गए डेटा से पता चलता है कि पांच वर्ष से कम आयु के कुल 7.24 करोड़ बच्चों में बाल दुबलेपन की व्यापकता **7.2%** है।

भारत में भुखमरी से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** यह भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
- **80 करोड़** गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत** की गई है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना:** पंजीकृत महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म से संबंधित गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद की अवधि में पारिश्रमिक सहायता व पौष्टिक भोजन के लिए **5,000 रुपये** प्रदान किए जाते हैं।
- **पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन):** इसका उद्देश्य मुख्य पोषण मापदंडों के अनुसार बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है।
- **पोषण ट्रैकर:** यह एक रियल टाइम आधारित निगरानी प्रणाली है। यह प्राधिकारियों को पोषण स्तर की प्रगति को ट्रैक करने और सेवा वितरण की आपूर्ति श्रृंखला में अंतराल की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
- **ईट राइट मूवमेंट:** इसका उद्देश्य सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करना है।

निष्कर्ष

GHI की खामियों के बावजूद, भारत को अपनी कुपोषण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हालांकि, सरकार द्वारा चलाई जा रही पहलें पोषण को लक्षित करती हैं, फिर भी भुखमरी और कुपोषण से निपटने के लिए नीतियों के बेहतर लक्ष्यीकरण हेतु इसके अलग-अलग उत्तरदायी कारकों की गहराई से समझ महत्वपूर्ण है।

[25] Proportion of the Undernourished

7. गरीबी एवं विकास से संबंधित मुद्दे (Poverty and Development Issues)

7.1. जनसंख्या: एक नज़र में (Population at a Glance)

जनसंख्या

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, **भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश** बनकर चीन से आगे निकल गया है और भारत के **वर्ष 2100 तक शीर्ष स्थान पर बने रहने की संभावना है।**

भारत की जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक

- **जनसांख्यिकीय संक्रमण का तीसरा चरण:** इस चरण में **जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आती है फिर भी कुल जनसंख्या बढ़ती है।**
- **मृत्यु दर में कमी:** शिशु मृत्यु दर 2015–16 के 40.7 से घटकर 2019–21 में 35.2 हो गई है।
- **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि:** यह **1947 के 31 वर्ष से बढ़कर 2015–19 की अवधि में 69.7 वर्ष हो गई।**
- **अनचाहे गर्भधारण:** विश्व में होने वाले प्रत्येक 7 अनचाहे गर्भधारण में से 1 भारत में होता है।
- **महिला शिक्षा का अभाव,** बाल विवाह और कम उम्र में विवाह आदि।

भारत की बढ़ती जनसंख्या के लाभ

- **आर्थिक वृद्धि:** तुलनात्मक रूप से युवा कार्यबल के कारण।
- **शहरीकरण:** आर्थिक वृद्धि से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- **नवाचार:** बढ़ती मांग निवेश को बढ़ावा देती है और नई तकनीक की शुरुआत होती है।
- **विप्रेषण:** 2022 में भारत विप्रेषण के तहत विदेशों से सबसे अधिक 111 बिलियन डॉलर (विश्व प्रवासन रिपोर्ट) प्राप्त करने वाला देश था।
- **वैश्विक मंचों पर अधिक महत्त्व:** जैसे UNSC का स्थायी सदस्य बनने की अधिक संभावना।

बढ़ती जनसंख्या के कारण चुनौतियां

- **संसाधनों पर दबाव:** भारत के पास वैश्विक भू–क्षेत्र का केवल 2.45% और जल संसाधनों का 4% हिस्सा है।
- **विघटन और संघर्ष:** सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष में वृद्धि के कारण।
- **सामाजिक संकेतकों में गिरावट:** स्वास्थ्य और शिक्षा पर उप–इष्टतम सार्वजनिक व्यय के कारण गिरावट।
- **अर्थव्यवस्था पर दबाव:** कम कुशल कार्यबल, ठहरी हुई अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी आदि के कारण।
- **लैंगिक अंतराल में वृद्धि:** यदि स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में कमी आती है, तो महिलाओं को सबसे अधिक नुकसान होगा।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- **परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:** इसे 1952 में आरंभ किया गया था।
- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति–2000:** राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया।
- **मिशन परिवार विकास:** इसे गर्भ निरोधकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है।
- **प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (Postpartum Intrauterine Contraceptive Device: PPIUCD) प्रोत्साहन योजना:** PPIUCD सेवाएं प्रसव के उपरांत प्रदान की जाती हैं।
- **भारत परिवार नियोजन–2030 विजन डॉक्यूमेंट:** प्रसव/प्रसूति और कम उम्र/बाल विवाह समेत अन्य समस्याओं को कम करने के लिए।

जनसंख्या वृद्धि के लाभों का उपयोग करने की आगे की राह

- **रिप्रोडक्टिव जस्टिस का समर्थन:** सुरक्षित परिवार नियोजन और जनन अधिकार के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- **सभी के लिए शिक्षा:** लड़कियों को शिक्षित करने से मानव पूंजी और जनसांख्यिकीय व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा:** सामाजिक समानता के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना।
- **प्रवासन को सुगम बनाना:** कार्यबल की मांग और उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना।
- **हरित प्रौद्योगिकी में निवेश:** जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और शमन करना।
- **बेहतर वृद्धावस्था देखभाल:** 65+ आयु वर्ग के लोगों के लिए देखभाल, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन में सुधार करना।

7.1.1. घटती जनसांख्यिकीय (Declining Demography)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **1963** में कुल जनसंख्या में **2.3 प्रतिशत की वृद्धि** हुई थी, जबकि 2022 में इसमें **केवल 0.8 प्रतिशत की वृद्धि** हुई थी।
    - वैश्विक TFR वर्ष **1990 के 3.3 से कम होकर अब 2.3** हो गई है, जो "प्रतिस्थापन दर (2.1)" से थोड़ा अधिक है।
- वर्ष 2022 और 2050 के बीच, 61 देशों की जनसंख्या में **1 प्रतिशत से अधिक की कमी आने की उम्मीद** है।
- यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि **अब शून्य के करीब** है। 1960 के दशक में यूरोप और उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या की एक चौथाई से अधिक थी।
- **जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशिया के कुछ देशों** में भी जनसांख्यिकीय गिरावट आ रही है।

घटती जनसांख्यिकी के परिणाम

- **राजकोषीय बाधाएं:** वृद्ध आबादी बचत और निवेश दोनों में कमी लाएगी। इसके परिणामस्वरूप वृद्धों पर कर का बोझ अधिक पड़ेगा अथवा उन पर खर्च में भी कमी होगी।
- **घटती चिंतन क्षमता:** युवा लोगों में चिंतन या विचार करने की क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब यह है कि उनमें रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता (fluid intelligence) होती है, जिससे वे समस्या को पूरी तरह से नए तरीके से हल कर सकते हैं।
    - वृद्ध लोगों के पास **'क्रिष्टलाइज़्ड इंटेलिजेंस'** अधिक होती है। इसमें वह ज्ञान शामिल होता है जो प्रायर लर्निंग और पिछले अनुभवों से आता है।
- **शून्य उद्यमिता (इंटरप्रेन्यूरिअल वैक्यूम):** अधिक वृद्ध आबादी वाले देश और उनके युवा कम उद्यमशील होते हैं तथा वे जोखिम लेने से बचते हैं।
- **प्रवासन:** प्रजनन दर के घटने से प्रवास पैटर्न भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे देश, जहां वृद्ध लोगों की आबादी अधिक है, वे कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए अपने यहां प्रवासियों को आकर्षित कर सकते हैं। इससे जनसांखिकीय विविधता को बढ़ावा मिलेगा लेकिन इससे जनसंख्या समूहों के बीच तनाव भी बढ़ेगा और प्रवासन नीति को लेकर भी संघर्ष पैदा होगा।
- **पारिवारिक व्यवस्था में बदलाव:** परिवार का आकार घटने से दादा-दादी द्वारा बच्चों की देखभाल जैसी पारंपरिक सहायता प्रणाली बाधित हो सकती है। इसके अलावा, एकल परिवारों में वृद्धि के कारण बुजुर्गों में अकेलापन, मानसिक विकार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

निष्कर्ष

वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में गिरावट की समस्या के समाधान हेतु युवा शिक्षा और नवाचार में निवेश करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, आबादी में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या का समर्थन करने के लिए आर्थिक नीतियों को अपनाने और कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए संतुलित प्रवासन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

7.2. युवाओं के नेतृत्व में विकास (Youth-Led Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए **मेरा युवा भारत (MY Bharat) नामक प्लेटफॉर्म** शुरू किया गया है। यह **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** की एक पहल है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **मेरा युवा भारत** युवाओं (15-29 वर्ष) के विकास और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराता है।

भारत को युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए:** भारत **29 वर्ष की औसत आयु** के साथ दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है।
- **राजनीतिक सहभागिता:** देश के राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी युवाओं के बीच नागरिकता तथा सामुदायिक सेवा के प्रति समर्पण जैसे गुणों को प्रोत्साहित किया जाए।
- **आर्थिक लाभ:** बेहतर शिक्षा और कौशल से लैस युवा आबादी अर्थव्यवस्था के विस्तार में मदद कर सकती है।
- **पर्यावरण का संरक्षण:** युभारतीय युवा काफी उत्साह के साथ **'पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE)[26] आंदोलन'** को अपना रहे हैं। साथ ही, वे **संधारणीय विकास** के लिए इसके तहत शामिल सिद्धांतों को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
- **सामाजिक चुनौतियों का समाधान:** युवाओं पर ध्यान केंद्रित करके कई सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- लैंगिक असमानता; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच का अभाव आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय फोरम:** भारत के हितों को बढ़ावा देने हेतु **बहुपक्षीय संगठनों में युवाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए।** उदाहरण के लिए- गीता गोपीनाथ, IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं।

युवाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहलें

शिक्षा	• नई शिक्षा नीति, 2020 • समग्र शिक्षा (एकीकृत स्कूली शिक्षा), 2018
स्वास्थ्य और आरोग्यता	• आयुष्मान भारत योजना ○ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWCs) ○ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
एंटरप्रेन्योरशिप	• स्टार्ट-अप और स्टैंड-अप इंडिया
विज्ञान	• साइंस सिटीज/सेंटर और इनोवेशन हब • इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT-2)
अवसंरचना	• स्मार्ट सिटी मिशन • कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) • पी.एम. गति शक्ति
कौशल विकास	• प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना • आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति और ज्ञान जागरूकता (संकल्प/SANKALP)
नवाचार	• अटल टिंकरिंग लैब (ATL) कार्यक्रम

[26] Lifestyle for Environment

भारत के युवाओं के सामने चुनौतियां

- **निम्नस्तरीय शिक्षा प्रणाली:** इसमें शिक्षा की खराब गुणवत्ता (व्यावसायिक शिक्षा पर कम ध्यान देना), उच्चतर शिक्षा तक पहुंच की कमी और उच्च ड्रॉपआउट दर शामिल हैं।
- **उच्च बेरोजगारी:** शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर काफी अधिक है। भारत में यह दर अधिकांश विकसित और विकासशील देशों की तुलना में काफी अधिक है।
- **शोषणकारी कार्यस्थल:** इसमें कम वेतन, लंबी कार्य अवधि, उत्पीड़न (विशेष रूप से महिलाओं का) और सामाजिक सुरक्षा या कानूनी सुरक्षा की अनुपस्थिति शामिल है।
- **सामाजिक मुद्दे:** इसमें मादक द्रव्यों का सेवन, हिंसा, अपराध, कट्टरपंथ, सांप्रदायिकता और लैंगिक आधार पर भेदभाव शामिल हैं। ये समस्याएँ युवाओं के नैतिक मूल्यों, नागरिक भावना, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रभावित करती हैं।
- **मनोवैज्ञानिक मुद्दे:** असफलता की स्थिति में खुद की योग्यता पर संशय और आत्मविश्वास की कमी उन्हें अवसाद में धकेल देती है। यहां तक कि वे आत्महत्या की हद तक भी चले जाते हैं, जैसे- एजुकेशन हब कोटा में देखी गईं हालिया घटनाएं।
- **सांस्कृतिक मानदंड:** पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक अपेक्षाएं कभी-कभी युवाओं की पसंद तथा आकांक्षाओं को सीमित कर सकती हैं। इसे विशेष रूप से शिक्षा, करियर और विवाह के संदर्भ में देखा जा सकता है।
- **युवाओं में सोशल मीडिया की लत:** इसका अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और उत्पादकता पर असर डालता है।

आगे की राह

- **राजनीतिक सशक्तीकरण:** युवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लामबंदी करने और उनका पक्ष रखने हेतु युवाओं से संबंधित संगठनों और **नागरिक समाज संगठनों** को प्रशिक्षण देना चाहिए।
- **कौशल अंतराल समाप्त करना:** व्यावसायिक कौशल, इंटर्नशिप और एम्बेडेड (Embedded) अप्रेंटिसशिप डिग्री कार्यक्रमों को महत्त्व दिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखने के व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हों।
    - **सॉफ्ट स्किल्स**, जैसे- रचनात्मकता, निर्णयन, रणनीतिक सोच, अन्तर्वैक्तिक कौशल, नेतृत्व कौशल, संज्ञानात्मक समझ और समय प्रबंधन **को बढ़ावा देना चाहिए।**
- **स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय:** साक्ष्य बताते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के परिणामस्वरूप आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है। शिक्षा में व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योग प्रदर्शन आदि को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- **गवर्नेंस में सुधार:** रणनीतिक योजना, निवेश, निगरानी और सुधार के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए।
- **सामाजिक और संधारणीय उद्यमिता:** समावेशी विकास के लिए नवीन, लागत-कुशल, प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **पहुंच और भागीदारी को बढ़ावा देना:** हाशिए के समुदायों और कुछ क्षेत्रों, जैसे- ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत आदि के लिए विशेष पहलों और अभियानों की आवश्यकता है।

7.3. मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवंबर 2023 तक, देश के 766 जिलों में से 714 जिलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त घोषित कर दिया था।

मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम (PEMSR), 2013

- 'मैनुअल स्कैवेंजर' से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे उचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना अस्वच्छ शौचालय, खुले नाले या गड्ढे या रेलवे ट्रैक से मानव मल को पूरी तरह से विघटित होने से पहले ही हाथ से उठाने के लिए काम पर रखा जाता है।
- **निषेध और दंड:** कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के काम में नहीं लगा सकती है या नियुक्त नहीं कर सकती है।
    - अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

- **स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी:** स्थानीय अधिकारियों को मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान करने, 'अस्वच्छ शौचालयों' को हटाने और साथ ही, सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।
- **मैनुअल स्कैवेंजर्स का पुनर्वास:** किसी वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण, नकद सहायता, घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता आदि।

मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए की गई अन्य प्रमुख पहलें

- **सफाई कर्मचारी बनाम भारत संघ वाद, 2014** में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग संविधान के अनुच्छेद 17 का घोर उल्लंघन है।
- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)** उनके उत्थान के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते / NAMASTE)** आरंभ की गई है। इसके उद्देश्य मशीनीकरण को बढ़ावा देना, पुनर्वास करना, प्रशिक्षण व सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए प्रावधान करना, स्वास्थ्य बीमा हेतु उपबंध करना आदि हैं।
- **स्वच्छ भारत मिशन:** सभी मल युक्त गाद और सीवेज का सुरक्षित संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान करना। साथ ही, सभी के लिए सुरक्षित स्थायी स्वच्छता प्राप्त करना।
- **स्वच्छता अभियान ऐप** अभी भी मौजूद अस्वच्छ शौचालयों और उनकी सफाई में लगे हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के डेटा को एकत्र करता है।
- **राष्ट्रीय गरिमा अभियान:** यह भारत में गरिमापूर्ण जीवन को बढ़ावा देने तथा मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग से निम्नलिखित का उल्लंघन होता है

अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन्स	संवैधानिक प्रावधान	कानूनी प्रावधान
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR): व्यक्ति की गरिमा, समानता, उचित श्रम और सामाजिक सुरक्षा को अनिवार्य करना।	**अनुच्छेद 15:** राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।	मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम **(PEMSR), 2013**
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (ICESCR): यह महिलाओं के लिए समानता और सभ्य जीवन स्तर की परिकल्पना करता है।	**अनुच्छेद 17:** "अस्पृश्यता" को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण प्रतिबंधित करता है।	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2005 (SC/ST अधिनियम)
महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW): यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के लिए कार्य करता है।	**अनुच्छेद 21:** किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।	

मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथा के बने रहने के मूलभूत कारण

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:** यह उनकी पहचान करने और उन्हें संबंधित अधिकार प्रदान करने को कठिन बनाता है।
- **कठोर कानून का न होना:** हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध कानून, 2013) के तहत सुरक्षात्मक उपकरणों की सहायता से मानव मल की सफाई को हाथ से मैला उठाना नहीं माना जाता है।
- **अप्रभावी कार्यान्वयन**: हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा पर 1993 में ही रोक लगा दी गई थी। हालांकि, कानून के शिथिल कार्यान्वयन के कारण यह प्रथा अभी भी जारी है।
- **जल की कमी**: भारत में कुछ ग्रामीण बस्तियों में उचित जल आपूर्ति की कमी है। इसके कारण लोगों को शौचालयों से हाथ से मलमूत्र हटाने के लिए विवश होना पड़ता है।
- **पुनर्स्थापन और पुनर्वास**: नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSKFDC) की विविध योजनाओं के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में अनेक जटिलताएं विद्यमान हैं। ये जटिलताएं पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए ऋण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।
- **प्रभावी संगठन का अभाव:** हाथ से मैला उठाने के कार्य में शामिल लोग ट्रेड यूनियनों जैसे कुछ प्रभावी समूहों में संगठित नहीं होते हैं।
- **मशीनीकरण का अभाव:** सेप्टिक टैंक इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि उन्हें केवल हाथ से ही साफ किया जा सकता है।

- **जाति और वर्ग की पहचान:** कथित तौर पर जाति और वर्ग पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर होने के कारण इनके पास अवसरों तक पहुंच का अभाव होता है जिसके चलते इनका पुनर्वास करना मुश्किल हो जाता है।

हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए आगे की राह

मांग को समाप्त करना:

- **अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान:** लोग शौचालय में बोतलें और अलग-अलग प्रकार के अपशिष्ट फेंक देते हैं, जो सीवर लाइन को अवरोधित करते हैं। इस तरह के कार्यों के खिलाफ जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।
- **केरल मॉडल को उपयोग में लाना:** इसे मैनहोल की सफाई के लिए तकनीक आधारित समाधानों के उपयोग की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- **व्यवहारिक बदलाव:** कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) इस कुप्रथा के खिलाफ लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।
  - ऐसे व्यावहारिक बदलावों के लिए जल, साफ-सफाई और स्वच्छता (WASH) की दिशा में पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

आपूर्ति को समाप्त करना:

- **पहचान:** इस कार्य में शामिल लोगों के बारे में सरकार के सर्वेक्षणों और अन्य रिपोर्टों में डेटा संबंधी विरोधाभास पाया जाता है।
- **पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार:** प्रभावी पुनर्वास और रोजगार के अवसरों का प्रावधान सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है।

7.4. आंतरिक विस्थापन (Internal Displacement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) ने **आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट, 2024** जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर **75.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित** हुए थे।

आंतरिक विस्थापन के बारे में

- UNFCCC[27] के अनुसार, **"विस्थापन" प्रवासन का एक विशेष रूप है,** जिसमें व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है।
- आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (IDPs) वे लोग हैं, जो **अपनी इच्छाओं के विरुद्ध अपने घरों या निवास स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है।** यह मुख्यतः **सशस्त्र संघर्ष, सामान्य हिंसा, मानवाधिकारों के हनन, आपदाओं आदि** जैसी घटनाओं या स्थितियों के प्रभाव के परिणामस्वरूप होता है।

IDPs एवं अन्य आंतरिक प्रवासियों को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- **मूलभूत/ बुनियादी सेवाओं का अभाव:** निम्न आय वाले अधिकांश आंतरिक प्रवासी मलिन-बस्तियों में रहते हैं। यहां पर उन्हें स्वच्छता और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं।
  - प्रवास के प्रमुख गंतव्यों पर लगभग 80 प्रतिशत मौसमी प्रवासी मजदूरों के बच्चों को कार्यस्थल के समीप शिक्षा सुलभ नहीं होती है।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** लगभग सभी राज्य प्रवासियों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे वे कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
- **श्रम बाजार का कमजोर होना:** PLFS के अनुसार, लगभग तीन चौथाई प्रवासी महिलाएं बेरोजगार हैं; लगभग 14% प्रवासी महिलाएँ स्व और मजदूरी-रोजगार वाली नौकरियां कर रही हैं और लगभग 12% अनियत श्रम में संलग्न हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी:** अंतर्राज्यीय प्रवासी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतदान करने के लिए स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता नामावली में उनका नाम होना चाहिए।
- **अपर्याप्त डेटा:** यह सूचित निर्णय लेने में बाधा डालता है।

[27] संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय/ United Nations Framework Convention on Climate Change

© Vision IAS

माइग्रेशन या प्रवासन

माइग्रेशन या प्रवासन एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच जनसंख्या की **स्थानिक मूवमेंट** का एक रूप है। इसके चलते **निवास का स्थायी परिवर्तन** हो जाता है।

भारत की जनगणना के अनुसार, प्रवासन के दो प्रकार हैं– **जन्म स्थान के आधार पर प्रवासन और अंतिम निवास स्थान के आधार पर प्रवासन।**

भारत में प्रवासन के कारण

रोजगार/ कार्य के लिए	पढ़ाई जारी रखने के लिए	विवाह	प्राकृतिक आपदा (सूखा, बाढ़, सुनामी, आदि)	सामाजिक/ राजनीतिक समस्याएं (जैसे– दंगे, आतंकवाद, राजनीतिक शरणार्थी, खराब कानून व्यवस्था, आदि)	विकास परियोजना जनित विस्थापन

महिलाओं में प्रवासन का प्रमुख कारण: विवाह (81%), परिवार के सदस्यों के चलते प्रवासन (10%), रोजगार (2.42%), तथा शिक्षा के अवसरों के लिए प्रवासन (0.48%)।

IDPs और अन्य आंतरिक प्रवासियों की बेहतरी के लिए की गई पहलें

- बड़े पैमाने पर विस्थापन को कम करने के लिए **राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2007**
- 'वन नेशन वन राशन कार्ड', प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ाना।

आगे की राह

- **अनुसंधान अंतराल को कम करना:** प्रवासन पर महिला और पुरुष से संबंधित डेटा को पर्याप्त रूप से दर्ज करने के लिए जनगणना के डिजाइन को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- **लक्षित नीतिगत ढांचा:** लोक सेवाओं एवं सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रवासियों के लिए लक्षित घटकों और विशेष पहुंच वाली रणनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है।
- **संस्थागत सुधार करना:** प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए पंचायतों की क्षमता का निर्माण करना तथा प्रत्येक राज्य में 'प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ' की स्थापना करने की आवश्यकता है। साथ ही, सेवा वितरण में सुधार के लिए अंतर-जनपदीय तथा अंतर्राज्यीय समन्वय समिति का गठन करना भी आवश्यक है।
- **विकास प्रेरित विस्थापन को कम करना:** विस्थापन को रोकने के लिए पेसा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम और भूमि हस्तांतरण विनियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।
- **जागरूकता बढ़ाना:** प्रवासियों के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में नीति निर्माताओं, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

7.5. शहरीकरण: एक नज़र में (Urbanization at a Glance)

शहरीकरण

कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि को शहरीकरण कहा जाता है। इसका निर्धारण जनसंख्या के आकार और घनत्व, **प्रमुख आर्थिक गतिविधि (गैर–कृषि)** और प्रशासनिक संरचना के आधार पर किया जाता है।

भारत में शहरीकरण की स्थिति

शहरी आबादी:	शहरीकरण पर भविष्य के अनुमान:	GDP में योगदान:	शहरी झुग्गियों में **शहरी आबादी का लगभग 49% हिस्सा** है (विश्व बैंक, 2020)
36% (विश्व बैंक, 2023)	2036 तक 40% आबादी (विश्व बैंक)	~60% (नीति आयोग, 2022)	

शहरीकरण के चालक

सामाजिक: जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, शिक्षा और कौशल विकास, आदि।

आर्थिक: औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, आदि।

सरकारी नीतियाँ: विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) का विकास, शहर–केंद्रित विकास के पक्ष में औद्योगिक नीतियाँ, आदि।

अन्य: उद्योगपतियों द्वारा विकसित टाउनशिप, जैसे– जमशेदपुर, शहर की सीमाओं का विस्तार, आदि।

शहरीकरण का महत्त्व

- **आर्थिक:** विनिर्माण व सेवा क्षेत्रक और प्रौद्योगिकी में आर्थिक गतिविधियों का विविधीकरण, अर्थव्यवस्थाओं के आकार में वृद्धि के लिए संसाधन का कुशल उपयोग, बेरोजगारी में कमी, आदि।
- **सामाजिक:** शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का मिश्रण, आदि।
- **गवर्नेंस:** एक प्रशासनिक इकाई के रूप में शहरों पर ध्यान केंद्रित करने से उत्तरदायी गवर्नेंस सुनिश्चित होता है; शहरी क्षेत्र वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, दूतावासों आदि की मेजबानी करते हैं।

शहरीकरण की चुनौतियाँ

- **शहर का विस्तार: अनियोजित विकास** के कारण **झुग्गी–झोपड़ियाँ** बढ़ती हैं, गरीबों के जीवन की गुणवत्ता खराब होती है और पर्यावरण का क्षरण होता है।
- **संपर्क और समझदारी में कमी:** वर्ग, क्षेत्र, जाति और धर्म जैसी पहचान के आधार पर सामाजिक अलगाव, उदाहरण के लिए– गेटेड समुदाय।
- **सामाजिक सामंजस्य की कमी:** व्यक्तिवाद के बढ़ने से सामाजिक अलगाव और संबंधित मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा होता है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** उच्च जनसंख्या घनत्व और अपर्याप्त रखरखाव के कारण मौजूदा बुनियादी ढाँचे पर **उच्च दबाव** है। उदाहरण के लिए– मुंबई में रेलवे ब्रिज भगदड़।
- **अन्य:** प्रदूषण, असमानता, पारंपरिक उद्योगों का पतन, शहरी बाढ़ जैसी आपदाएँ, आदि।

आगे की राह

- **संतुलित शहरीकरण:** संकटपूर्ण प्रवास और अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए टियर–2, टियर–2 शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जाना।
- **शहरी नियोजन:** ट्रांजिट या आवागमन पर केंद्रित विकास, ग्रीन स्पेस का एकीकरण, आदि।
- **सामाजिक समावेशन:** सामाजिक सुरक्षा जाल और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करना, शहरी गरीबों की ज़रूरतों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना, आदि।
- **बेहतर गवर्नेंस:** निर्णय के संबंध में विकेंद्रीकरण, समुदाय–संचालित पहलों को प्रोत्साहित करना और मलिन बस्तियों में स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करना, आदि।

© Vision IAS

7.6. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {Prime Minister Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में स्ट्रीट वेंडर्स पर पी.एम. स्वनिधि योजना के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

पी.एम. स्वनिधि योजनाः स्मरणीय तथ्य

योजना के बारे में	उद्देश्य	लक्ष्य	लाभ
यह शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए **सूक्ष्म–ऋण (Micro-Credit) योजना** है। इसे **2020 में शुरू** किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कोविड–19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को उनके **व्यवसायों को फिर से शुरू करने** के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।	स्ट्रीट वेंडर्स को **औपचारिक आर्थिक प्रणाली में एकीकृत** करना। साथ ही, ऋण के औपचारिक स्रोतों तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना।	प्रारंभिक लक्ष्य 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का था, जिसे संशोधित कर 63 लाख स्ट्रीट वेंडर्स किया गया	➤ **बिना किसी जमानत के वर्किंग कैपिटल ऋण की सुविधाः** पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान पर 3 किस्तों में 50,000 रुपये तक। ➤ **ऋण के नियमित भुगतान** पर आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। ➤ **डिजिटल लेन–देन करने पर** प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक के कैशबैक **पुरस्कार** दिए जाते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **महिलाओं पर प्रभाव:** कुल लाभार्थियों में 43% महिलाएं हैं, अतः यह महिला उद्यमिता में वृद्धि को दर्शाता है।
- **सामुदायिक बाधाओं को तोड़ना:** 75% गैर-सामान्य वर्ग से एवं 65 प्रतिशत 26-45 आयु वर्ग से संबंधित हैं।
- **योजना की लोकप्रियता:** निरंतरता अनुपात में वृद्धि, अर्थात् पहला ऋण चुकाने और फिर दूसरा ऋण लेने वाले लोगों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है।
- **वित्तीय व्यवहार में परिवर्तन:** ऋण की किस्तों के बाद पी.एम. स्वनिधि खाताधारकों के डेबिट कार्ड से औसत खर्च में 50% की वृद्धि हुई, जो उनके वित्तीय व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है।

योजना से जुड़े हुए मुद्दे

- **ऋण प्राप्त करने के लिए स्टाम्प शुल्क:** स्टाम्प शुल्क राज्य का विषय है, इसलिए इसकी दर/राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।
- **बैंकों में दस्तावेजीकरण:** कुछ बैंक अन्य दस्तावेज भी मांगते हैं, जैसे कि सिबिल स्कोर, परिवार की फोटो, फेरी लगाने वाली जगह पर उनकी फोटो, राशन कार्ड आदि।
- **डिजिटल विभाजन:** स्मार्टफोन और डिजिटल साक्षरता के बिना स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने में कठिनाई होती है।
- **निवास प्रमाण पत्र:** कई शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवासी फेरीवालों या स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस से वंचित कर रहे हैं।
- **निजी बैंकों की भागीदारी में कमी:** ऋण चूक और उच्च ब्याज दरों के डर के कारण मार्च 2022 तक इस योजना में निजी बैंकों की भागीदारी 2% से भी कम थी।
- **अन्य मुद्दे:** प्रमाणीकरण के लिए शहरी स्थानीय निकायों पर अत्यधिक निर्भरता; पथ विक्रेताओं में जागरूकता की कमी आदि।

आगे की राह

- स्वनिधि के अंतर्गत ऋण लेने पर **स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान** की जानी चाहिए।
    - राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने ऐसा करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
- सभी चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स को **शीघ्रता से विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करना**।

- **बैंकों को दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को न्यूनतम करना चाहिए** तथा मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, सिबिल स्कोर आदि मांगने से बचना चाहिए।
- शहरी स्थानीय निकाय से विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए **सिविल सोसाइटी को इसमें शामिल करना** चाहिए।
- **निजी क्षेत्रक के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करना** और उन्हें ऋण देने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स (DPAs) के साथ सहयोग कर सकते हैं** और स्ट्रीट वेंडर्स को QR कोड और भुगतान ऐप/BHIM UPI ऐप के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी साझा कर सकते हैं।

7.7. सामाजिक अलगाव और अकेलापन (Social Isolation and Loneliness)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा घोषित किया है। **WHO** ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया है, जो अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए कार्य करेगा।

सामाजिक अलगाव और अकेलापन क्या है?

- **सामाजिक अलगाव:** इसका आशय अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों का अभाव और बहुत कम या न के बराबर सामाजिक समर्थन या संपर्क होने से है।
- **अकेलापन:** यह अकेला रहने या दूसरों से अलग होने की भावना है। यह किसी व्यक्ति के संपर्क के वास्तविक और वांछित स्तर के बीच के अंतर को दर्शाता है।
    - इसका मतलब यह है कि बहुत सारे मित्रों वाला व्यक्ति भी अकेलापन महसूस कर सकता है।

सामाजिक अलगाव और अकेलेपन के लिए जिम्मेदार कारक

- **प्रवासन और उससे जुड़े हुए मुद्दे:** अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित होने वाले लोग भाषा संबंधी बाधाओं, वित्तीय संघर्षों एवं नई संस्कृति को अपनाने में कठिनाइयों के कारण अलग-थलग महसूस कर सकते हैं।
- **व्यक्तित्व के प्रकार:** उच्च स्तर की कर्तव्यनिष्ठा और मनोरोगी वृत्ति (Neuroticism) वाले व्यक्तियों में अकेलापन महसूस करने की संभावना अधिक हो सकती है।
- **इंटरनेट या सोशल मीडिया की लत** लगने जैसी समस्या आमने-सामने की जाने वाली बातचीत को कम कर सकती है।
- **काम में समय की कमी:** काम करने के अधिक घंटे और आराम करने का समय सीमित होने के कारण व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करने लग सकते हैं। इससे अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
- **पेशेवर विफलताएं:** एक-दूसरे से तुलना किए जाने, निरंतर मूल्यांकन और लगातार विफलता के परिणामस्वरूप आत्मसम्मान में कमी आती है। इससे व्यक्ति समाज से अलग रहना पसंद करता है।
- **अधिक आयु के वयस्कों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां:** सेवानिवृत्ति, सहकर्मियों के साथ संपर्क में कमी और वित्तीय स्वतंत्रता में कमी जैसे कारकों के परिणामस्वरूप अलगाव की भावनाएं पैदा हो सकती हैं।
    - **एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम** वृद्धावस्था में माता-पिता में अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकता है। एक **ऐसी स्थिति** जहां बच्चे शिक्षा या करियर के लिए घर से दूर चले जाते हैं **एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम** कहलाता है।
- **सामाजिक बहिष्कार:** जेंडर, नस्ल या अन्य कारकों के आधार पर सामाजिक बहिष्कार के कारण सामाजिक अलगाव और अकेलापन उत्पन्न हो सकता है।

सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का प्रभाव

- **स्वास्थ्य जोखिम:** सामाजिक अलगाव से डिमेंशिया का खतरा **लगभग 50%, हृदय रोग का खतरा 29% और स्ट्रोक का खतरा 32%** बढ़ जाता है।

© Vision IAS

- **अस्वास्थ्यकर आदतों को अपनाना:** मादक पदार्थों का सेवन, बाधित दैनिक जीवन चक्र और नींद की खराब गुणवत्ता आदि के कारण दिन में थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान में कमी और उत्पादकता में कमी देखने को मिल सकती है।
- **असामयिक मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है:** सामाजिक अलगाव के सभी कारणों से **असामयिक मृत्यु का खतरा काफी बढ़ जाता है**। इन कारणों में **धूम्रपान, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता** के खतरें भी शामिल हो सकते हैं।
- **खराब आर्थिक परिणाम:** कार्यस्थल में अलगाव की भावना और समर्थन की कमी का अनुभव करने से नौकरी में असंतुष्टि और प्रदर्शन में कमी आ सकती है।
    - अकेलेपन के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष अनुमानित 406 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है।
- **शिक्षा पर प्रभाव:** हाई स्कूल में अकेलेपन का अनुभव करने वाले युवाओं के बीच विश्वविद्यालय छोड़ने की संभावना अधिक होती है।

अत्यधिक परस्पर जुड़े समुदायों को होने वाले लाभ

- बेहतर स्वास्थ्य आउटकम्स
- सामुदायिक हिंसा कम होती है
- आर्थिक समृद्धि
- अधिक नागरिक सहभागिता और प्रतिनिधिक सरकार
- प्राकृतिक विपदा की पहले से तैयारी और उसके प्रति सहनशील होना

सामाजिक अलगाव और अकेलेपन को दूर करने के लिए आगे की राह

- **सामुदायिक स्तर पर**
    - एक ऐसे **परिवेश का निर्माण करना** जिसे **सुरक्षित, लागत प्रभावी भौतिक अवसंरचना की पहुंच की गारंटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया** हो। इसमें आस-पास के उद्यान और सामुदायिक केंद्र **शामिल हो सकते हैं**।
    - **सामाजिक कार्यों और संतुष्टि प्रदान करने वाली गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना**, जैसे- वृद्धाश्रमों, अनाथालयों या गैर-सरकारी संगठनों में स्वयंसेवा करना।
    - वृद्ध लोगों और बच्चों तथा युवाओं के अकेलेपन और अलगाव की समस्या को दूर करने के लिए **गैर-पारिवारिक अंतर-पीढ़ीगत सहायता कार्यक्रम आयोजित करना।**
- **व्यक्तिगत स्तर पर**
    - अवचेतन मन को नए सिरे से सोचने के लिए तैयार करने हेतु माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे **वैयक्तिकृत कार्यक्रमों को अपनाया** जाना चाहिए।
    - **सार्थक संबंधों को बढ़ावा देना** और अकेलेपन से निपटने के लिए एक सहायता प्रणाली का निर्माण करना।
- **सामाजिक स्तर पर**
    - अकेलेपन और इसके स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए **शैक्षिक अभियान शुरू करना।**
    - उन **सरकारी नीतियों का समर्थन करना** चाहिए, जो स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदाय-आधारित संगठनों को सामाजिक अलगाव तथा अकेलेपन की समस्या को दूर करने में प्राथमिकता देने के लिए सशक्त बनाती हों।
    - अकेलेपन को दूर करने के कार्यक्रमों के विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सहायता के लिए **सार्वजनिक तथा निजी फंडिंग सुनिश्चित करना।**

7.8. आत्महत्या से जुड़े मुद्दे: एक नज़र में (Suicides at a Glance)

आत्महत्या

आत्महत्या को एक ऐसी **व्यक्तिगत समस्या** मानता है, जिसके कारण व्यक्ति की **समय से पहले मृत्यु** हो जाती है। साथ ही, इसका **निरंतर प्रभाव** देखने को मिलता है। इससे **परिवारों, मित्रों और समुदायों** के जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। (NCRB)

भारत में आत्महत्या की प्रवृत्तियां

दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की घटनाएं भारत में होती हैं। (NCRB के अनुसार, 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की)	आत्महत्या की दर बढ़कर **प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 12.4** हो गई है – जो भारत में अब तक की सबसे ज़्यादा दर है।	लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में महिलाओं और लड़कियों के संबंध में आत्महत्या की दर वैश्विक औसत से दोगुनी** है।	**18–45 वर्ष आयु वर्ग आत्महत्या के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है।** 2021 में आत्महत्या के लगभग 2/3 मामले इसी वर्ग से संबंधित थे। (NCRB)

आत्महत्या संबंधी जोखिम के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक

- **व्यक्तिगत कारकः** मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं; मादक द्रव्यों का सेवन करना; रिश्तों से जुड़ी समस्याएं आदि।
- **सामाजिक कारकः** सामाजिक सहयोग की कमी; कार्यस्थल पर साथी/ साथियों द्वारा परेशान करना और उत्पीड़न का सामना करना; मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को कलंक जैसा मानना आदि।
- **आर्थिक कारकः** वित्तीय कठिनाइयां; बेरोजगारी; फसल का नष्ट होना आदि।
- **किसानों में बढ़ती आत्महत्या की घटना के कारकः** फसल की विफलता, गरीबी, ऋणग्रस्तता, लाभकारी बाजारों की कमी, आदि।
- **महिलाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृति के मुख्य कारकः** घरेलू शारीरिक एवं भावनात्मक शोषण; यौन अपराध, वैवाहिक बलात्कार आदि को लेकर समाज में कलंकित महसूस करना; **पेरी–मेनोपॉज़ल लक्षण** (ये लक्षण **42 से 52 वर्ष की आयु** की महिलाओं में पाए जाते हैं) आदि।
- **छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के कारकः** युवा आयु और तर्कसंगत दृष्टिकोण की कमी; शैक्षणिक दबाव; अकेलापन, पारिवारिक समर्थन प्रणाली का अभाव, सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभाव आदि।
- **सशस्त्र बलों में बढ़ती आत्महत्या की घटना के कारकः** सेवा और कामकाजी परिस्थितियों की दयनीय स्थिति, व्यक्तिगत मुद्दे, जैसे कि अलगाव की भावना, सामाजिक और पारिवारिक सहायता की कमी, आदि।

आत्महत्याओं के दूरगामी परिणाम

- **परिवार के लिएः** भावनात्मक आघात; वित्तीय कठिनाइयां; पारिवारिक विघटन आदि।
- **समाज के लिएः** समाज में कलंक मानना; आत्महत्या के अनुकरण (क्लस्टर सुसाइड्स) के जोखिम में वृद्धि; शैक्षणिक प्रदर्शन में भी गिरावट; कार्यबल की कमी आदि।
- **देश के लिएः** स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव; मानव पूंजी की हानि; राष्ट्रीय छवि पर संभावित नकारात्मक प्रभाव आदि।

आत्महत्या की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम

नीतियां और कार्यक्रम

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति; **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014)**; राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई **'उम्मीद (UMMEED)' योजना** आदि।

कानूनी फ्रेमवर्क

भारतीय न्याय संहिता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं मानना

अन्य

मनोदर्पण, किरण हेल्पलाइन, आदि।

© Vision IAS

आत्महत्या की रोकथाम में उभरती चुनौतियां

- **मीडिया में आत्महत्या की ख़बरों का लगातार बने रहना:** मशहूर हस्तियों द्वारा आत्महत्या की ख़बरों की लगातार रिपोर्टिंग करने से आम जनता में आत्महत्या के प्रति कई मनोदशा जन्म ले सकती है।
- **इंटरनेट और अन्य संचार नेटवर्क का प्रभाव:** किशोरों को मोबाइल फोन और इंटरनेट पर नशीले पदार्थों के सेवन व अनैतिक यौन संबंधों जैसी जोखिम भरी गतिविधियों के प्रति आकर्षित किया जा रहा है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियां: AI आधारित आभासी साथी** (उदाहरणार्थ– एआई गर्लफ्रेंड्स) का चलन बढ़ा है। इससे समाज से अलग रहने की भावना भी बढ़ रही है।
- **कानूनी प्रवृत्तियों में बदलाव के प्रभाव:** इच्छामृत्यु और समलैंगिक विवाहों की मान्यता को लेकर क़ानूनी असमंजस की स्थिति आत्महत्या के जोखिम कारकों में वृद्धि करती है।
- **कमजोर होती पारिवारिक संरचना:** आर्थिक गतिविधियों के कारण भावनात्मक समर्थन का कार्य उपेक्षित हो जाता है। उदाहरण के लिए– एकल परिवार में माता–पिता, दोनों के काम करने से बच्चे अलग–थलग पड़ जाते हैं।

आगे की राह

- **देश या राज्य की भूमिका:** सभी क्षेत्रकों को शामिल करते हुए या एक मंत्रिस्तरीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए; प्रभावी निगरानी; पर्याप्त वित्तीय आवंटन आदि।
- **नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका:** पीड़ितों को संकट की स्थिति में सहायता प्रदान करना; कानूनी सुधारों का पक्ष लेना; जिम्मेदारी के साथ मीडिया रिपोर्टिंग करना आदि।
- **शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका:** उत्पीड़न और हिंसा के पीड़ितों (विशेष रूप से लड़कियों) को सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों में काउंसलिंग की एक सुगम व बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। जीवन जीने के कौशल सिखाने पर जोर देना चाहिए। इसमें विफलता/ संकट से निपटना, तनाव प्रबंधन, पेशेवर शिक्षा के अलग–अलग विकल्प, सुधारात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों आदि को शामिल करना चाहिए।
- **सर्वोत्तम प्रणालियों से सीखना:** तमिलनाडु ने छात्रों को सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी है; श्रीलंका ने 'कीटनाशकों के रजिस्ट्रार' की नियुक्ति की और राष्ट्रीय विष सूचना केंद्र (National Poison Information Centre) की स्थापना की।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

✓ सामान्य अध्ययन
✓ निबंध
✓ दर्शनशास्त्र

निबंध : 28 जुलाई

ENGLISH MEDIUM 2024: 28 JULY
हिन्दी माध्यम 2024: 28 जुलाई

ENGLISH MEDIUM 2025: 28 JULY
हिन्दी माध्यम 2025: 28 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

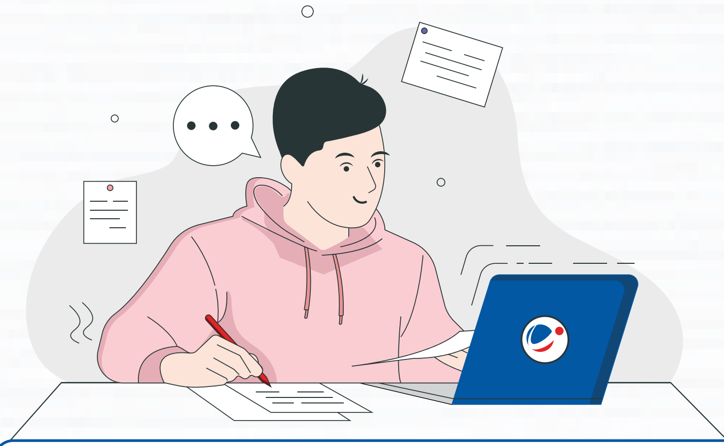

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ-साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न-पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर-की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

8. भारतीय समाज (Indian Society)

8.1. सामाजिक पहचान: एक नज़र में (Social Identities at a Glance)

सामाजिक पहचान

सामाजिक पहचान का अर्थ **लोगों के उस पक्ष से है जो उन्हें समूह ("हम") से जोड़ते हैं।** यह एक प्रकार का स्व–वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण आम तौर पर हमें सौंप दिए जाते हैं या हमारे जन्म से निर्धारित होते हैं।

सामाजिक पहचान के प्रकारों में **जाति, नस्ल, जेंडर, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, नृजातीयता, सामाजिक वर्ग** आदि शामिल हैं।

कृषि से द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में स्थानांतरण, ग्रामीण से शहरी प्रवासन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन आदि द्वारा संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण सामाजिक पहचान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

सामाजिक पहचान और संरचनात्मक बदलावों के बीच संबंध

- **असमानता और हाशियाकरण:** जनजातीय आबादी जैसे हाशिए पर मौजूद कुछ समूहों के लिए अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों के अनुकूल ढलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे धन, आय और रोजगार के अवसरों में असमानता को बढ़ावा मिलता है।
- **राजनीतिक शक्ति:** संरचनात्मक बदलाव या तो मौजूदा शक्ति असंतुलन को मजबूत करता है अथवा हाशिए पर मौजूद समूहों को शक्ति असंतुलन को चुनौती देने एवं इसमें बदलाव करने का अवसर भी पैदा कर सकता है।
- **श्रम बाजार:** अर्थव्यवस्था में ऑटोमेशन या वैश्वीकरण जैसे परिवर्तन कुछ प्रकार के श्रम की मांग में कमी या बदलाव ला सकते हैं। कौशल के स्तर, शिक्षा और भेदभाव के ऐतिहासिक स्वरूप जैसे कारकों के आधार पर यह विभिन्न सामाजिक वर्गों को अलग–अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है।
- **सामाजिक आंदोलन:** आर्थिक न्याय और संरचनात्मक बदलावों की मांग करने वाले सामाजिक आंदोलनों एवं सक्रियता के पीछे सामाजिक पहचान एक प्रेरक शक्ति हो सकती है।

<u>*विभिन्न सामाजिक पहचानों और उनमें समकालीन बदलावों पर आगे के आर्टिकल में चर्चा की गई है।</u>

8.2. जाति व्यवस्था: एक नज़र में (Caste System at a Glance)

जाति व्यवस्था

जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली है जिसमें जन्म के अनुसार सामाजिक स्थिति तय होती है। इसमें मानदंडों, मूल्यों और प्रतिबंधों का एक समूह निर्धारित किया जाता है जो जाति के भीतर सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं।

जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ

- **सामाजिक विभेद** जन्म से निर्धारित होता है, उपलब्धियों से नहीं।
- दर्जा, व्यवसाय और अन्य मौलिक विचारों के आधार पर **पदानुक्रम,** जातियों की रैंकिंग।
- **नागरिक और धार्मिक अक्षमताएँ,** जैसे कि सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक कुओं, मंदिरों आदि तक जाति–आधारित पहुँच।
- **अंतर्विवाह,** जाति के अंदर ही विवाह का प्रावधान।

जातिगत पहचान का कमजोर होना

- **शिक्षा:** शिक्षा तक पहुँच बढ़ने से लोगों को विविध विचारों से परिचित होने का मौका मिला है और जाति–आधारित कुछ धारणाओं को चुनौती मिली है।
- **शहरीकरण:** शहरी क्षेत्रों में प्रवास के परिणामस्वरूप पारंपरिक जातिगत बंधन और प्रतिबंध कम हुए हैं, बेहतर व्यावसायिक गतिशीलता आदि हुई है।
- **अंतर्जातीय विवाह:** अंतर्जातीय विवाहों की बढ़ती संख्या धीरे–धीरे जातिगत रेखाएँ धुंधली कर रही है।
- **कानूनी और नीतिगत:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) जैसे भेदभाव विरोधी कानून, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, आदि।
- **वैश्वीकरण:** वैश्विक संस्कृतियों और मूल्यों के संपर्क ने जाति के बारे में युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।

जातिगत पहचान का मजबूत होना

- **पहचान की मांग:** जाति आधारित जनगणना की मांग, ताकि आधिकारिक तौर पर जनसंख्या के आकार और सामाजिक–आर्थिक स्थिति की पहचान की जा सके।
- **राजनीतिक लामबंदी:** जाति आधारित राजनीतिक दलों के उदय ने राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत पहचान को मजबूत किया है।
- **आरक्षण की मांग:** विभिन्न जातियों (जैसे– जाट, पटेल) द्वारा आरक्षण की मांग ने जाति आधारित लामबंदी को तेज कर दिया है।
- **सोशल मीडिया और तकनीक:** व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर जाति आधारित ग्रुप्स ने लोगों के लिए जातिगत पहचान के आधार पर जुड़ना आसान बना दिया है।
- **विवाह संबंधी प्राथमिकताएं:** जैसे– जाति आधारित वैवाहिक वेबसाइटों का प्रसार।

निष्कर्ष

हालांकि, जाति–आधारित भेदभाव को कम करने और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में काफी अधिक प्रगति हुई है। फिर भी, जातिगत पहचान को और कमजोर करने तथा अधिक समावेशी एवं समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, कानूनी सुधार, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

8.2.1. जातिगत जनगणना (Caste Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बिहार राज्य सरकार ने राज्य में किए गए जाति सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि राज्य विधान-मंडल ने इस सर्वेक्षण के लिए एक रेजोल्यूशन पारित किया था।

भारत में जनगणना

- संविधान के **अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय** है। यह **अनुसूची VII के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 69** के तहत निर्दिष्ट है।
- 2011 में, एक व्यापक कार्यक्रम के जरिए **सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)** आयोजित की गई थी।
  - 2016 में, **जाति से संबंधित डेटा को छोड़कर SECC डेटा** को अंतिम रूप दिया गया और प्रकाशित किया गया।
  - 2021 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक हलफनामे में SECC 2011 से प्राप्त जाति/ जनजाति डेटा को "दोषपूर्ण" और "उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं" माना।

जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क	जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क

• **संविधान द्वारा सौंपे गए कार्य:** अनुच्छेद 340 एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करेगा।
• **सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति में सुधार:** इससे मौजूदा श्रेणियों में नई जातियों के समावेशन या इन श्रेणियों में से उन्नत जातियों (क्रीमी लेयर) के निष्कासन के निर्धारण में सरकार को मदद मिलेगी।
  ○ जातिगत जनगणना से प्राप्त डेटा की सहायता से आरक्षण के लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सक्षम किया जा सकता है, क्योंकि इससे **'कोटा-विदिन-कोटा' (उप-वर्गीकरण या आरक्षण के भीतर आरक्षण)** प्रणाली तैयार करना संभव होगा।
• **नीति निर्धारण:** जाति जनगणना के डेटा से उचित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नीति निर्माण में मदद मिलेगी, ताकि वंचित-दमित वर्गों की जरूरतों तथा मांगों को पूरा किया जा सके।
• **विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना:** इस जनगणना का उपयोग निर्वाचित निकायों, सिविल सेवाओं में अलग-अलग जातियों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
• **न्यायिक आवश्यकता:** इंद्रा साहनी वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि उचित आकलन और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद ही राज्य लोगों के किसी विशेष वर्ग को "पिछड़ा" होने का दर्जा दें।
  ○ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस तरह का दर्जा विशेषज्ञों के एक स्थायी निकाय द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन होना चाहिए।
• **जाति का उन्मूलन:** कई विशेषज्ञों का मानना है कि जाति को खत्म करने के लिए सबसे पहले जाति व्यवस्था से मिलने वाले विशेषाधिकारों को खत्म करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, राज्य को पहले जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मानचित्रण करना होगा।
	• **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान पिछड़े वर्गों की बात करता है न कि पिछड़ी जातियों की।
	  ○ संविधान में जाति शब्द का प्रयोग **केवल 'अनुसूचित जातियों' के संबंध** में ही किया गया है।
	• **डेटा की गणना में कठिनाइयां: भारत में हजारों की संख्या में मौजूद जातियों और उपजातियों** की संख्या के मद्देनजर, जातिगत डेटा एकत्र करना तथा उसका उचित उपयोग करना कठिन कार्य है।
	• **राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना:** ऐसी चिंताएं हैं कि जातिगत डेटा का उपयोग वोट बैंक की राजनीति और पहचान-आधारित ध्रुवीकरण सहित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
	• **आरक्षण की मांग में वृद्धि:** आलोचकों का कहना है कि जाति-आधारित जनगणना से प्रभावित होकर अलग-अलग समुदाय नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अधिक आरक्षण की मांग उठा सकते हैं।
	• **असंतोष का खतरा:** यह अंतरजातीय तनाव को बढ़ा सकता है और अधिक समावेशी तथा सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

Lakshya
MAINS MENTORING PROGRAM 2024
8 अगस्त 2024
(मुख्य परीक्षा – 2024 के लिए एक लक्षित रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श कार्यक्रम)
30 दिवसीय विशेषज्ञ परामर्श

आगे की राह

- **राजनीतिक सर्वसम्मति बनाना:** सामाजिक-राजनीतिक चिंतन के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक राजनीतिक सहमति के जरिए निर्णय लिए जाने चाहिए।
- **समावेशी परामर्श:** जाति जनगणना के नियोजन और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों (जैसे- समुदाय के नेताओं, कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों सहित) को शामिल करना चाहिए।
  - प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, **समाजशास्त्रियों और अनुसंधान संस्थानों** को जातिगत जनगणना की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
- **जाति और उपजाति की पहचान करना:** जनसंख्या में मौजूद सभी संप्रदायों और उपजातियों की पहचान करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रारंभिक सामाजिक-मानव विज्ञान (Socio-anthropological) अध्ययन किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** जाति-आधारित डेटा का विश्लेषण और मूल्यांकन करने तथा सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स आदि।

8.2.2. नई प्रौद्योगिकियां और भारत में जातीय पहचान (Emerging Technology and Caste Identities in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रौद्योगिकियों के उपयोग में जाति के आधार पर भेदभाव तथा तकनीकी कार्यबल में वंचित जातीय समूहों का कम प्रतिनिधित्व होने के कई उदाहरण सामने आए हैं।

नई प्रौद्योगिकियां और जाति-आधारित असमानताएं

- **उच्च-जातीय समूहों का प्रभुत्व:** लोकनीति और CSDS द्वारा किए गए 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य कम सक्रिय हैं।
- **डिजिटल डिवाइड:** भारत में वंचित जातीय समूहों तथा अन्य जातीय समूहों के बीच डिजिटल दुनिया में **दो स्तरों पर डिजिटल असमानता या विभाजन मौजूद** है- **प्रथम-स्तरीय विभाजन** (डिजिटल डिवाइस है या नहीं) और **द्वितीय-स्तरीय विभाजन** (डिजिटल कौशल होना)।
  - इस तरह का डिजिटल विभाजन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में मौजूदा असमानता को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक प्रगति को बाधित करता है।
- **एल्गोरिदम पूर्वाग्रह:** ऐसे में इसके निर्णय जाति-आधारित पूर्वाग्रहों से प्रेरित हो सकते हैं और उसे बढ़ावा देने वाले भी हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए- भविष्य में **AI आधारित पुलिस प्रणाली** जातिगत भेदभाव और वंचित समुदायों को अपराधी मान लेने की पुरानी मानसिकता से ग्रसित हो सकती है।
- **कार्यबल में प्रतिनिधित्व:** प्रौद्योगिकी आधारित कार्यबल में वंचित जातीय समूहों का कम प्रतिनिधित्व है। इससे जाति-आधारित असमानताओं का पता चलता है।
- **सामाजिक कलंक और भेदभाव:** हेट-स्पीच, अपमानजनक टिप्पणियां और किसी जाति विशेष के सदस्यों को लक्षित करने वाला ऑनलाइन उत्पीड़न सामाजिक कलंक को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। साथ ही, यह मौजूदा पूर्वाग्रहों को और अधिक बढ़ावा देता है।

जातिगत असमानताओं को दूर करने में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग

- **डिजिटल समावेशन:** वंचित समूहों को इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित किफायती और सुलभ प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदान करके डिजिटल उपयोग के स्तर पर मौजूद असमानता को कम करने की पहल की जानी चाहिए।
- **राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाना:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे सूचना नेटवर्क का उपयोग, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और वंचित समूहों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
- **संसाधनों तक पहुंच:** किफायती प्रौद्योगिकी वंचित समूहों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकती है।

- **सामाजिक जागरूकता:** जाति-आधारित भेदभाव के बारे में जागरूकता फैलाने, समावेशिता को बढ़ावा देने और रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल संचार चैनलों का उपयोग किया जा सकता है।
- **सामुदायिक सशक्तीकरण:** डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग सूचना, संसाधन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करके वंचित समुदायों को सशक्त बना सकता है।
  - उदाहरण के लिए- **अत्याचार के मामलों में AI से जुड़ी प्रौद्योगिकियों का उपयोग** करके केस दर्ज नहीं होने की शिकायत को दूर किया जा सकता है।

आगे की राह: प्रौद्योगिकी के स्तर पर भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की सोच

- **जातिगत पूर्वाग्रह की पहचान करना:** एल्गोरिदम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए डेटासेट में सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश करने की जरूरत है।
- **निष्पक्षता मैट्रिक्स और मानक विकसित करना:** जातिगत पूर्वाग्रह को समाप्त करके सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और जातिगत भेदभाव रहित निष्पक्षता से संबंधित मैट्रिक्स और मानकों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- **विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना:** नई प्रौद्योगिकियों की डिजाइन, विकास और उसे अपनाने की प्रक्रिया में SC और ST जैसे कमजोर समुदायों के तकनीकी डेवलपर्स को नेतृत्व की भूमिका के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- **वंचित समुदायों का सार्थक समर्थन:** समावेशी AI प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त और उचित मात्रा में वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना आवश्यक है।
- **AI में जातिवाद का उन्मूलन:** नई प्रौद्योगिकियों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जाति-विरोधी नैतिक दिशा-निर्देश विकसित किए जाने चाहिए।

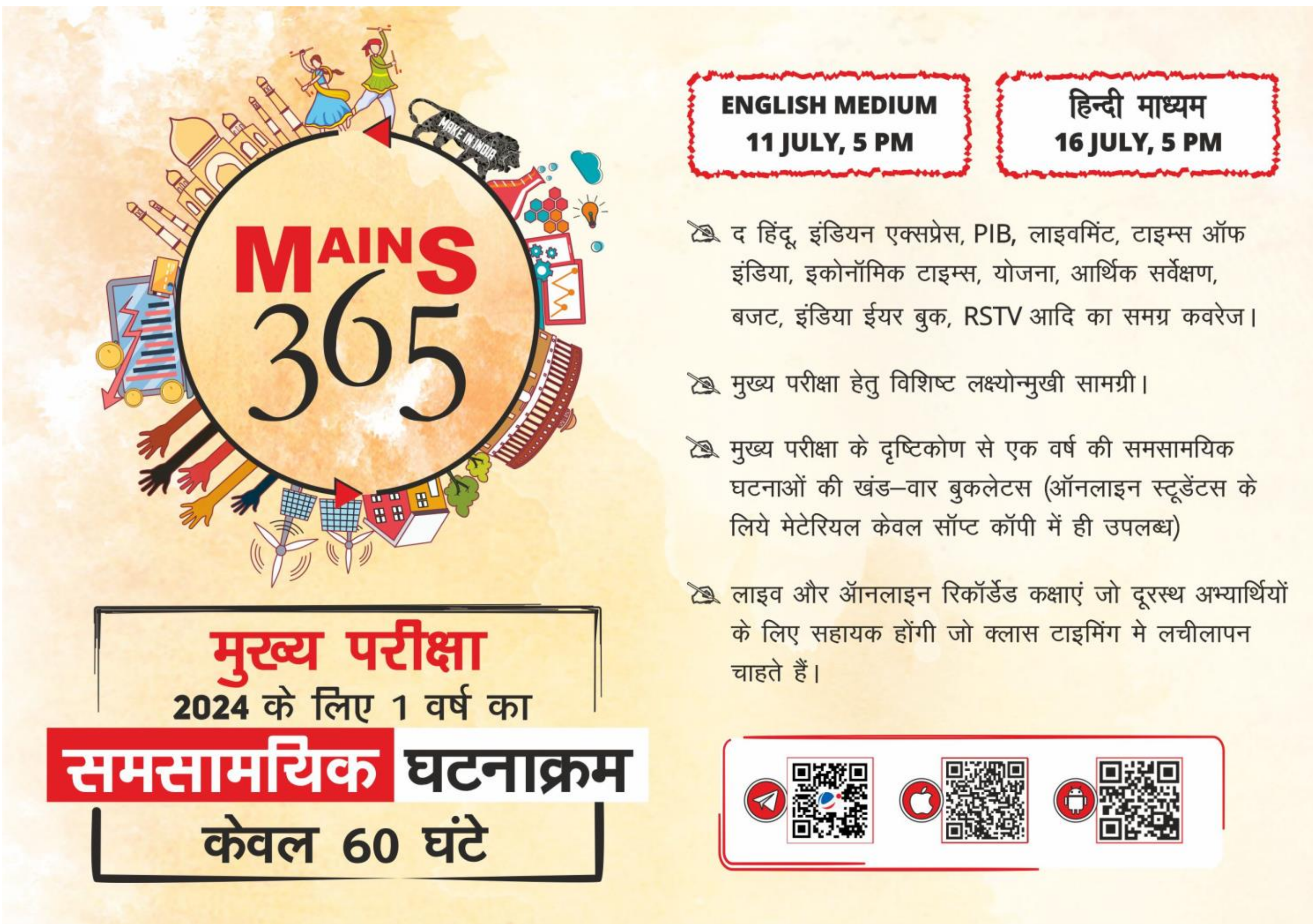

8.3. परिवार की संरचना: एक नज़र में (Family Structure at a Glance)

परिवार की संरचना

परिवार आमतौर पर "अपने जीवनकाल के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान एक **साथ रहने वाले और जैविक और/या सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संबंधों** के जरिए एक-दूसरे से जुड़े हुए व्यक्तियों के समूह" को दर्शाता है।

परिवार की संरचना के प्रकार

- **संरचना के आधार पर:** संयुक्त परिवार और एकल परिवार
- **प्राधिकार के आधार पर:** मातृसत्तात्मक परिवार (जैसे- खासी जनजाति में) और पितृसत्तात्मक परिवार
- **अन्य स्वरूप:** एकल अभिभावक वाले परिवार; एक्सटेंडेड फैमेली

परिवार के कार्य

- **समाजीकरण:** शिक्षण कार्य; विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण और सामाजिक अंतर्संबंध को बढ़ावा देना।
- **रिप्रोडक्शन:** परिवार, व्यक्ति को समाज और संस्कृति के मूल्यों से अवगत कराता है। ये मूल्य यौन संबंधों, विवाह और प्रजनन के बारे में व्यक्ति की धारणाओं को आकार देते हैं।
- **आर्थिक:** परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, समाज की मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **भौतिक:** परिवार के सदस्य बाकि सदस्यों को विकास, वृद्धि और आराम/स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक, सुरक्षित व आरामदायक परिवेश प्रदान करते हैं।

पारंपरिक परिवार की विशेषताएं

- आम तौर पर एक महिला व पुरुष आपस में विवाह करके एक साथ जीवनयापन करते हैं।
- सदस्यों के बीच श्रम का विभाजन होता है।
- आर्थिक एवं सामाजिक आदान-प्रदान होता रहता है।
- भोजन, निवास जैसी कई जरूरतें साझा की जाती हैं।
- बच्चों पर अधिकार तथा उनकी सुरक्षा, सहयोग और पालन-पोषण का दायित्व होता है।

पारिवारिक संरचना में समकालीन परिवर्तन

- **एकल परिवारों का बढ़ना:** पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली का धीरे-धीरे लुप्त होना।
- **प्राधिकार/ परिवार के मुखिया में बदलाव:** महिला मुखिया वाले परिवारों और एकल अभिभावक वाले परिवारों में वृद्धि।
- **रिश्तेदारी के संबंधों में कमी: पारिवारिक निर्णयों में करीबी रिश्तेदारों को ही महत्त्व।**
- **पितृसत्ता में कमी:** परिवार में परामर्श द्वारा लिए गए निर्णय।
- **लैंगिक भूमिका:** बालिकाओं की स्वीकार्यता में वृद्धि तथा आर्थिक गतिविधियों में उनकी भूमिका में वृद्धि।
- **जनन क्षमता और बच्चों की देखभाल: पहले गर्भधारण को टालने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियां** तेजी से पेशेवर लोगों को सौंपी जा रही हैं। बच्चों के स**माजीकरण के अभिकर्ता के रूप में परिवार की भूमिका कम** हो गई है आदि।

पारिवारिक संरचना में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक

- **औद्योगीकरण और शहरीकरण:** शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन और एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति।
- **सांस्कृतिक:** व्यक्तिवाद की तीव्र भावना, समलैंगिक संबंधों और लिव–इन रिलेशनशिप जैसे गैर–पारंपरिक संबंधों की बढ़ती स्वीकार्यता।
- **सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता:** शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक बढ़ती पहुँच ने पारिवारिक गतिशीलता को पुनर्गठित किया है।
- **वैश्वीकरण:** उपभोक्तावादी संस्कृति ने भावनात्मक बंधन को कमजोर कर दिया है; प्रमुख कामकाजी आयु वाले परिवार के सदस्यों के प्रवास के कारण **परिवार के सदस्यों की देखरेख की जिम्मेदारी** युवा सदस्यों से बुजुर्ग सदस्यों पर स्थानांतरित हो जाती है।
- **प्रौद्योगिकी: पारंपरिक तरीके से आमने–सामने की बातचीत न होने से व्यक्तिगत बातचीत की गहराई और गुणवत्ता में गिरावट** आती है। इससे परिवारों के भीतर **संघर्ष बढ़** सकता है।

बदलती पारिवारिक संरचना का प्रभाव

- **महिलाएं:** स्वायत्तता में वृद्धि और दोहरी ज़िम्मेदारियों का दबाव, बेहतर आर्थिक अवसर और सामाजिक गतिशीलता तथा लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव किया गया है।
- **ट्रांसजेंडर:** समाज में खुल कर सामने आने और स्वीकार्यता बढ़ने, लैंगिक मानदंड संबंधी अपेक्षाएं, व्यक्तिगत पहचान के निर्माण और अधिकारों की मान्यता में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
- **बच्चे:** व्यक्तिगत पहचान और स्वायत्तता की मजबूत भावना, सामाजिक सहयोग की कमी, एकल–अभिभावक वाले परिवारों की चुनौतियां और सांस्कृतिक पहचान की कमी।

निष्कर्ष

पारंपरिक संयुक्त परिवार आधारित प्रणाली से लेकर एकल और गैर–पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था के बढ़ते प्रचलन तक, भारतीय परिवार प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन औद्योगीकरण, शहरीकरण व वैश्वीकरण तथा अन्य कारकों के बीच विकसित हो रहे शासन संबंधी फ्रेमवर्क से प्रेरित हैं। जैसे–जैसे परिवार इन परिवर्तनों को अपनाते हैं, उन्हें अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ता है। खुले संचार को बढ़ावा देकर, सीमाएं निर्धारित करके और एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने को प्राथमिकता देकर, परिवार मजबूत संबंध व सहयोग आधारित नेटवर्क बनाए रखते हुए इन परिवर्तनों एवं अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

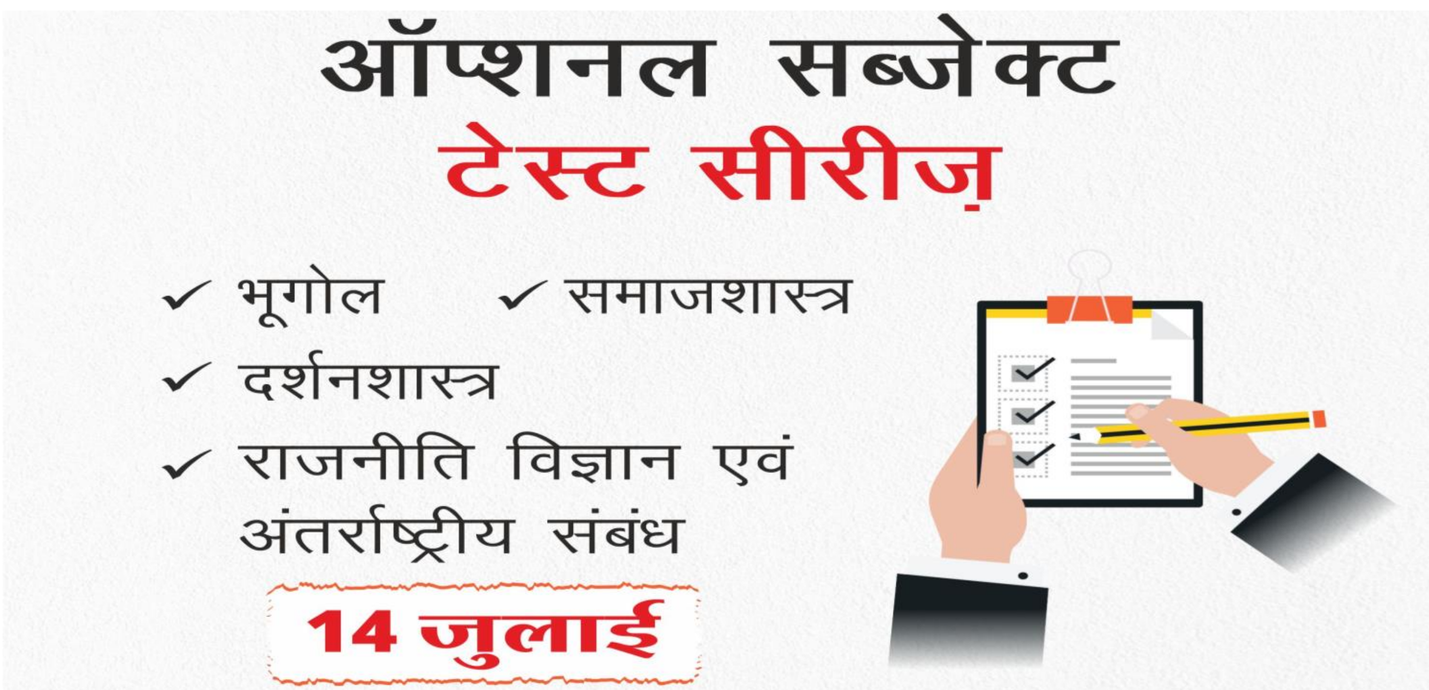

8.4. विवाह: एक नज़र में (Marriage at a Glance)

विवाह

विवाह एक सामाजिक संस्था है जो एक पुरुष और एक महिला को भागीदार के रूप में साथ रहने के लिए सामाजिक और कानूनी स्वीकृति प्रदान करती है।

भारत में विवाहों को नियंत्रित करने वाले कानून

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954
- विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

विवाह के कार्य

- **बायोलॉजिकल:** यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करना, विवाह का एक महत्वपूर्ण कार्य संतान पैदा करने स्वीकृति से है।
- **सामाजिक:** जोड़े की सामाजिक स्वीकृति परिवार के निर्माण का आधार बनती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनुष्ठान विवाह और संबंधित जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व:** कई संस्कृतियाँ और धर्म विवाह को एक पवित्र संस्था के रूप में देखते हैं, जिसमें अक्सर अनुष्ठान और परंपराएँ शामिल होती हैं।
- **विरासत और रिश्तेदारी:** विवाह अक्सर विरासत के अधिकारों को परिभाषित करने और रिश्तेदारी जैसे संबंध स्थापित करने में मदद करता है।

विवाह की संस्था में समकालीन परिवर्तन

संरचनात्मक परिवर्तन

- **विवाह में देरी:** शिक्षा और करियर पर ध्यान केंद्रित करने और व्यक्तिवाद के विचार के कारण।
- **अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह:** अंतर्जातीय विवाह के मानदंड कुछ हद तक कमजोर हुए हैं क्योंकि शिक्षा, वर्ग और स्टेटस जैसे पंथनिरपेक्ष कारक साथी के चयन में महत्वपूर्ण हो गए हैं।
- **तलाक के बढ़ते मामले:** तलाक एक वर्जित विकल्प रहा है, हालाँकि एक वर्जित विकल्प के रूप में इसका महत्व कम ही रह गया है। मोनोगैमी विवाह (क्रमिक विवाह और पुनर्विवाह) के मामले बढ़े हैं।
- **लिव-इन रिलेशनशिप:** विवाह की धारणा को चुनौती देना, बिना शादी के लंबे समय तक साथ रहना।

कार्यात्मक परिवर्तन

- **बदलता कार्य:** प्रजनन और श्रम के लैंगिक विभाजन के पारंपरिक कार्य कमजोर हुए हैं। विवाह ने भावनात्मक समर्थन की एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई है। उदाहरण के लिए, डबल इनकम नो किड (DINK) परिवार।
- **श्रम के लैंगिक विभाजन में परिवर्तन:** चूंकि पति और पत्नी दोनों कार्यरत होते हैं और कमाते हैं, इसलिए श्रम के पितृसत्तात्मक विभाजन में कमी आई है।
- **सेम-सेक्स संबंध:** LGBTQIA+ विवाह प्रजनन कार्य को नकारते हैं, और रिश्तों की जेंडर फ़्लूइडिटी को बनाए रखते हैं।

विवाह संस्था में परिवर्तन के पीछे कारक

- **आर्थिक:** महिलाओं में बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता, जिसके कारण देर से विवाह, उच्च तलाक दर और अधिक सिंगल–पैरेंट वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** विवाह, सेक्शुअलिटी और परिवार के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कोहैबिटेशन, सेम–सेक्स विवाह और गैर–पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं की अधिक स्वीकृति होती है।
- **व्यक्तिवाद:** आधुनिक समाज व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत पूर्ति पर जोर देते हैं। इससे विवाह का ध्यान आर्थिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व से हटकर व्यक्तिगत खुशी तथा अनुकूलता पर स्थानांतरित हो गया है।
- **जनसांख्यिकी:** जनसांख्यिकीय रुझान, जैसे कि बढ़ती आबादी और जन्म दर में गिरावट, विवाह के पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं।
- **कानूनी परिवर्तन:** सेम–सेक्स विवाह को वैधानिक बनाना और महिलाओं तथा बच्चों के लिए बेहतर कानूनी सुरक्षा जैसे कानूनी और नीतिगत सुधार।

निष्कर्ष

विवाह की संस्था संभवतः विकसित होती रहेगी, जो परिवार की इकाई के भीतर अधिक विविधता, समावेशिता और भूमिकाओं तथा रिश्तों की निरंतर पुनर्परिभाषा को दर्शाती है।

8.4.1. लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationships)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तराखंड विधान सभा में पारित **समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक** को **राष्ट्रपति की मंजूरी** मिलने से यह कानून बन गया है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है, कि **राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी व्यक्तियों को (उत्तराखंड के निवासी या किसी अन्य राज्य के निवासी), रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा।** साथ ही, किसी **अन्य राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों** को भी **रजिस्ट्रार के समक्ष** पंजीकरण कराना होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- उत्तराखंड-समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत **राज्य में** विषमलैंगिक (Heterosexual) जोड़ों को लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत या उसकी समाप्ति पर **पंजीकरण कराना अनिवार्य** किया गया है।
    - इस पंजीकरण का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा।
- इसमें यह भी **प्रावधान** है कि यदि किसी महिला को उसके **लिव इन पार्टनर द्वारा 'छोड़' दिया जाता है** तो पार्टनर द्वारा उस **महिला को भरण-पोषण भत्ता प्रदान** किया जाएगा।
- इसमें **लिव इन रिलेशनशिप शुरू करने के एक महीना से अधिक हो जाने पर पंजीकरण नहीं कराने पर तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है।** वहीं, **नोटिस जारी करने के बाद भी लिव इन रिलेशनशिप का 'स्टेटमेंट' प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अधिकतम छह महीने तक की जेल की सजा** का भी प्रावधान किया गया है।
- यह कानून वयस्कों के बीच **आपसी सहमति से बनाए जाने वाले संबंधों पर कठोर शर्तें थोपता है।** साथ ही, यह व्यक्ति के **निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी चिंताओं** को भी बढ़ाता है।

भारत में "लिव-इन रिलेशनशिप" की कानूनी स्थिति

- भारत में, लिव-इन रिलेशनशिप संबंधों को **स्पष्ट रूप से किसी कानून या रीति-रिवाज** के तहत शासित नहीं किया जाता हैं।
- हालांकि, न्यायिक निर्णयों के जरिए **सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन पार्टनरशिप की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है** और कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:**
    - **ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य (2018) वाद:** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था कि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लिव-इन-पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी।

© Vision IAS

- **इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा वाद (2013):** इस मामले में न्यायालय ने कहा कि, यदि **दो अविवाहित पार्टनर्स आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह न ही अवैध है** और न ही इसे अपराध माना जाएगा।

लिव-इन रिलेशनशिप, विवाह संस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है?

सामाजिक परिवर्तन, वैश्विक प्रभाव, शहरीकरण और महानगरीय रहन-सहन ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच **विवाह-पूर्व सहवास (Cohabitation) और लिव-इन रिलेशनशिप व्यवस्था की स्वीकार्यता को बढ़ावा** दिया है।

- **व्यक्तिगत स्वायत्तता:** लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा वास्तव में **व्यक्तिगत स्वायत्तता और खुद की पसंद की स्वतंत्रता** में निहित है। विशेषकर, अरेंज मैरिज की ऐतिहासिक प्रथा और सामाजिक अपेक्षाओं की वजह से इस अवधारणा को और बढ़ावा मिला है।
- **वचनबद्धता/ निष्ठा के बारे में बदलती सोच:** बदलते समय के साथ **वचनबद्धता (कमिटमेंट) की अवधारणा भी बदल रही** है। अब **भावनात्मक लगाव, आपसी बातचीत तथा एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने पर अधिक जोर** दिया जाने लगा है। इससे विवाह बंधन को **वचनबद्धता या निष्ठा** के सर्वोच्च और पवित्र मानक के रूप में मानने की सोच में भी कमी आई है।
- **एक-दूसरे को समझने और जानने का विवाह-पूर्व अवसर:** लिव-इन रिलेशनशिप वास्तव में दो लोगों (लड़का और लड़की) को एक-दूसरे को समझने और एक साथ वे जीवन व्यतीत कर सकते हैं या नहीं, इसे जानने का अवसर प्रदान करती है। यह दैनिक जीवन प्रतिबंधात्मक या बोझिल वैवाहिक प्रक्रियाओं को निभाने से जुड़ी चिंताओं के समाधान भी प्रदान करता है।
- **कानूनी और सामाजिक व्यवहार:** कानूनी स्वीकृति के बावजूद, लिव-इन रिलेशनशिप की सामाजिक स्वीकृति वास्तव में पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के लिए चुनौती है। इसने आवश्यक कानूनी सुधारों को लेकर बहस को भी बढ़ावा दिया है।
- **परिवार पर प्रभाव:** लिव-इन रिलेशनशिप परंपरागत पारिवारिक संरचनाओं को चुनौती देता है। इससे विशेष रूप से रूढ़िवादी समुदायों में दो पीढ़ियों के बीच संघर्ष और सामाजिक तनाव को बढ़ावा मिला है।
- **आर्थिक कारक:** वित्तीय सुरक्षा, तलाक की स्थिति में संपत्तियों के विभाजन और विवाह पूर्व समझौतों से जुड़े मुद्दे युवाओं को लिव-इन-रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

निष्कर्ष

लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण विरोधाभासी विचारों और न्यायिक निर्णयों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस मामले में अस्पष्टता की स्थिति को दूर करने के लिए एक अलग कानून बनाने की आवश्यकता है। लिव-इन-रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की कानूनी स्थिति और उसके अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए मौजूदा कानूनों के अस्पष्ट प्रावधानों को संशोधित किया जाना चाहिए।

8.5. वैश्वीकरण: एक नज़र में (Globalization at a Glance)

वैश्वीकरण

इसे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृति और जनसंख्या की बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता के रूप में समझा जा सकता है, जो वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी और लोगों के सीमा–पार आवागमन के कारण उत्पन्न हुई है।

वैश्वीकरण के कारक

तकनीकी: संचार प्रौद्योगिकी, बेहतर परिवहन, आदि

आर्थिक: LPG सुधार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्भव, आपूर्ति–श्रृंखला संबंधी परस्पर निर्भरता, आदि

वैश्विक व्यवस्था: बहुपक्षीय संस्थाएँ और समझौते

वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू

- **बुजुर्गों पर:** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, अपने प्रियजनों के साथ बेहतर संचार सुविधा, आदि।
- **महिलाओं पर:** बेहतर नौकरी के अवसर, महिलाओं के लिए वैश्विक नेटवर्किंग के अवसर, महिलाओं के अधिकारों के लिए अधिक समर्थन आदि।
- **संस्कृति पर:** तार्किकतावाद और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा, महिलाओं की बदलती भूमिका, संस्कृति का वैश्वीकरण (योग, आयुर्वेद, आदि) आदि।
- **गवर्नेंस:** जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ नीतिगत समन्वय आदि जैसे वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू

- **बुजुर्गों पर:** पारंपरिक आजीविका का नुकसान, अंतर–पीढ़ीगत अंतर का बढ़ना, एकल परिवारों का उद्भव और परिवार का बिखरना आदि।
- **महिलाओं पर:** महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन और वस्तुकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण नौकरी की हानि, साइबर उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा, आदि।
- **संस्कृति पर:** उपभोक्तावाद, **सांस्कृतिक एकरूपता,** समरूपीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में रूढ़िवाद का प्रसार, आदि।
- **गवर्नेंस:** संप्रभुता की हानि, उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने में चुनौतियाँ, आदि।

समकालीन प्रवृत्ति

- **वैश्वीकरण को मजबूत करना:** जलवायु परिवर्तन, AI गवर्नेंस आदि जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग।
- **वैश्वीकरण को कमजोर करना:** व्यापार बाधाओं, चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध आदि जैसे संरक्षणवादी उपाय।
- **वैश्वीकरण:**
  - **स्थानीय विचारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण,** जैसे– अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
  - **वैश्विक विचारों का स्थानीयकरण,** जैसे– आलू टिक्की बर्गर जैसा फ्यूजन फूड; नेटफ्लिक्स पर बढ़ती स्थानीय प्राथमिकता, आदि।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण की क्षमता का दोहन करने की कुंजी समावेशी नीतियों के निर्माण में निहित है, जो इसके लाभों को अधिक समान रूप से वितरित करती है। इसके लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सहयोग के साथ–साथ संधारणीय और नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

8.6. क्षेत्रवाद: एक नज़र में (Regionalism at a Glance)

क्षेत्रवाद

क्षेत्रवाद एक **राजनीतिक–आर्थिक आंदोलन** है जो किसी **विशेष क्षेत्र के हित को बढ़ावा** देता है। यह लोगों के अपने क्षेत्र, संस्कृति, भाषा आदि के प्रति प्रेम से जुड़ी पहचान की गहरी भावना से उत्पन्न होता है।

क्षेत्रवाद के उदय के कारक

- **सापेक्ष पिछड़ापन या अभाव** की भावना, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र।
- **संसाधनों की कमी:** खनिजों या नदी जल के बंटवारे के कारण अंतरराज्यीय विवाद, उदाहरण के लिए कावेरी विवाद।
- **वन साइज़ फिट्स ऑल एप्रोच:** कई बार एकरूपता को बढ़ावा देने वाली नीतियां स्थानीय प्रथाओं के साथ विरोधाभास को जन्म देती हैं, उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी भावना।
- **विकास संबंधी असमानताएं:** उदाहरण के लिए– पूर्वोत्तर भारत में नृजातीय संघर्ष और अलगाववादी आंदोलन।
- **सन–ऑफ–द–सॉइल आंदोलन:** उदाहरण के लिए निजी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण की माँग।

अलगाववादी आंदोलन।	क्षेत्रवाद के लाभ
कमजोर संघवाद: सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार की कमी से केंद्र–राज्य संबंधों के मुद्दे क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं।	**सांस्कृतिक संरक्षण:** देश भर में विविध स्थानीय संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को संरक्षित करने में मदद करता है।
पहचान की राजनीति: उदाहरण के लिए– पश्चिम बंगाल में पृथक गोरखालैंड और असम में बोडोलैंड की मांग।	**प्रतिस्पर्धी संघवाद:** विकास और निवेश के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।
राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा: उदाहरण के लिए– नागा विद्रोही समूहों द्वारा ग्रेटर नागालिम की मांग।	**विकास:** क्षेत्र विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर उनके केंद्रित विकास को बढ़ावा दे सकता है।
विदेशी संबंधों पर प्रभाव: उदाहरण के लिए, भारत–श्रीलंका संबंधों पर तमिल सेंटीमेंट्स का प्रभाव।	**सुरक्षा वाल्व:** यह देश में अलगाववादी आंदोलन को रोकने के लिए सेफ़्टी वॉल्व के रूप में कार्य कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत को **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** के आदर्श को प्राप्त करने के लिए **लचीला** (वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए) और **मजबूत** (विभाजनकारी व अलगाववादी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए) होने की आवश्यकता है।

8.7. पंथनिरपेक्षता: एक नज़र में (Secularism at a Glance)

पंथनिरपेक्षता

राज्य को धार्मिक संस्थाओं से पृथक करने वाले सिद्धांत को "पंथनिरपेक्षता" कहा जाता है।

राज्य और धर्म के आपसी संबंधों के 3–मॉडल

- निकटता यानी अलगाव नहीं (जैसे– प्राचीन रोमन साम्राज्य)
- पूर्ण अलगाव (जैसे– फ्रांस)
- सैद्धांतिक तौर पर अलगाव (जैसे– भारत)

भारत में संवैधानिक प्रावधान

- 42वें संशोधन (1976) के बाद प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष" शब्द जोड़ा गया।
- मौलिक अधिकार:
  - अनुच्छेद 15 और 16: धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध।
  - अनुच्छेद 25–28: धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
- अनुच्छेद 325 और 326: धर्म के आधार पर मतदान करने और प्रतिनिधित्व के मामले में नागरिकों के बीच भेदभाव का निषेध।
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994) का निर्णय: पंथनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

भारतीय पंथनिरपेक्षता/ धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर

धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल	पंथनिरपेक्षता/ धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल
नकारात्मक अवधारणा: धर्म (चर्च) और राज्य (राजनीति) के बीच पूर्ण अलगाव।	**सकारात्मक अवधारणा:** सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना और सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना।
धर्म और राज्य, दोनों के अपने अलग–अलग क्षेत्राधिकार और सीमाएं हैं।	राज्य धर्म के मामले में कुछ निषेधात्मक प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के लिए– अस्पृश्यता, बाल विवाह आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून।
सामाजिक मामले में **अंतर–धार्मिक एकरूपता** के कारण धर्मनिरपेक्षता का यह रूप लागू।	भारत में **किसी एक धर्म के बीच या अन्य दूसरे धर्मों के बीच विविधता** के कारण पंथनिरपेक्षता/ धर्मनिरपेक्षता का यह रूप लागू।

पंथनिरपेक्षता का महत्त्व

- **संवैधानिक लोकाचार:** पंथनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में सहायता करती है।
- **युक्तियुक्त प्रतिबंध:** बाल विवाह, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव जैसी समस्या को दूर करने के लिए।
- **अल्पसंख्यकों की सुरक्षा:** धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा में सहायक।
- **सामाजिक सद्भाव:** पंथनिरपेक्षता विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के सम्मिश्रण की अनुमति देती है। इससे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सहिष्णुता एवं आपसी सम्मान को बढ़ावा भी मिलता है।

© Vision IAS

पंथनिरपेक्षता के कारण चुनौतियां

- **एकरूपताः** पंथनिरपेक्षता विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक एकरूपता को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए– भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस।
- **धार्मिकता बनाम सांप्रदायिकताः** सार्वजनिक जीवन में धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच एक छोटा अंतर है।
- **कला एवं अभिव्यक्तिः** कला, साहित्य और मीडिया के क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं के सम्मान के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करने की आवश्यकता है।
- **संस्कृतिः** सांस्कृतिक परंपराएं, खान–पान की आदतें आदि धर्म के इर्द–गिर्द मजबूती से जुड़ी हुई हैं।

निष्कर्ष

भारत में पंथनिरपेक्षता सभी धर्मों का सम्मान करने पर केंद्रित है न कि धर्म को पूर्णतः राज्य से अलग करने पर। यह एक ऐसे संवाद और अनुकूलन की प्रक्रिया को सक्षम बनाती है जो भारत की समग्र संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

Vision IAS का **त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट** उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

9. विगत वर्षों के प्रश्न 2013-2023 (सिलेबस के अनुसार) {Previous Year Questions 2013-2023 (Syllabus-Wise)}

सामान्य अध्ययन-I: भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज (Indian Heritage & Culture, History & Geography of the World & Society)

समाज: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता (Salient features of Indian Society, Diversity of India)

- क्या आप सोचते हैं कि, आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? (Do you think marriage as a sacrament in losing its value in Modern India?) (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2023) 10
- भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है? (Why is caste identity in India both fluid and static?) (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) (2023) 15
- भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट सन्दर्भ के अन्तर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए ? (Given the diversities among tribal communities in India, in which specific contexts should they be considered as a single category.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2022) 10
- भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर 'पंथ' की विशेषता की विवेचना कीजिए। (Analyse the salience of 'sect' in Indian society vis-a-vis caste, region and religion.) 250 शब्दों में उत्तर दें) (2022) 15
- मुख्यधारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जाँच कीजिए। (Examine the uniqueness of tribal knowledge system when compared with mainstream knowledge and cultural systems.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2021) 10
- भारतीय समाज पारम्परिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। (How does Indian society maintain continuity in traditional social values? Enumerate the changes taking place in it.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2021) 15
- रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगतिविरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं ? (Customs and traditions suppress reason leading to obscurantism. Do you agree?) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2020) 15
- क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? चर्चा कीजिए । (What makes Indian society unique in sustaining its culture? Discuss.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2019) 10
- क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। (Do we have cultural pockets of small India all over the nation? Elaborate with examples.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2019) 15
- भारत की विविधता के संदर्भ में, क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों सहित कारण बताइए । (In the context of diversity of India, can it be said that the regions form cultural units rather than the States? Give reasons with examples for your viewpoint.) (150 words) (2017) 10
- सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी यह एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। (The spirit of tolerance and love is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it is also playing an important part at the present. Elaborate.) (250 शब्द) (2017) 15
- भारत में विविधता के किन्हीं चार सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिये और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके आपेक्षिक महत्व का मूल्य निर्धारण कीजिये। (Describe any four cultural elements of diversity in India and rate their relative significance in building a national identity.) (2015) 12.5
- संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। चर्चा कीजिए । (The life cycle of a joint family depends on economic factors rather than social values. Discuss.) (2014) 10

© Vision IAS

महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन (Role of women and women's organization)

- भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? स्पष्ट कीजिए। (Explain why suicide among young women is increasing in Indian Society.) (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2023) 10
- क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेन्स) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। (Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women SHGs? Explain with examples.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2021) 10
- भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में 'गिग इकोनॉमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (Examine the role of 'Gig economy' in the process of empowerment of women.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2021) 10
- विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। (Discuss the desirability of greater representation to women in higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2021) 10
- "यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आन्दोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है।" महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? ("Though women in post-Independence India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal." Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu?) (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) (2021) 15
- "महिला सशक्तिकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।" चर्चा कीजिए। ("Empowering women is the key to control population growth". Discuss) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2019) 10
- भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं ? (What are the continued challenges for women in India against time and space?) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2019) 15
- 'भारत में महिलाओं के आंदोलन ने, निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है।' अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। ('Women's movement in India has not addressed the issues of women of lower social strata. Substantiate your view.) (उत्तर 250 शब्दों में दें) (2018) 15
- आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो दशति है कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात, अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले, महिलाओं के अधिक अनुकूल हैं। (How do you explain the statistics that show that the sex ratio in Tribes in India is more favourable to women than the sex ratio among Scheduled Castes?) (2015) 12.5
- भारत में एक मध्यम-वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र (पेट्रिआर्की) किस प्रकार प्रभावित करता है? (How does patriarchy impact the position of a middle-class working woman in India?) (2014) 10
- ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिए, जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित कर रहे हैं। (Discuss the various economic and socio-cultural forces that are driving increasing feminization of agriculture in India.) (2014) 10
- क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री-पुरुष अनुपात है? अपने तर्क पेश कीजिए। (Why do some of the most prosperous regions of India have an adverse sex ratio for women? Give your arguments.) (2014) 10
- "महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए।" टिप्पणी कीजिए। (Male membership needs to be encouraged in order to make women's organization free from gender bias. Comment.) (200 शब्द) (2013) 10

जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे: गरीबी और विकासात्मक विषय (Population and associated issues: Poverty and developmental issues)

- बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। (Child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children.) (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2023) 10
- कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिए। (COVID-19 pandemic accelerated class inequalities and poverty in India.Comment.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2020) 10
- 'भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद, निर्धनता अभी भी विद्यमान है।' कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। ('Despite implementation of various programmes for eradication of poverty by the government in India, poverty is still existing.' Explain by giving reasons.) (उत्तर 150 शब्दों में दें) (2018) 10
- भारत में 'महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प' के लिए मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इसकी सफलता के लिए, अभिसरण, सहयोग व प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। (Mention core strategies for the transformation of aspirational districts in India and explain the nature of convergence, collaboration and competition for its success.) (उत्तर 250 शब्दों में दें) (2018) 15
- समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। (Critically examine whether growing population is the cause of poverty OR poverty is the main cause of population increase in India.) (2015) 12.5
- पिछले चार दशकों में, भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवसन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा कीजिये। (Discuss the changes in the trends of labour migration within and outside India in the last four decades.) (2015) 12.5
- "गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है।" उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए। ("An essential condition to eradicate poverty is to liberate the poor from deprivation." Substantiate this statement with suitable examples) (2016) 12.5
- आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर, भारतीय महिलाएँ भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रहीं। विवेचना कीजिए। (Defying the barriers of age, gender and religion, the Indian women became the torch bearer during the struggle for freedom in India. Discuss.) (200 शब्द) (2013) 10

शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय (Urbanization, their problems and their remedies)

- क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और/या हाशिए पर ले जाता है? (Does urbanization lead to more segregation and/or marginalization of the poor in Indian metropolises?) (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) (2023) 15
- उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यवर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह सम्बन्धित है? (How is the growth of Tier 2 cities related to the rise of a new middle class with an emphasis on the culture of consumption?) (150 शब्दों में उत्तर दें) (2022) 10
- भारत के प्रमुख शहरों में आई.टी. उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक-आर्थिक प्रभाव क्या हैं? (What are the main socioeconomic implications arising out of the development of IT industries in major cities of India?) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2021) 15
- भारत में दशलक्षीय नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। (Account for the huge flooding of million cities in India including the smart ones like Hyderabad and Pune. Suggest lasting remedial measures.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2020) 15
- दक्ष और किफायती (ऐफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? (How is efficient and affordable urban mass transport key to the rapid economic development of India?) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2019) 15

 © Vision IAS

- "भारत में अवक्षयी (डिप्लीटिंग) भौम जल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संरक्षण प्रणाली है।" शहरी क्षेत्रों में इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है? ("The ideal solution of depleting ground water resources in India is water harvesting system." How can it be made effective in urban areas?) (उत्तर 250 शब्दों में दें) (2018) 15
- "सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों के रूप में नगरों की संवृद्धि ने रोज़गार के नए मार्ग खोल दिए हैं, परन्तु साथ में नई समस्याएँ भी पैदा कर दी हैं।" उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। (The growth of cities as I.T. hubs has opened up new avenues employment but has also created new problems. Substantiate this statement with examples.) (250 शब्द) (2017) 15
- भारत में नगरीय जीवन की गुणता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, 'स्मार्ट नगर कार्यक्रम' के उद्देश्य और रणनीति बताइए। (With a brief background of quality of urban life in India, introduce the objectives and strategy of the 'Smart City Programme'.) (2016) 12.5
- भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। विवेचना कीजिए। (Major cities of India are becoming more vulnerable to flood conditions. Discuss.) (2016) 12.5
- मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन विराट नगर हैं, परंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण, अन्य दो नगरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। इसका क्या कारण है? (Mumbai, Delhi and Kolkata are the three mega cities of the country, but the air pollution is much more serious problem in Delhi as compared to the other two. Why is this so?) (2015) 12.5
- 'भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गाँवों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ग्रामीण-नगरीय एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (Smart cities in India cannot sustain without smart villages. Discuss this statement in the backdrop of rural-urban integration.) (2015) 12.5
- भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, उनकी विवेचना कीजिए। (Discussion the various social problems which originated out of the speedy process of urbanization in India.) (200 शब्द) 2013

भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव (Effects of Globalization on Indian society)

- अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष सन्दर्भ में स्पष्ट करें। (Elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources, with special reference to India.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2022) 15
- पारिवारिक सम्बन्धों पर 'वर्क फ्रॉम होम' के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। (Explore and evaluate the impact of 'Work from Home' on family relationship.) (150 शब्दों में उत्तर दें) (2022)10
- क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में हैं? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। (Is diversity and pluralism in India underthreat due to globalisation? Justify your answer.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2020) 15
- क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। (Are we losing our local identity for the global identity? Discuss.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2019) 15
- 'आम तौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई हैं।' सुस्पष्ट कीजिये। ('Globalization is generally said to promote cultural homogenization but due to these cultural specificities appear to be strengthened in the Indian Society. Elucidate.) (उत्तर 250 शब्दों में दें) (2018) 15
- भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (Discuss the positive and negative effects of globalization on women in India.) (2015) 12.5
- वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक (कोर) को किस सीमा तक प्रभावित किया है? स्पष्ट कीजिए। (To what extent globalization has influenced the core of cultural diversity in India? Explain.) (2016) 12.5
- भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (Critically examine the effects of globalization on the aged population in India.) (200 शब्द) 2013

सामाजिक सशक्तीकरण (Social empowerment)

- भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है ? विस्तृत उत्तर दीजिए। (How have digital initiatives in India contributed to the functioning of the education system in the country? Elaborate your answer.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2020) 15
- बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। (Has caste lost its relevance in understanding the multi- cultural Indian Society? Elaborate your answer with illustrations.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2020) 10
- "जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः, भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।" टिप्पणी कीजिये। ("Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.) (उत्तर 150 शब्दों में दें) (2018) 10
- स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (What are the two major legal initiatives by the State since Independence, addressing discrimination against Scheduled Tribes (STs)?) (150 शब्द) (2017) 10
- क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। (Why are the tribals in India referred to as the Scheduled Tribes? Indicate the major provisions enshrined in the Constitution of India for their upliftment.) (2016) 12.5
- अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद, महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिये। (Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar, despite having divergent approaches and strategies, had a common goal of amelioration of the downtrodden. Elucidate.) (2015) 12.5
- इस मुद्दे पर चर्चा कीजिये कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान (ऐसर्शन) के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। (Debate the issue of whether and how contemporary movements for assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste.) (2015) 12.5

क्षेत्रवाद (Regionalism)

- क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है ? तर्क कीजिए। (Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2020) 10
- चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नये राज्यों का निर्माण, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं है। (Discuss whether formation of new states in recent times is beneficial or not for the economy of India.) (उत्तर 250 शब्दों में दें) (2018) 15
- क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? (Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?) (2016) 12.5
- प्रादेशिकता का क्या आधार है? क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ, जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया? अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। (What is the basis of regionalism? Is it that unequal distribution of benefits of development on regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer.) (2016) 12.5
- प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना, पृथक् राज्य की माँग का प्रमुख कारण है। विवेचना कीजिए। (Growing feeling of regionalism is an important factor in the generation of demand for a separate state. Discuss.) (200 शब्द) (2013) 10

 © Vision IAS

धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता (Secularism & Communalism)

- संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। (Discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism.) (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) (2023) 15
- क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्त्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं ? तर्कसंगत उत्तर दें। (Are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of Secularism? Justify your answer.) (250 शब्दों में उत्तर दें) (2022) 15
- धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं ? (What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism?) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2019) 10
- धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना, धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य माडल से किन-किन बातों में भिन्न है? चर्चा कीजिए। (How the Indian concept of secularism is different from the western model of secularism? Discuss.) (उत्तर 150 शब्दों में दें) (2018) 10
- 'सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक बंचन के कारण उभरती है।' उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। ('Communalism arises either due to power struggle or relative deprivation. Argue by giving suitable illustrations.) (उत्तर 250 शब्दों में दें) (2018) 15
- स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार साम्प्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं साम्प्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। (Distinguish between religiousness/religiosity and communalism giving one example of how the former has got transformed into the latter in independent India.) (250 शब्द) (2017) 15
- धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद-विवाद, पश्चिम में वाद-विवादों से किस प्रकार भिन्न हैं? (How do the Indian debates on secularism differ from the debates in the West?) (2014) 10

सामान्य अध्ययन-II: सामाजिक मुद्दे

केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील (सुभेद्य) वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय (Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; Mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections)

- "वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। ("Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach." Do you agree? Give reasons for your answer.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2023) 15
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील क़दम है, किन्तु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी कीजिए। (Reforming the government delivery system through the Direct Benefit Transfer (DBT) is a progressive step, but it has limitations too. Comment.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2022) 10
- दिव्यागता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल विधिक दस्तावेज़ बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। (The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 remains only a legal document without intense sensitisation of government functionaries and citizens regarding disability. Comment.) (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2022) 10
- क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। (Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2022) 15

- "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिए। ("Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition of sustainable development." Analyze.) (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2021) 10
- "व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए 'सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)' की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिए। ("Earn while you learn scheme needs to be strengthen to make vocational education and skillful training meaningful." Comment.) (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2021) 10
- सुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिए। (Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process – Discuss.) (2019) 15
- क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिए। (Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss.) (2017) 10
- महिलाएँ जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (Is the National Commission for Women able to strategise and tackle the problems that women face at both public and private spheres? Give reasons in support of your answer.) (2017) 15
- राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिए। (Examine the main provisions of the National Child Policy and throw light on the status of its implementation.) (2016) 12.5
- क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाएं, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (Do government's schemes for up-lifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing businesses in urban economies?) (2014) 12.5
- केन्द्र सरकार प्रायः राज्य सरकारों के समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में खराब प्रदर्शन की शिकायत करती है। जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्रचना का उद्देश्य राज्यों को उनके बेहतर कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (The Central Government frequently complains on the poor performance of the State Governments in eradicating suffering of the vulnerable sections of the society. Restructuring of Centrally sponsored schemes across the sectors for ameliorating the cause of vulnerable sections of population aims at providing flexibility to the States in better implementation. Critically evaluate.) (2013) 10
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) का आधार संयोजकता (मेल) स्थापित करने में निहित है। टिप्पणी कीजिए। (The basis of providing urban amenities in rural areas (PURA) is rooted in establishing connectivity. Comment.) (2013) 10

सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे (Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources)

- मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। (The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this adequacy.) (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2023) 10
- विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के सन्दर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। (Skill development programs have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyze the linkages between education, skill and employment.) (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) (2023) 15

- स्कूली शिक्षा के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना, बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा-आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। (The rights of Children to Free and Compulsory Education, 2009 remains inadequate in promoting incentive-based systems for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyse.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2022) 15 marks
- क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइ० सी० टी०) की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of Information and Communication Technology (ICT) accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification. (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) (2021) 15
- सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिए। (In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.) (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) (2020) 10
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। (National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.) (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) (2020) 15
- भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य' को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वपिक्षा है। व्याख्या कीजिए। (Appropriate local community-level healthcare intervention is a prerequisite to achieve 'Health for All' in India. Explain.) (2018) 10
- "जल, सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा।" 'वाश' योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। ("To ensure effective implementation of policies addressing water, sanitation and hygiene needs, the identification of beneficiary segments is to be synchronized with the anticipated outcomes". Examine the statement in the context of the WASH scheme.) (2017) 10
- "भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।" सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-से उपाय किए हैं? ("Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative." What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable?) (2016) 12.5
- प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं? (Professor Amartya Sen has advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance?) (2016) 12.5
- भारत में उच्च शिक्षा की गुणता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणता की प्रोन्नति में सहायक होगा? चर्चा कीजिए। (The quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of technical and higher education in the country? Discuss.) (2015) 12.5
- सार्विक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएँ हैं। क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्रक सहायक हो सकता है? आप अन्य कौन-से व्यवहार्य विकल्प सुझाएँगे? (Public health system has limitations in providing universal health coverage. Do you think that private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest?) (2015) 12.5

- क्या आई.आई.टी./आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं/कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिये। (Should the premier institutes like IITs/IIMs be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing courses and also decide mode/criteria of selection of students. Discuss in light of the growing challenges.) (2014) 12.5
- उन सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पहचानिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की सफलता की विवेचना कीजिए। (Identify the Millennium Development Goals (MDGs) that are related to health. Discuss the success of the actions taken by the Government for achieving the same.) (2013) 10

गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे (Issues relating to poverty and hunger)

- कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.) ((250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2022) 15
- जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए । (Discuss the main objectives of population education and point out the measure to achieve them in India in detail.) (250 शब्दों में उत्तर दीजिए) (2021) 15
- "केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है"। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। ("The incidence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone". In this context analyze the latest United Nations Multidimensional Poverty Index Report.) (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) (2020) 15
- भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना, निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिए। (There is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. The shrinking of social expenditure by the government is forcing the poor to spend more on Non- Food essential items squeezing their food – budget. Elucidate.) (2019) 10
- आप इस मत से कहाँ तक सहमत है कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोक्स, भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? (How far do you agree with the view that the focus on lack of availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies in India?) (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) (2018) 15
- "भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनैतिक इच्छाशक्ति का सहारा नहीं मिलता है।" भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ("Poverty Alleviation programs in India remain mere showpieces until and unless they are backed up by political will." Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation program in India.) (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) (2017) 15
- अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिए उपाय सुझाइए। (Hunger and Poverty are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measures for improvement.) (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2017) 10

© Vision IAS

- यद्यपि भारत में निर्धनता के अनेक विभिन्न प्राक्कलन किए गए हैं, तथापि सभी समय गुजरने के साथ निर्धनता स्तरों में कमी आने का संकेत देते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी और ग्रामीण निर्धनता संकेतकों का उल्लेख के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (Though there have been several different estimates of poverty in India, all indicate reduction in poverty levels over time. Do you agree? Critically examine with reference to urban and rural poverty indicators.) (2015) 12.5
- मध्याह्न भोजन योजना की संकल्पना भारत में लगभग एक शताब्दी पुरानी है जिसका आरम्भ स्वतंत्रता-पूर्व भारत के मद्रास महाप्रान्त (प्रेसीडेंसी) में किया गया था। पिछले दो दशकों से अधिकांश राज्यों में इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके दोहरे उद्देश्यों, नवीनतम आदेशों और सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (The concept of Mid-Day Meal (MDM) scheme is almost a century old in India with early beginnings in Madras Presidency in pre-independent India. The scheme has again been given impetus in most states in the last two decades. Critically examine its twin objectives, latest mandates and success.) (2013) 10

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013–2023 तक पूछे गए प्रश्नों (सामाजिक मुद्दे खंड के लिए) की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के लिए दिए QR कोड को स्कैन कीजिए।	

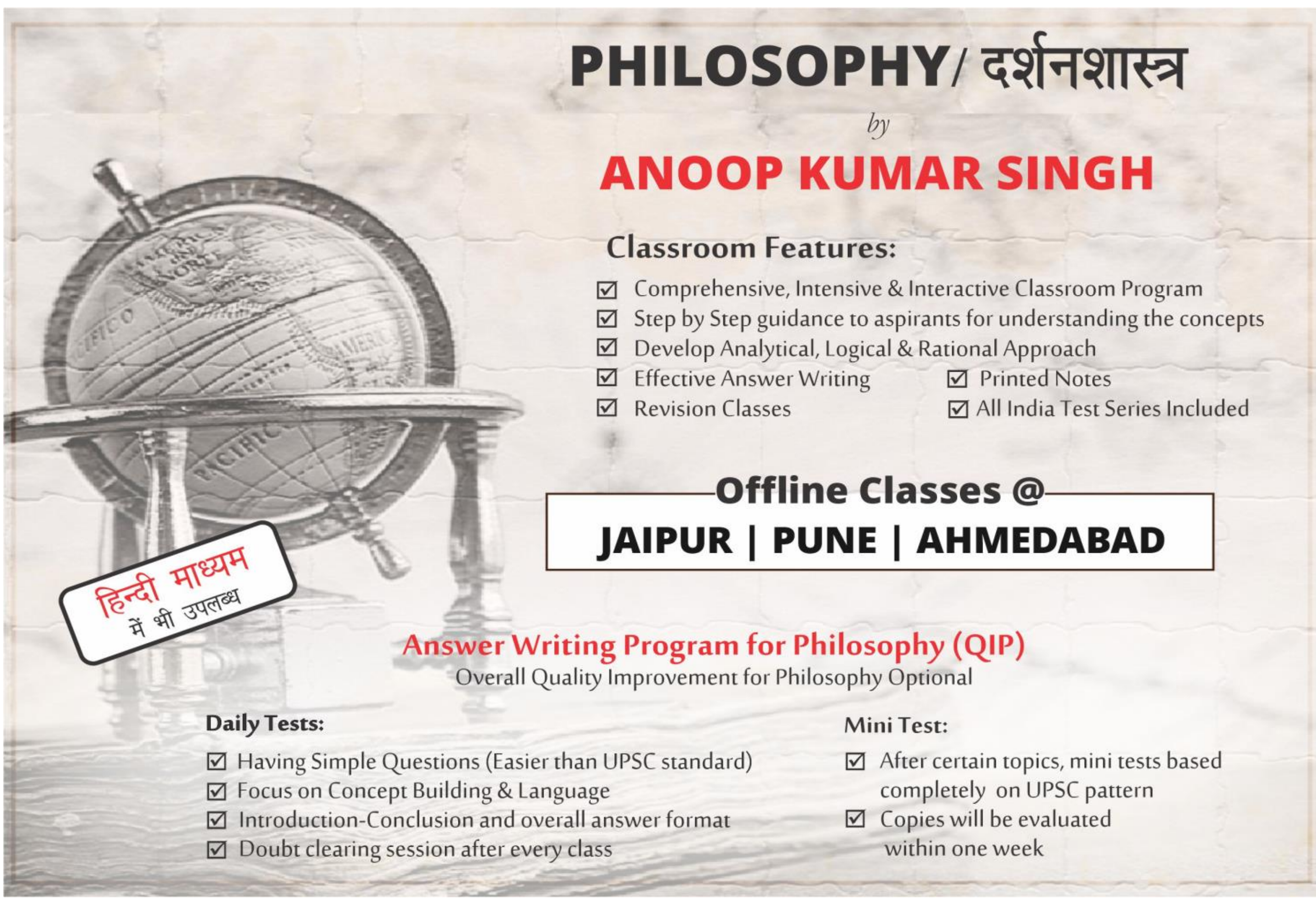

वीकली फोकस: सामाजिक मुद्दे

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
1.	सोशल मीडिया और समाज	
2.	अवैतनिक कार्य: महिलाओं की जिम्मेदारी या एक आर्थिक गतिविधि	
3.	भारत का टीकाकरण अभियान: रणनीति, बाधाएं और अवसर	
4.	सार्वभौमिक टीकाकरण: एक स्वस्थ और सुरक्षित विश्व की ओर एक कदम	
5.	भारत में नागरिक समाज: विकास प्रक्रिया का आवश्यक घटक या एक विवादित विचार	
6.	महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: समझना, प्रतिक्रिया, रोकथाम और बदलाव	
7.	जबरन विस्थापन: एक मानवीय त्रासदी और विकास संबंधी चुनौती	
8.	शिक्षा का दार्शनिक आधार	
9.	स्कूली शिक्षा: मस्तिष्क एक कोरा कागज है	
10.	भारत में उच्चतर शिक्षा: हमारे भविष्य की आधारशिला	
11.	भारत में खेल: ओलंपिक और अन्य	
12.	बाल अधिकारों का संरक्षण: एक अधूरा एजेंडा?	
13.	भारत में जनजातियां – एक विकास पथ का निर्माण	
14.	भारत में थर्ड जेंडर: पहचान से लेकर मुख्यधारा में उन्हें शामिल करने तक	
15.	भारत में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी का सशक्तीकरण	
16.	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज: क्या, क्यों और कैसे?	
17.	लैंगिक और जनन स्वास्थ्य: सभी के लिए वास्तविकता	
18.	भविष्य के शहरों में निवेश: समावेशी, लचीले और संधारणीय शहरी परिवेश का निर्माण	
19.	आत्महत्याएं: भारत में एक उभरती सामाजिक समस्या	
20.	भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति: विश्व को आरोग्यता का एक उपहार	
21.	भारत में सामाजिक पहचान एवं संरचनात्मक बदलाव	
22.	भारत में पारिवारिक संरचना का बदलता स्वरूप	

© Vision IAS

10. परिशिष्ट (Appendix)

परिशिष्ट

टॉपिक	भारत में विवाह को विनियमित करने वाले कानून
विवाह	**भारत में विवाह को विनियमित करने वाले कानून** ▪ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ▪ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ▪ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
लीव–इन रिलेशनशिप	**महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय** ▪ **ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य (2018) वादः** सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था कि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लिव–इन–पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी। ▪ **इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा वाद (2013):** इस मामले में न्यायालय ने कहा कि, यदि **दो अविवाहित पार्टनर्स आपसी सहमति से लिव–इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह न ही अवैध है।**

पंथनिरपेक्षता	**भारतीय संविधान में मौजूद प्रावधान**
	▪ **42वें संविधान संशोधन, 1976** के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में **"पंथनिरपेक्ष"** शब्द जोड़ा गया।
	▪ **मूल अधिकार**
	  • **अनुच्छेद 15 और 16:** धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध।
	  • **अनुच्छेद 25–28:** धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
	▪ **अनुच्छेद 325 और 326:** धर्म के आधार पर मतदान करने और प्रतिनिधित्व के मामले में नागरिकों के बीच भेदभाव का निषेध।
	▪ **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994) का निर्णयः** पंथनिरपेक्षता संविधान के **मूल ढांचे का हिस्सा** है।

कार्यस्थल पर महिलाएं	▪ **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के आंकड़ों के अनुसार, **महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 2017–18 में 23.3% थी,** जो **2022–2023 में बढ़कर 37.0%** हो गई। ▪ **वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, 2022** के अनुसार, भारत में पुरुष, श्रम आय का **82%** अर्जित करते हैं और **महिलाएं केवल 18%** अर्जित करती हैं। ▪ भारत में **13.76% उद्यमी महिलाएं हैं (नीति आयोग)।** ▪ **भारत में GDP में महिलाओं का योगदान 17%** है, जो वैश्विक औसत **37%** से काफी कम है। ▪ मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने से भारत की वार्षिक जी.डी.पी. में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। ▪ **महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने से संबंधित कानूनः** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम (2017), उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वस्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 आदि। ▪ **योजनाएं / पहलें:** महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय क्रेच योजना, SDG–5 (लैंगिक समानता)
मासिक धर्म स्वच्छता	▪ **15–24 वर्ष आयु वर्ग की केवल 78 प्रतिशत महिलाएं** हाइजेनिक मासिक धर्म प्रोटेक्शन का उपयोग करती हैं। ▪ **वर्ष 2014 में एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार,** मासिक धर्म संबंधी पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण प्रति वर्ष 23 मिलियन से अधिक लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं।

STEM में महिलाएं

- **वैश्विक स्तर पर STEM कार्यबलः ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, STEM आधारित नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 29.2%** ही है जबकि **गैर–STEM आधारित नौकरियों में उनकी भागीदारी 49.3%** है।
- **भारत में STEM स्नातकः** विश्व बैंक के अनुसार, **भारत में 42.6% महिलाएं STEM में स्नातक हैं** लेकिन **STEM आधारित नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 29.2%** है।
- **पहलेंः** विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) नीति, 2013; विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं–किरण (WISE–KIRAN); गति / GATI (जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस) प्रोग्राम आदि।

देखभाल अर्थव्यवस्था (पर्पल इकोनॉमी)

- **GDP का केवल 1%** देखभाल अर्थव्यवस्था पर खर्च होता है।
- वैश्विक स्तर पर, **249 मिलियन महिलाएं और 132 मिलियन पुरुष देखभाल अर्थव्यवस्था में संलग्न हैं।**
- वैश्विक स्तर पर **76.2% अवैतनिक केयर वर्क महिलाओं द्वारा किया जाता है।**

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले

- 2021 की तुलना में 2022 में **महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि** हुई
- दहेज निषेध अधिनियम के तहत 13,479 मामले दर्ज किए गए
- **कानूनी प्रावधानः** स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 आदि।
- **योजनाएंः** फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, निर्भया फंड, वन स्टॉप सेंटर, सेक्शुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (She–Box), मिशन शक्ति– संबल और सामर्थ्य आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उपायः** महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CEDAW, 1979); महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र (1993)

बाल विवाह

- 1993 में लड़कियों के बाल विवाह का प्रतिशत 49.4 था, जो **2021 में घटकर 22.3% हो गया (लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट–2023)।**
- **5 में से 1 लड़की और 6 में से 1 लड़के की शादी अभी भी विवाह की कानूनी उम्र से कम उम्र में** होती है।
- बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र (घटते क्रम में) में लड़कियों के बाल विवाह का **50%** से अधिक हिस्सा है।
- **कानूनी प्रावधानः** बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012; बाल विवाह निषेध संशोधन (PCMA) विधेयक, 2021 आदि।
- **जया जेटली समिति (2020)** ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को **18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करने की सिफारिश की थी।**

बाल श्रम

- **विश्व स्तर पर 7.3% बच्चे बाल श्रम** में लगे हुए हैं।
- भारत में 10.1 मिलियन बच्चे (11 करोड़) बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। (जनगणना, 2011)
- 80% बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- 62.8% बाल श्रमिक संकट वाले या खतरनाक कार्य में संलग्न हैं।
- **संवैधानिक प्रावधानः**
  - **अनुच्छेद 23:** यह अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम (बलात् श्रम) का निषेध करता है।
  - **अनुच्छेद 24:** चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय / जोखिम भरे नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
  - **अनुच्छेद 39 (e):** यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो।

© Vision IAS

- **कानूनी प्रावधान**
  - बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
  - बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
  - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना
  - बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
  - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
- **बाल श्रम की रोकथाम के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम**
  - राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987
  - राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) स्कीम, 1988 (2021 से समग्र शिक्षा अभियान में विलय)
  - **पेंसिल / PENCiL** (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) पोर्टल
- **वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदमः**
  - **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र, 1959**
  - **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC), 1989**
  - सतत विकास लक्ष्य–8.7 (**2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन** करने का लक्ष्य)

देशज लोग

संवैधानिक उपाय
- अनुच्छेद 342: अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिसूचना
- अनुसूची V और VI (अनुच्छेद 244)
- अनुच्छेद 275: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान
- अनुच्छेद 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

विधायी उपाय
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

सरकारी योजनाएं
- जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धांत
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
- प्रधान मंत्री वनबंधु विकास योजना
- प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY)
- प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

PVTGs

- **PVTGs की पहचान के लिए मापदंड**
  - कृषि–पूर्व (Pre–agriculture) युग का प्रौद्योगिकी स्तर
  - साक्षरता का निम्न स्तर
  - आर्थिक पिछड़ापन
  - घटती हुई या स्थिर आबादी
- वर्तमान में, **18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 75 PVTGs** हैं।
- भारत के **ओडिशा राज्य** में PVTGs की संख्या सर्वाधिक (13) है।

ट्रांसजेंडर

- **NALSA बनाम भारत संघ वाद (2014)**: ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई।
- **के.एस. पुट्टास्वामी (2017)**: सेक्शुअल ओरिएंटेशन को गोपनीयता के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई।
- **नवतेज जौहर (2018)**: समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
- **दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (2022)**: इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित या क्वीर संबंधों के माध्यम से बने परिवारों को मान्यता प्रदान की। इसके अलावा, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत असामान्य परिवारों (Atypical families) को भी कानून के संरक्षण का हकदार माना है।
- सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने **सुप्रियो @सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ** वाद में सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया।
- **अन्य प्रावधानः ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद, गरिमा गृह, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल आदि।**

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल

- भारत में वरिष्ठ नागरिक उन्हें कहा जाता है, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। वरिष्ठ नागरिकों की आबादी वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या के **10% से थोड़ा अधिक** है।
- **78%** वृद्ध आबादी **बिना पेंशन कवर** के जीवन व्यतीत करती है।
- वर्तमान में **केवल 18%** वरिष्ठ नागरिक ही **स्वास्थ्य बीमा** के तहत कवर किए गए हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 41**: राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता आदि की दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।
- **भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची**: राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 9 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, 23 व 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन से संबंधित है।

अन्य उपाय

- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007, वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPOP), सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा: सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पहल, सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक पुनः रोजगार (SACRED) पोर्टल, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), आदि।

दिव्यांगजन (PwD)

- कुल आबादी में दिव्यांगजनों का हिस्सा **2.1%** है। (जनगणना, 2011)
- **55%** दिव्यांगजन निरक्षर हैं।
- **पहलें**: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016; सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों की सहायता **(ADIP) योजना;** दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS); दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष, सुगम्य भारत अभियान आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD), बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, इंचियोन रणनीति को अपनाना गया है।**

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड (ECCE)

ECCE के लिए वैधानिक और नीतिगत फ्रेमवर्क

- **अनुच्छेद 45**: राज्य सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
- **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009**: इसमें प्रावधान किया गया है कि समुचित प्राधिकरण प्री–स्कूल शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020**: ECCE के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (NCF–FS) के तहत 0–3 साल के आयु समूह के बच्चों हेतु एक उप–ढांचे की सिफारिश की गई।

अन्य उपाय

- **नवचेतना**– जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रेन (2024); **आधारशिला**– नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन'(2024); ICDS; पोषण भी पढ़ाई भी आदि।
- **वैश्विक प्रयास**: यूनेस्को द्वारा अर्ली चाइल्डहुड के लिए स्थापित ग्लोबल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी (GPS), SDG–4 (सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) आदि।

स्कूली शिक्षा

- **सकल नामांकन अनुपात**
  - प्राथमिक: 100.13% (UDISE+)
  - माध्यमिक: 79.56% (UDISE+)
- **ड्रॉपआउट दर**
  - प्राथमिक: 1.45% (UDISE+)
  - माध्यमिक: 12.62% (UDISE+)

© Vision IAS

	■ **स्कूली शिक्षा के औसत वर्षः 6.7 वर्ष** (UNDP की वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021) ■ GDP के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर कुल व्यय में वृद्धि देखी गई है और यह 4.64% **(2020–21) है।** फिर भी यह NEP, 2020 के 6% के लक्ष्य से कम है। ■ 14–18 वर्ष के लगभग 25% ग्रामीण युवा अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा II स्तर का पाठ धाराप्रवाह ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। (ASER, 2023)
उच्चतर शिक्षा में NEP का कार्यान्वयन	■ **सकल नामांकन अनुपात (GER): 2035** तक कम –से–कम **50%** करना। ■ **प्रवेश और निकास के कई विकल्प** ■ **बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERU) स्थापित किए जाएंगे।** ■ **शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण** ■ **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF)** की स्थापना की जाएगी। यह एक **ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा** जहां प्रौद्योगिकी के उपयोग पर **विचारों का स्वतंत्र आदान–प्रदान** किया जाएगा। ■ **नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF)**
क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा	**नीतिगत एवं कानूनी फ्रेमवर्क** ■ **संविधान का अनुच्छेद 350A**: इसमें प्रावधान किया गया है कि सरकार **भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों** को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। ■ **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009**: इसमें प्रावधान किया गया है कि जहां तक संभव हो बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ■ **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020**: जहां तक संभव हो, कम–से–कम कक्षा 5 तक, परंतु बेहतर होगा कि कक्षा 8 तक और उससे आगे भी, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा ही हो। ■ **अन्य पहलें**: अनुवादिनी (AI आधारित ऐप), ई–कुंभ (e–KUMBH) पोर्टल, प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन
स्वास्थ्य देखभाल	■ **स्वास्थ्य पर व्ययः** GDP का लगभग 1.35 प्रतिशत (स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय का 41.41%) (2019–20) ■ **आउट–ऑफ–पॉकेट खर्च (OOPE):** सार्वजानिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च का 47.1%) (2019–20) ■ **स्वास्थ्य बीमा कवरेजः** 41% परिवार, जिनके किसी सदस्य को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया है। (NFHS–5) ■ **कुल प्रजनन दर (TFR)**: 2.0 (NFHS–5) ■ **पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में बाल मृत्यु दर (U5MR)**: 41.9 (NFHS–5) ■ **शिशु मृत्यु दर (IMR)**: 35.2 (NFHS–5) ■ **नवजात मृत्यु दर (NMR)**: 24.9 (NFHS–5) ■ **मातृ मृत्यु दर (MMR)**: 2018–20 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 97 (आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23) ■ **संस्थागत प्रसवः** 88.6% (NFHS–5) ■ **डॉक्टर–रोगी का निम्न अनुपातः** 1:834 (एलोपैथिक और आयुष, दोनों डॉक्टरों सहित) (WHO द्वारा निर्धारित 1:1,000)। ■ **भौगोलिक असमानताः** लगभग 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, फिर भी सार्वजनिक अस्पताल के बेड का 73% शहरी क्षेत्रों में है।
UHC	■ **UHC के विविध आयामः** स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं। ■ **पहलें:** ■ **आयुष्मान भारत योजनाः** सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए उपाय करना। ■ **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनः** यह टेलीमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच में सुधार करेगा। ■ **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017:** कम कीमत पर सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। ■ **सघन मिशन इंद्र धनुषः** राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके से वंचित रह गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान देना।

डिजिटल स्वास्थ्य

डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** डिजिटल हेल्थ के लिए एकीकृत फ्रेमवर्क
- **कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (CoWIN) सिस्टम:** डिजिटल तरीके से कोविड वैक्सीन के वितरण में सहायक
- **ई–संजीवनी:** राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा
- **पोषण दीदी:** चैटबॉट–आधारित पोषण संबंधी काउंसलिंग
- **निक्षय 2.0 पोर्टल:** टीबी रोगियों के लिए सामुदायिक सहायता
- **टेली–मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट (टेली–मानस):** निःशुल्क टेलीमेंटल स्वास्थ्य सेवाएं

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

- भारत में **10.6%** वयस्क मानसिक विकार से पीड़ित हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य विकार और अन्य विभिन्न विकारों के बीच उपचार में 70% और 92% का अंतराल है। **(राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015–16)**
- **मानसिक बीमारी की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम:** किरण हेल्पलाइन; मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017; राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम; मनोदर्पण; आदि

प्रशामक देखभाल

- WHO के अनुसार, **56.8 मिलियन** लोगों को प्रशामक देखभाल की आवश्यकता है, जो 2060 तक दोगुनी हो जाएगी।
- भारत में, प्रशामक देखभाल की आवश्यकता वाले केवल 1-2% लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं।
- NHM के तहत प्रशामक देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPC) 2012

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI)

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में **125 देशों** में भारत **111वें स्थान** पर है। भारत का **GHI स्कोर 28.7 है।** इसी आधार पर **भुखमरी की गंभीरता वाले GHI पैमाने पर भारत को 'गंभीर श्रेणी' में वर्गीकृत** किया गया है।
- **दक्षिण एशिया** और **अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में सर्वाधिक भुखमरी** की समस्या व्याप्त है।
- **भारत में भुखमरी से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013; प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY); पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन); पोषण ट्रैकर; ईट राइट मूवमेंट; आदि।

जनसंख्या

- **भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है।**
- **संसाधनों पर दबाव:** भारत में विश्व की **17% जनसंख्या** है, जबकि इसके पास वैश्विक **भू–क्षेत्र का केवल 2.45%** और **जल संसाधनों का 4% हिस्सा है।**
- **मृत्यु दर में कमी:** शिशु मृत्यु दर 2015–16 के 40.7 से घटकर 2019–21 में 35.2 हो गई।
- **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि:** यह **1947 के 31 वर्ष से बढ़कर 2015–19 की अवधि में 69.7 वर्ष हो गई।**
- **जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय:** परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (1952); राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000; **भारत परिवार नियोजन–2030 विजन डॉक्यूमेंट; आदि।**

युवाओं का विकास

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत **29 वर्ष की औसत आयु** के साथ दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है।
- **पहलें:** समग्र शिक्षा अभियान, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), अटल टिंकरिंग लैब (ATL), स्टार्ट–अप इंडिया, खेलो इंडिया, आदि।

मैनुअल स्कैवेंजिंग

- 2023 में भारत के **766 में से 714 जिलों** नें स्वयं को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त घोषित किया।
- **संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15** (भेदभाव का अंत), **अनुच्छेद 17** (अस्पृश्यता की समाप्ति), **अनुच्छेद 21** (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) **आदि।**
- **क़ानूनी प्रावधान:** हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013; SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- **सफाई कर्मचारी बनाम भारत संघ वाद, 2014** में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग संविधान के अनुच्छेद 17 का घोर उल्लंघन है।
- **पहलें:** नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSKFDC),
- **अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन:** मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR); आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (ICESCR) आदि।

© Vision IAS

माइग्रेशन या प्रवासन	▪ **आंतरिक विस्थापनः आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट, 2024** जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर **75.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित** हुए थे। ▪ प्रवास के प्रमुख गंतव्यों पर लगभग 80 प्रतिशत मौसमी प्रवासी मजदूरों के बच्चों को कार्यस्थल के समीप शिक्षा सुलभ नहीं होती है। ▪ **विवाह (81%)** महिलाओं के प्रवास का प्रमुख कारण है। ▪ **प्रवासी महिलाओं में से 3/4 बेरोजगार** हैं, **लगभग 14%** प्रवासी महिलाएं स्वरोजगार और मजदूरी वाली नौकरियों में हैं तथा लगभग 12% कैजुअल श्रम करती हैं। (PLFS) ▪ **आंतरिक प्रवासियों की बेहतरी के लिए शुरू की गई पहलें**: राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007; "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड", प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0; आयुष्मान भारत आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच बढ़ाना।
शहरीकरण	▪ **शहरी आबादी**: 36% (विश्व बैंक, 2023) ▪ **शहरीकरण पर भविष्य के अनुमानः** 2036 तक 40% आबादी (विश्व बैंक) ▪ **GDP में योगदानः** 60% (नीति आयोग, 2022) ▪ शहरी झुग्गियों में **शहरी आबादी का लगभग 49% हिस्सा है।** (विश्व बैंक, 2020) ▪ **संधारणीय शहरीकरण के लिए की गई पहलें**: अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन आदि।
सामाजिक अलगाव और अकेलापन	▪ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा घोषित किया है। **WHO** ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया है, जो अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए कार्य करेगा। **प्रभाव** ▪ **स्वास्थ्य जोखिमः** सामाजिक अलगाव से डिमेंशिया का खतरा **लगभग 50%, हृदय रोग का खतरा 29% और स्ट्रोक का खतरा 32%** बढ़ जाता है। ▪ अकेलेपन के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष अनुमानित 406 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है।
आत्महत्या	▪ आत्महत्या की दर बढ़कर **प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 12.4** हो गई है – जो भारत में अब तक की सबसे ज़्यादा दर है। ▪ लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में महिलाओं और लड़कियों के संबंध में आत्महत्या की दर वैश्विक औसत से दोगुनी** है। ▪ **18–45 वर्ष आयु वर्ग आत्महत्या के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है।** 2021 में आत्महत्या के लगभग 2/3 मामले इसी वर्ग से संबंधित थे। **आत्महत्या की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम** ▪ **कानूनी फ्रेमवर्कः भारतीय न्याय संहिता (2023) में आत्महत्या के प्रयास का गैर–अपराधीकरण और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017** ▪ **नीतियां और कार्यक्रमः राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022); राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014); राष्ट्रीय पैलिएटिव देखभाल कार्यक्रम;** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014); केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा जारी किए गए **उम्मीद (UMMEED) दिशा–निर्देश; मनोदर्पण; किरण हेल्पलाइन आदि।**

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

SANDHAN

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
22 अगस्त | 1 PM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023** from various programs of **Vision IAS**

Aditya Srivastava
1 AIR

2 AIR
Animesh Pradhan

5 AIR
Ruhani

6 AIR
Srishti Dabas

7 AIR
Anmol Rathore

9 AIR
Nausheen

10 AIR
Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

53 AIR
मोहन लाल

136 AIR
अर्पित कुमार

238 AIR
विपिन दुबे

257 AIR
मनीषा धार्वे

313 AIR
मयंक दुबे

517 AIR
देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

53 AIR
मोहन लाल
TOPPERS' TALK

136 AIR
अर्पित कुमार
TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias.upsc | /vision _ias | VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची